खण्ड-438, अंक-1
शुक्रवार, 14 वैशाख, शक संवत् 1923
(4 मई, 2001 ई0)

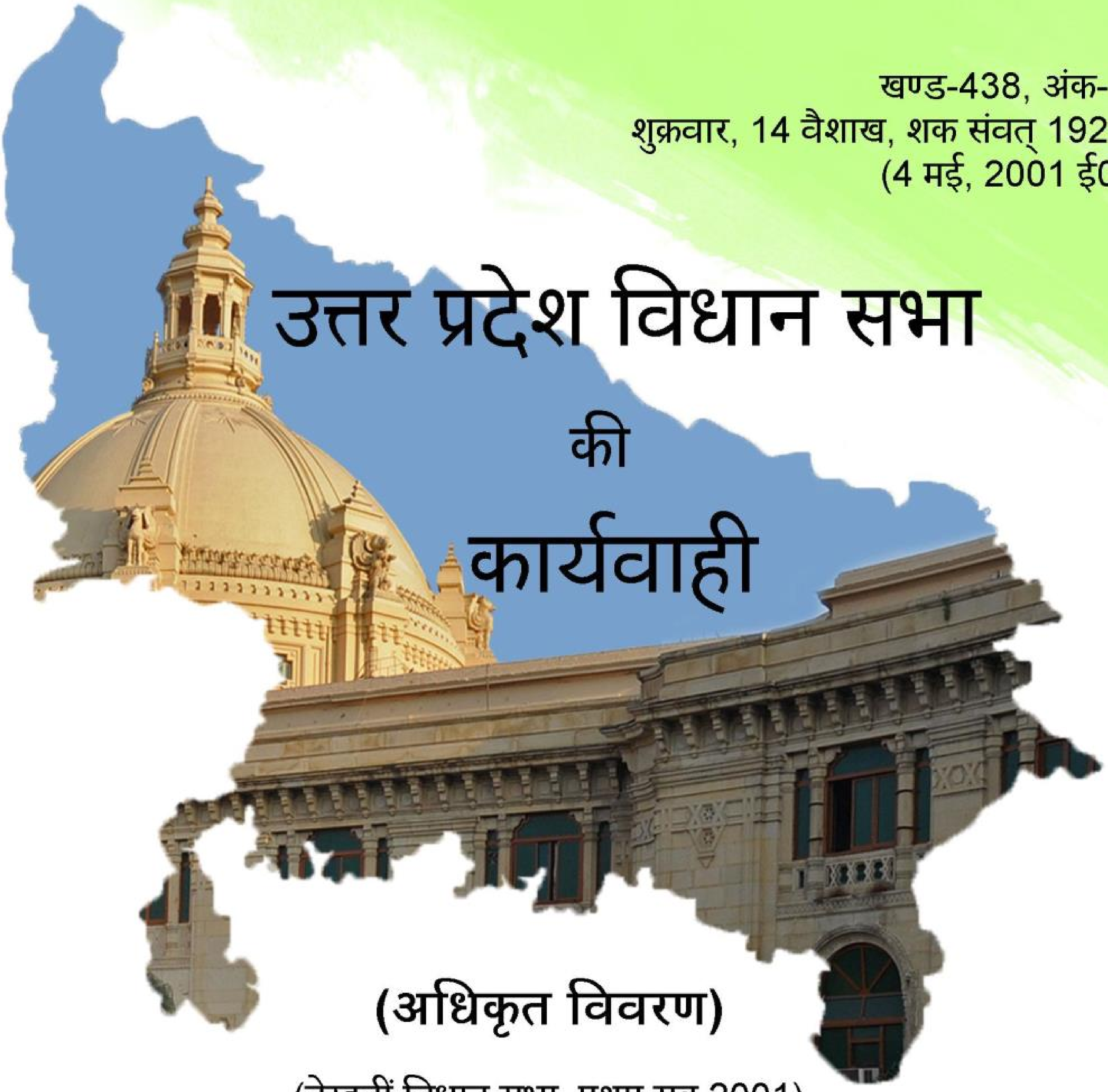

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची	क-छ
महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	झ-ण
उपस्थित सदस्य	थ- ध
सदन में गणपूर्ति के अभाव के प्रति चिन्ता	1
प्रश्नोत्तर	1-104
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	104-105
वाराणसी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए वैकल्पिक स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105-106
जनपद जौनपुर के ब्लाक करन्जाकलान्तर्गत ग्राम जासीपुर चकिया से एक कि०मी० जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में सुरियावां–औमिया मार्ग पर वरुणा नदी पर निर्माणाधीन पुल को मानक के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत वक्तव्य की प्रतियां पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	107-108
उत्तर प्रदेश के बजट में वित्त मंत्री द्वारा उत्तरांचल राज्य की धनराशि को भी प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	108-109
प्रथम सत्र 2001 के पहले सोमवार का अतारांकित प्रश्न संख्या–46 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	109
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित)(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	110
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	110
उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	110
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	110-111
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	111

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	111
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	111
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2000-2001) का बत्तीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	112
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2000-2001) का तैंतीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	112
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए निर्वाचित की जाने वाली सदन की विभिन्न समितियों तथा मंत्रियों को परामर्शदात्री 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन की सूचना	112-113
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	113-128
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	128
श्री प्रमोद कुमार द्वारा विशेष उल्लेख के रूप में बिजली से संबंधित सूचना उठाने का प्रयास	128-129
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	129
सदन में गणपूर्ति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	129
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी)	129-149
बजट साहित्य समय पर उपलब्ध न कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	149-150
सदन में गणपूर्ति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	150
नत्थियां	151-158

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1–अब्दुल सलाम, श्री	प्रतापगढ़
2–अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
3–अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
4–अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
5–अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा
6–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
7–अजय राय, श्री	वाराणसी
8–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री	सीतापुर
9–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
10–अतुल कुमार, श्री	मेरठ
11–अनिल कुमार, श्री	बलिया
12–अनिल कुमार यादव, श्री	मैनपुरी
13–अनीस खां, श्री	पीलीभीत
14–अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
15–अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
16–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
17–अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
18–अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
19–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
20–अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
21–अमरमणि, श्री	महराजगंज
22–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
23–अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
24–अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
25–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
26–अरविन्द कुमार जैन, श्री	ललितपुर
27–अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
28–अरिमर्दन सिंह, श्री	महोबा
29–अरुण प्रताप सिंह, श्री	सुल्तानपुर
30–अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
31–अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
32–अशफाक अहमद, श्री	बरेली
33–अशोक कुमार, श्री	जौनपुर
34–अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
35–अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
36–अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
37–आचार्य रामदेव वैश्य, श्री	बाराबंकी
38–आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
39–आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
40–आर०के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
41–आर्य राम सरन, श्री	हाथरस
42–आलमबदी, श्री	आजमगढ़
43–इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
44–इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद
45–इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
46–इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
47–उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
48–उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
49–उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
50–उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
51–ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
52–ओमकार सिंह, श्री	बदायूं
53–ओम प्रकाश, श्री	एटा
54–ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
55–ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
56–कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
57–कमलेश कुमार सिंह, श्री	बलरामपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

58–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
59–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
60–कासिम हसन, श्री — फतेहपुर
61–काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर
62–काशी राम, श्री — रामपुर
63–किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
64–कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
65–कृष्ण पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
66–कृष्णा राज, श्रीमती — खीरी
67–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
68–केशो मेहरा, श्री — आगरा
69–कैलाश, श्री — गाजीपुर
70–कैलाश सिंह राजपूत, श्री — फर्रुखाबाद
71–कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
72–कौकब हमीद, श्री — मेरठ
73–कौशल किशोर, डा० — खीरी
74–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
75–गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
76–गंगा सिंह चौहान, श्री — हरदोई
77–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री — मेरठ
78–गणेश राजभर, श्री — गाजीपुर
79–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
80–गोपाल कृष्ण, श्री — पीलीभीत
81–गोमती यादव, श्री — लखनऊ
82–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री — भदोही
83–गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
84–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
85–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
86–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री — झांसी
87–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — बहराइच
88–चन्द्रेश पासवान, श्री — गोरखपुर
89–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
90–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री — कानपुर देहात
91–चौधरी बाबू लाल, श्री — आगरा
92–चौधरी मस्तराम, श्री — उन्नाव
93–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री — मथुरा
94–छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
95–छोटे लाल गंगवार, मास्टर — बरेली
96–छोटे लाल राजभर, श्री — बलिया
97–छोटे लाल वर्मा, डा० — महोबा
98–छोटे सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
99–जगपाल, श्री — सहारनपुर
100–जगत पाल सिंह, मेजर — मुरादाबाद
101–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
102–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
103–जगदीश नारायण राय, श्री — जौनपुर
104–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
105–जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
106–जटा शंकर, श्री — बहराइच
107–जन्मेजय सिंह, श्री — देवरिया
108–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
109–जय नारायन तिवारी, श्री — सुल्तानपुर
110–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
111–जय प्रकाश, श्री — गाजियाबाद
112–जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
113–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
114–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
115–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री — गोरखपुर
116–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
117–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
118–ज्ञानवती सिंह, डा० — अलीगढ़
119–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
120–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री — गोरखपुर
121–तेजभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
122–तोताराम, श्री — मुरादाबाद
123–तौफीक अहमद, श्री — सिद्धार्थनगर

124–दद्दू प्रसाद, श्री — बांदा
125–दयाशंकर, श्री — जालौन
126–दल बहादुर कोरी, श्री — रायबरेली
127–दलवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
128–दिलीप कुमार, श्री — बहराइच
129–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
130–दीप लाल भारती, श्री — पडरौना
131–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
132–देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
133–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री — कानपुर देहात
134–धनराज यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
135–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
136–धर्मज्ञ मिश्र,डा० — हरदोई
137–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
138–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
139–नन्दराम, श्री — बरेली
140–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
141–नरेन्द्र सिंह, श्री — आजमगढ़
142–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
143–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
144–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री — गाजियाबाद
145–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
146–नवाब सिंह नागर, श्री — गाजियाबाद
147–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुर नगर
148–नेतराम सिंह, श्री — एटा
149–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री — खीरी
150–परवेज हलीम खां, श्री — मेरठ
151–पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित सदस्य
152–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
153–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
154–पूर्णमासी पंकज, डा० — भदोही
155–प्रदीप कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
156–प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
157–प्रदीप कुमार यादव, श्री — इटावा
158–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती — फर्रुखाबाद
159–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — वाराणसी
160–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
161–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
162–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
163–प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
164–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री — बदायूं
165–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
166–फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
167–फागू, श्री — मऊ
168–बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
169–बचनूराम पटेल, श्री — वाराणसी
170–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
171–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
172–बांके लाल सोनकर, श्री — जौनपुर
173–बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
174–बाबू खां, श्री — हरदोई
175–बाबू राम, श्री — जालौन
176–बाबू लाल कुरील, श्री — उन्नाव
177–बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
178–बाल चन्द्र मिश्र, श्री — कानपुर नगर
179–बालेश्वर त्यागी, श्री — गाजियाबाद
180–बावन सिंह, श्री — गोण्डा
181–बिजेन्द्र आर्य, श्री — मुजफ्फरनगर
182–बिन्दु लाल, श्री — गोण्डा
183–बिहारी लाल आर्य, श्री — झांसी
184–बी० आर० वर्मा, श्री — जौनपुर
185–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
186–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री — [illegible]
187–बेचन राम, श्री — गोरखपुर
188–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
189–भगवती प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
190–भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं

191–भरत सिंह, श्री — बलिया
192–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
193–भीम प्रसाद सोनकर, श्री — अम्बेडकरनगर
194–भोनू राम सोनकर, श्री — गाजीपुर
195–भोला शंकर मौर्य, श्री — बदायूं
196–मंगल सिंह रौनी, श्री — मुरादाबाद
197–मंजू, श्रीमती — बलिया
198–मंडलेश्वर सिंह, श्री — आमरा
199–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — इलाहाबाद
200–मथुरा प्रसाद, श्री — कानपुर देहात
201–मलखान सिंह, श्री — अलीगढ़
202–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा — आगरा
203–महेन्द्र कुमार, श्री — बुलन्दशहर
204–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
205–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० — वाराणसी
206–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
207–महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
208–मानिक चन्द यादव, श्री — मैनपुरी
209–माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
210–मारकण्डेय चन्द, श्री — गोरखपुर
211–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती — एटा
212–मुख्तार अंसारी, श्री — मऊ
213–मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
214–मुरलीधर, श्री — फतेहपुर
215–मुराद लारी, श्री — देवरिया
216–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
217–मुस्लिम, डा० — रायबरेली
218–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री — इटावा
219–मूल चन्द, श्री — बिजनौर
220–मोती लाल, श्री — खीरी
221–मोहम्मद मुकीम, श्री — सिद्धार्थनगर
222–यशपाल सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
223–यशवन्त, श्री — आजमगढ़
224–योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
225–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
226–रंगनाथ मिश्र, श्री — भदोही
227–रंग बहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
228–रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया", कुंवर — प्रतापगढ़
229–रघुवर दयाल वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
230–रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
231–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
232–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
233–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
234–रमेश राही, श्री — सीतापुर
235–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० — मेरठ
236–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
237–रवीन्द्र शुक्ला, श्री — झांसी
238–राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
239–राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
240–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
241–राघव, श्री — सहारनपुर
242–राजधारी, श्री — बलिया
243–राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
244–राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
245–राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
246–राजा गज़नफर अली खां, श्री — बिजनौर
247–राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
248–राजाराम पाल, श्री — कानपुर देहात
249–राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
250–राजेन्द्र यादव, श्री — गाजीपुर
251–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
252–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
253–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
254–राजेश कुमार सिंह, श्री — मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

255–राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
256–राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
257–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
258–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
259–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
260–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
261–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
262–राम आसरे सिंह कुशवाहा,डा० कानपुर नगर
263–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
264–राम कुमार एडवोकेट, श्री उन्नाव
265–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
266–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
267–राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
268–राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
269–रामजग, श्री आजमगढ़
270–रामतेज यादव एडवोकेट, श्री बहराइच
271–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
272–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
273–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
274–राम नाथ, श्री प्रतापगढ़
275–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
276–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
277–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
278–राम प्यारे सिंह, श्री आजमगढ़
279–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
280–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
281–राम बाबू हरित, डा० आगरा
282–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
283–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
284–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
285–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
286–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
287–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
288–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
289–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
290–राम सिंह, डा० अलीगढ़
291–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
292–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
293–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
294–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
295–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
296–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
297–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
298–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
299–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
300–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री मुरादाबाद
301–रूप चौधरी, श्री मेरठ
302–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर इलाहाबाद
303–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
304–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
305–लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
306–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
307–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
308–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
309–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
310–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
311–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
312–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
313–वहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
314–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
315–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
316–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
317–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
318–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
319–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
320–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
321–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

322–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
323–विनोद मणि, श्री — महराजगंज
324–विभूति प्रसाद निषाद, श्री — आजमगढ़
325–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
326–विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
327–विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
328–विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
329–विश्वनाथ, श्री — पडरौना
330–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री — शाहजहांपुर
331–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
332–वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
333–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० — बिजनौर
334–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
335–शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
336–शिव गणेश लोधी एडवोकेट, श्री — रायबरेली
337–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
338–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
339–शिव पूजन राम, श्री — वाराणसी
340–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
341–शिव प्रसाद, श्री — हरदोई
342–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
343–शिव शंकर, श्री — बांदा
344–शिव सिंह चक, श्री — फिरोजाबाद
345–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
346–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
347–शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
348–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
349–श्याम किशोर यादव, श्री — लखनऊ
350–श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
351–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
352–श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
353–श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
354–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
355–श्रीराम, श्री — मऊ
356–श्रीराम पाल, श्री — जालौन
357–श्रीराम यादव, श्री — जौनपुर
358–संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
359–संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
360–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
361–संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
362–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
363–सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
364–सतीश शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
365–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
366–सन्त, श्री — गोरखपुर
367–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
368–समरपाल सिंह, श्री — मेरठ
369–सरजीत सिंह डंग, डा० — मिर्जापुर
370–सरदार सिंह, श्री — मथुरा
371–सरवर अली खां, श्री — बाराबंकी
372–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
373–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर — मुरादाबाद
374–सिंहासन सिंह, श्री — गाजीपुर
375–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
376–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
377–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
378–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
379–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री — सहारनपुर
380–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
381–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
382–सुन्दर लाल वर्मा, श्री — मेरठ
383–सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
384–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बरेली
385–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

386–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
387–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
388–सुशील शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
389–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
390–सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
391–सूर्य भान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
392–सौलत अली एडवोकेट, श्री — मुरादाबाद
393–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
394–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
395–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
396–हरिनारायण, श्री — बलिया
397–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
398–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
399–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
400–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव''हरीश जी'', श्री — वाराणसी
401–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री — बरेली
402–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़
403–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
404–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

अधिसूचना संख्याः 2243/वि०स०/प०का०/29(प)/2000–(टी०सी०), दिनांक 25 नवम्बर, 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के फलस्वरूप दिनांक 9 नवम्बर, 2000 से 22 माननीय सदस्यों का स्थान उत्तर प्रदेश विधान सभा में समाप्त हो गया है।

नोटः–दिनांक 16 अप्रैल, 2001 तक यथा संशोधित।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री विष्णुकान्त शास्त्री,

मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	श्री राजनाथ सिंह (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास, संस्कृति, पूर्त धर्मस्व एवं प्रोटोकाल ।
2	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	वित्त
3	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
4	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा लोक निर्माण
5	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
6	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
7	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	गन्ना विकास, चिकित्सा शिक्षा
8	श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह	खाद्य एवं रसद
9	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
10	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण ।
11	श्री राजधारी सिंह	वन
12	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
13	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
14	श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा	सहकारिता

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं० नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
15 श्रीमती प्रेमलता कटियार	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।
16 श्रीमती प्रभा द्विवेदी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार प्राविधिक शिक्षा ।
17 श्री सरदार सिंह	मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण ।
18 श्री राधेश्याम गुप्ता	न्याय
19 श्री बाबू राम, एम०काम०	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर ।
20 श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर ।
21 श्री शिव प्रताप शुक्ल	ग्राम्य विकास
22 श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा ।
23 श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
24 श्री हरिशंकर तिवारी	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
25 श्री मण्डलेश्वर सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन परती भूमि विकास ।
26 श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन
27 चौधरी लक्ष्मी नारायण	कारागार
28 श्री श्याम सुन्दर शर्मा	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा ।
29 श्री धनराज यादव	उद्यान
30 श्री शिवाकान्त ओझा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं० नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
31 श्री सरस्वती प्रताप सिंह	लघु उद्योग
32 श्री फागू चौहान	पशुधन एवं मत्स्य
33 श्री राजाराम पाण्डे	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
34 कुंवर रघुराज प्रताप सिंह	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल।
35 श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1 श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	पंचायती राज
2 श्री धर्मपाल सिंह	श्रम
3 श्री जयपाल सिंह	दुग्ध विकास
4 श्री अशोक यादव	पर्यटन
5 श्री राधेश्याम	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन।
6 श्री राजा गज़नफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
7 श्री बालेश्वर त्यागी	बेसिक शिक्षा
8 श्री भगवान सिंह शाक्य	राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन।
9 श्री सुरेश कुमार खन्ना	नियोजन

राज्य मंत्री

क्र०सं० नाम	विभाग या विषय
1 श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
2 श्री शिवेन्द्र सिंह	आवास
3 श्री रंगनाथ मिश्र	गृह
4 श्री मंगल सिंह सैनी	सिंचाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
5	श्री सतीश शर्मा	ऊर्जा
6	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
7	श्री राकेश त्यागी	सहकारिता
8	श्री सतीश महाना	नगर विकास
9	श्री शिव शंकर सिंह	सिंचाई
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	लोक निर्माण
11	श्री लल्लू सिंह	ऊर्जा
12	श्री वीरेन्द्र सिंह	परिवहन
13	श्री विवेक कुमार सिंह	कृषि
14	श्री संग्राम सिंह	कृषि
15	श्री वंश नारायण पटेल	खाद्य एवं रसद
16	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
17	श्री हरि नारायण राजभर	ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई
18	डा० राम बाबू हरित	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
19	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण
20	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
21	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
22	श्री यशवन्त सिंह	आबकारी
23	श्री दलवीर सिंह	गन्ना विकास
24	श्री रामचन्द्र बाल्मीकी	गन्ना विकास
25	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
26	श्री विक्रमाजीत मौर्य	ऊर्जा
27	सुश्री डा० शीमा रिजवी	चिकित्सा शिक्षा
28	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार
29	श्रीं गंगा बख्श सिंह	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
30	श्री राम आसरे कुशवाहा	वन
31	श्री रामपाल राजवंशी	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा
32	श्री बहोरन लाल मौर्य	राजस्व

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
33	श्री बिहारी लाल आर्य	खाद्य एवं रसद
34	श्री राम लखन पासी	समाज कल्याण
35	श्री श्रीराम सोनकर	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
36	श्री विनय कुमार पाण्डेय	कारागार
37	श्री वेद प्रकाश	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा ।
38	डा० अरविन्द कुमार जैन	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
39	श्री अमरमणि त्रिपाठी	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
40	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	सहकारिता
41	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल ।
42	श्री मुन्ना लाल मौर्य	खाद्य एवं रसद

नेता, विरोधी दल

श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),
2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर),
3–श्री रवीन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (झांसी),
4–श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह, सदस्य, विधान सभा (बहराइच)
5–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई)
6–श्री राम औतार शाक्य, सदस्य, विधान सभा (मैनपुरी)
7–श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा (बुलन्दशहर)
8–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर)
9–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकरनगर)
10–श्री कौकब हमीद, सदस्य, विधान सभा (बागपत)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 4 मई, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
2–अजय राय, श्री	वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
4–अनिल कुमार, श्री	बलिया
5–अनीस खां, श्री	पीलीभीत
6–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
7–अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
8–अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
9–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
10–अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
11–अमरमणि, श्री	महराजगंज
12–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
13–अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
14–अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
15–आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
16–आर्य राम शरन, श्री	हाथरस
17–उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
18–उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
19–ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
20–ओमकार सिंह,, श्री	बदायूं
21–ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
22–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
23–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
24–काशीनाथ, श्री	सुल्तानपुर
25–काशी राम, श्री	रामपुर
26–केशो मेहरा, श्री	आगरा
27–कैलाश, श्री	गाजीपुर
28–कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
29–कौकब हमीद, श्री	मेरठ
30–गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
31–गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
32–चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
33–चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
34–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात
35–चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
36–छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
37–छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
38–छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
39–जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
40–जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
41–जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
42–जय प्रकाश निषाद, श्री	देवरिया
43–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भय्या, श्री	गोरखपुर
44–जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
45–दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
46–दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
47–दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
48–दीप लाल भारती, श्री	पडरौना
49–धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

50–धनीराम वर्मा, श्री — इटावा
51–धर्मज्ञ मिश्र, डा० — हरदोई
52–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
53–नन्दराम, श्री — बरेली
54–नीरज चतुर्वेदी, श्री — कानपुरनगर
55–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
56–प्रदीप कुमार यादव, श्री — इटावा
57–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री — वाराणसी
58–फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
59–बच्चा पाठक, श्री — बलिया
60–बनवारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
61–बाबू खां, श्री — हरदोई
62–बाबू राम, श्री — जालौन
63–बाबू लाल कुरील, श्री — उन्नाव
64–बी० आर० वर्मा, श्री — जौनपुर
65–बी० के० गुप्ता, श्री — पीलीभीत
66–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री — सीतापुर
67–भाई लाल, श्री — मिर्जापुर
68–महेन्द्र अरिदमन सिंह , राजा — आगरा
69–महेन्द्र नाथ पांडेय, डा० — वाराणसी
70–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
71–मानिक चन्द्र यादव, श्री — मैनपुरी
72–मुराद लारी, श्री — देवरिया
73–मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
74–मोती लाल, श्री — खीरी
75–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री — देवरिया
76–रंगनाथ मिश्रा, श्री — भदोही
77–रंग बहादुर पटेल, श्री — इलाहाबाद
78–रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया', कुंवर — प्रतापगढ़
79–रज्जन पाल सिंह, श्री — एटा
80–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
81–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
82–राजनाथ सिंह, श्री — बाराबंकी
83–राजा गज़नफर अली खां, श्री — बिजनौर
84–राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
85–राधेश्याम गुप्त, श्री — फतेहपुर
86–राम अवतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
87–राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
88–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० — कानपुर नगर
89–राम औतार शाक्य, श्री — मैनपुरी
90–राम कृपाल, श्री — इलाहाबाद
91–राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
92–राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
93–रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
94–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
95– राम ललित चौधरी, श्री — बस्ती
96–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
97–राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
98–राम सेवक सिंह, श्री — बदायूं
99–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री — मैनपुरी
100–रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
101–लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
102–लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
103–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
104–वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
105–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

106–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
107–विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
108–विवेंक कुमार सिंह, श्री — बांदा
109–शरद वीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
110–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
111–शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
112–शिव प्रताप शुक्ल, श्री — गोरखपुर
113–शिवाकान्त, श्री — प्रतापगढ़
114–शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकरनगर
115–श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
116–श्याम सुन्दर शर्मा श्री, — मथुरा
117–सतीश जतारिया, श्री — झांसी
118–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
119–सन्त, श्री — गोरखपुर
120–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
121–सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
122–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
123–सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
124–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
125–सुन्दर लाल वर्मा, श्री — मेरठ
126–सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
127–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
128–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
129–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
130–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
131–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री — वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 4 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 8 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 8 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

सदन गणपूर्ति के अभाव के प्रति चिन्ता

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी कल आपने यहां पर यह निर्देश दिया था कि कोरम पूरा रहना चाहिए और मान्यवर, यह आपके द्वारा दोनों पक्षों के लिए कहा गया था, तो मान्यवर, सत्तापक्ष में लगभग 93-95 मंत्री हैं और अगर यहां पर उनमें से लगभग 50/– मंत्री भी मौजूद रहें तो सदन व्यवस्थित रूप से चल सकता है । मान्यवर, सदन की कार्यवाही कल भी 5 मिनट देर से शुरू हुई थी और आज भी सदन की कार्यवाही कोरम पूरा न होने के कारण लगभग 8 मिनट देर से शुरू हो रही है, तो मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह निर्देश देने की कृपा करें कि वह सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, कोरम की संख्या बनाये रखने के लिए अपने सदस्यों को चाहे बांध कर ही क्यों न रखें, जिससे कोरम की संख्या पूर्ण रहे और सदन की कार्यवाही ठीक समय से आरम्भ हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

जो चिन्ता माननीय रेवतीरमण जी ने व्यक्त की वही चिन्ता माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यक्त की थी । मैंने कल ही सायंकाल एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि ऐसे निर्देश दें कि जब विधान सभा का सत्र चल रहा हो तो मंत्रि-परिषद् के सदस्य कहीं दौरा न करें और दल के सदस्यगण सदन में उपस्थित रहें । मैं विपक्ष के माननीय नेताओं से अनुरोध करना चाहूं कि वह अपने-अपने दल के लोगों को निर्देश दें कि कम से कम सत्र प्रारम्भ होने के समय जरूर उपस्थित रहें । दोनों पक्षों की संख्या कम है । मैंने कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है हो सकता है कि अभी उनको देखने का समय न मिला हो, हो सकता है आज निर्देश दें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् विद्युत उत्पादन में गिरावट के निराकरण हेतु उपाय

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाने के उपरान्त उ० प्र० में कुल विद्युत उत्पादन कितने मेगावाट रह गया है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन में निरन्तर गिरावट आ रही है ? यदि हां, तो इसके निराकरण के क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश अग्रवाल)–

उत्तरांचल राज्य का गठन हो जाने के उपरान्त उत्तरांचल राज्य में 994.98 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं तथा उत्तर प्रदेश राज्य में 525.80 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं । उत्तर प्रदेश रा०वि०उ०नि० लि० के तापीय विद्युत गृहों की कुल उत्पादन क्षमता 3909 मे०वा० है । उत्तर प्रदेश में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं एवं तापीय विद्युत परियोजनाओं से प्रतिदिन क्रमशः 217 मे०वा० तथा 2417 मेगावाट का औसत उत्पादन हो रहा है ।

जी नहीं । विद्युत उत्पादन में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है । वर्ष 1999-2000 में तापीय विद्युत गृहों का पी०एल०एफ० 50.5 प्रतिशत था जो वर्ष 2000-2001 में बढ़कर 57.03 प्रतिशत हो गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आज विद्युत समस्या पूरे प्रदेश की समस्या है और शहरों से लेकर गांव तक यह समस्या है । किसानों की फसल की कटाई होनी है, विद्युत की कटौती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है । मौसम भी विपरीत चल रहा है । माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है । अगर विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है तो कटौती क्यों की जा रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि विगत सप्ताह तापीय और जल विद्युत उत्पादन कितने मेगावाट का हुआ है ? आपने बताया कि पी०एल०एफ० बढ़ा है और बढ़कर 57.3 प्रतिशत हो गया है । जब पी०एल०एफ० बढ़ रहा है तो कटौती क्यों हो रही है ? क्या पी०एल०एफ० बढ़ने के साथ-साथ लाइन लासेज भी बढ़े हैं और अगर ऐसा है तो उसका प्रतिशत कितना है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह सही है कि पी०एल०एफ० बढ़ा है मगर उसके साथ-साथ विद्युत की मांग भी बढ़ी है । 1993 के बाद कोई भी पावर स्टेशन नया नहीं लगा है । प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की मांग बढ़ रही है । पिछले एक हफ्ते में सदन में चर्चा आयी और अखबारों में भी आया । आनपारा की 500 मेगावाट और ओबरा में कोयले की कमी के कारण इकाइयां बन्द हुयीं । आनपरा में कल से उत्पादन शुरू हो गया है और तापीय उत्पादन 2500 मेगावाट हो गया है । आज उत्पादन नारमल हो गया है । जो कटौती का मानक घोषित है उसके अनुसार कटौती कर रहे हैं और बिजली दे रहे हैं ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, ऊर्जा मंत्री जी ने बताया कि पी०एल०एफ० बढ़ा है जैसाकि माननीय गोरखनाथ पाण्डेय जी ने कहा है लाइन लासेज भी बढ़े हैं । ऊर्जा मंत्री जी ने एक बयान में बताया था कि 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश विद्युत कटौती से मुक्त हो जायेगा । सन् 1996 में जापान द्वारा ओ०आई०सी० टर्न की बेसिस पर आपके आनपारा के लिये लोन दे रहा था । जब आपने लिया नहीं । नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रश्न कर रहे हैं । कोई तापीय विद्युतगृह कोई जलीय विद्युतगृह हमारे उत्तर प्रदेश में आया नहीं है । दशवीं पंचवर्षीय योजना में जो भी आने वाला है जलीय व्यवस्था से वह उत्तरांचल में चला गया तो उत्तर प्रदेश में आपसे जानना चाहता हूं तापीय या गैस या एटामिक ऊर्जा से कौन से पावर हाउस आने वाले हैं और यह कब तक आयेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, कुंवर साहब ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं । उस समय शायद उन्होंने दबाव में सच्चाई को स्वीकार नहीं किया इस उत्तर प्रदेश में लाइन लास 26 प्रतिशत जा रहा था जिस पर हम कभी संतुष्ट नहीं हुए जब मैं ऊर्जा मंत्री बना उसी समय कहा कि लाइन लास के आंकड़े सही नहीं हैं । पहली बार उत्तर प्रदेश में रिफार्म बिल लागू किया इस समय लाइन लास 42 प्रतिशत हो गए हैं यह कुछ शहरों में 50 प्रतिशत कुछ फीडर में चल रहा है । हमने नए कनेक्शन की संख्या भी बढ़ाई है । 67 लाख से 80 लाख कनेक्शन हो गए । आबादी के हिसाब से संख्या यह कम है । उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है जिसको दूर करने के लिए रिफार्म बिल लागू किए हैं । इलेक्ट्रानिक मीटर सिस्टम को लागू करने के लिए पी०एफ०सी० और वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं । आनपारा सी० के बारे में जो निर्णय हुआ था वह निर्णय कुछ विवादित रहा अगर विवाद न रहा होता तो आनपारा सी उत्तर प्रदेश में लग गया होता । सारे हाइड्रो पावर स्टेशन उत्तरांचल में जा रहे हैं यह कहा जा रहा है इस बारे में कहना चाहता हूं कि विष्णु प्रयाग श्रीनगर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जिसका पी०पी०ए० हमने साइन किया है । उत्तरांचल सरकार भी इस बात को मान गई है कि यह दोनों हाइड्रो प्रोजक्ट जो भी विद्युत उत्पादित करेंगे उसका उत्पादन हम ही लेंगे । उसमें उत्तर प्रदेश का ही हक होगा । विष्णु प्रयाग पर कार्य शुरू हो गया है अगले चार वर्षों में यहां उत्पादन शुरू कर देंगे । 400 मेगावाट का । इस बीच टिहरी में 2002 में उत्पादन शुरू हो जाएगा । ओबरा के नवीनीकरण के संबंध में पांच तारीख को बैठक है । यह अन्तिम स्टेज की है इससे ओबरा का पी०एल०एफ० 85 प्रतिशत होगा तथा कुछ विद्युत की कमी दूर होगी । हम भेल से बात कर रहे हैं । पनकी और पारीक्षा में 210 मेगावाट की नई मशीन लगाने के संबंध में इसको कैबिनेट में ले जा रहे हैं । रोजा और श्रीनगर ने अभी कार्य शुरू नहीं किया है । इस संबंध में हम निरन्तर देख रहे हैं । इस सरकार के कार्यकाल में हमें उम्मीद है कि इन दोनों प्रोजक्ट पर काम शुरू करवा देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने तापीय, गैस व एटामिक ऊर्जा के बारे में प्रश्न किया था कि दशवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी कमी को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव है क्योंकि तापीय विद्युत गृह लगाने में लगभग 5 वर्ष का समय लग जाता है । क्या इस संबंध में आपके पास कोई योजना है ? आनपारा कब तक शुरू होगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जापान से सेंशन लगा रखे हैं । इस कारण आनपारा सी विवाद में फंसा है सेंशन खुलने के बाद इस पर निर्णय लिया जायेगा । रोजा के लिए जो तापीय योजना है उस पर कनाडा वालों से बातचीत चल रही है रोजा हमारी पहली प्राथमिकता पर योजना है इसमें इस वर्ष काम शुरू हो जाएगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आ रही है । मैं समझता हूं कि यह आंशिक रूप से सत्य है । जब से यह सरकार अस्तित्व में आई है हम यह बराबर देख रहे हैं कि जो हमारी विद्युत उत्पादन की इकाइयां हैं चाहे वह जलीय हो या तापीय आये दिन कोई नं कोई विद्युत उत्पादन की इकाई ठप हो जाती है तो कभी ग्रिड फेल हो जाती है । विद्युत उत्पादन एकाएक ठप हो जाने से विद्युत की कटौती बढ़ जाती है । मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चित रूप जो-जो

विद्युत उत्पादन में लगे हुए अधिकारीगण हैं वह कुछ विरोध पक्ष की मानसिकता के हैं और वर्तमान सरकार को बदनाम करने के लिए नियोजित और कृत्रिम तरीके से विद्युत उत्पादन को ठप कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार जो विरोधी लगातार विद्युत उत्पादन इकाइयों को ठप करने का काम कर रहे हैं जिससे आम जनता को कष्ट झेलना पड़ता है जिनकी विरोधी मानसिकता है उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

यदि कहीं कोई स्पेसिफिक शिकायत मिलेगी तो हम जरूर जांच करायेंगे। माननीय सदस्य यह तो जानते हैं कि हमारे पावर स्टेशन की मशीने बहुत पुरानी हो चुकी है और यह प्रक्रिया तो निरन्तर है इसलिए हमने ओबरा के नवीनीकरण का निर्णय लिया है। ओएनएम में पैसा ज्यादा लगाया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, हमने विद्युत उत्पादन की गिरावट के बारे में राज्य मंत्री जी का वक्तव्य पढ़ा था तो वहां यह स्वीकार किया गया था कि कुछ लोगों की शरारत है तो कौन सा बयान सही है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह बात उस दिन भी सदन में उठी थी। मैंने कहा भी था कि शासन इसको गम्भीरता से लिया है। कोयले की कमी के कारण हमारा जो उत्पादन ठप होने की आशंका है वहां के हमने दो सदस्यीय कमेटी बनाई है जो आनपरा और ओबरा दोनों जगह जा रही है और जिसमें तकनीकी सलाहकार मुख्य-मंत्री भी शामिल है। उनकी रिपोर्ट हमारे पास जैसे ही आ जायेगी उसके अनुसार हम कार्यवाही करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर देने की चेष्टा की और सम्भवतः आंशिक रूप से संतुष्ट करने में भी सफल रहे लेकिन मान्यवर, हिसाब ज्यों का त्यों है। इन सब बातों से जनता को क्या लेना देना ? जनता तो बिजली चाहती है जो उसे नहीं मिल पा रही है। शहरों से लेकर गांव की स्थिति पिछले एक माह से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दो तीन कारण बताये। कोई उत्पादन की नई इकाई नहीं लगी और हमने पी०एल०एफ० जरूर बढ़ाया है। डिमान्ड बढ़ी है। मैं दो बातें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हर पन्द्रहवें दिन कोई न कोई इकाई आपकी बीमार होती है और माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करते हैं क्योंकि यह इकाईयां पुरानी हो गयी हैं इसलिये ऐसा होना स्वाभाविक है। क्या हमारे अधिकारी जो इतने अनुभवी हैं वे लापरवाह और अकर्मण्य हो गये हैं कि इतनी छोटी-मोटी मरम्मत नहीं कर सकते हैं जिससे यह इकाइयां हर पन्द्रह दिन बाद खराब होने से बच सकें ? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई न कोई अधिकारी या कर्मचारी इस बात का जिम्मेदार रखा गया होगा जो इसका वार्षिक रख रखाव देखें, छोटे-मोटे मरम्मत होती है उसको देखें, कोई गड़बड़ी होती हैं तो उसकी सूचना उच्च अधिकारी को दे। उत्पादन में कमी होने के कारण, इकाई के बैठ जाने के कारण क्या आपने आज तक किसी अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित किया है तो उसका नाम बता दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 35 मिनट पहले यह जवाब पूछा जा रहा है इसलिये माननीय सदस्य उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हो पा रहे हैं और इन्हें उत्तर आंशिक लग रहा है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिये प्रश्न तर्कपूर्ण है।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई इनको बन्द करने का प्रयास कर रहा है। पुरानी हो गई हैं इसलिए दिक्कत आ जाती है। हमने ई०एफ०सी० में पैकेज दाखिल किया है ओ०एन०एम० के लिये। हम सब इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। जैसा माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की है, अगर कोई कर्मचारी और अधिकारी दोषी पाया जायेगा तो हम कार्यवाही करने में नहीं हिचकेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, पहले लाइन लास 21 प्रतिशत के आसपास था। आज 50 प्रतिशत के आसपास है। आखिर यह गलत आंकड़े जनता के सामने, सदन के सामने और सदन की समितियों के सामने कोई न कोई अधिकारी देते रहे हैं। पूरे प्रदेश को गलत आंकड़े देकर अन्धेरे में रखा गया है। क्या उन जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करेंगे और उनके नाम बतायेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, कौन-कौन अधिकारी थे जो यह आंकड़े दे रहे थे। उनमें से कुछ रिटायर हो गये होंगे और पता नहीं कितने सेवा में हैं। हमने अपनी तरफ से रिव्यू किया। इनर्जी मीटरिंग कराकर पाया कि फीडर पर लाइन लास ज्यादा था इसलिये हमने एवरेज लास 42 प्रतिशत स्वीकार किया है। स्पैसिफिक नाम आ जायं तो हम देख लेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नाम हम बतायें उन अधिकारियों ने जिन्होंने गलत आंकड़े दिये ? नाम तो मंत्री जी बतायें आपको पता होगा कौन सा काम किस अधिकारी के जिम्मे है। जो दोषी है जिसने पूरे प्रदेश को, जनप्रतिनिधियों और अपने मंत्री जी को अन्धेरे में रखा है। यह आप बतायें कि वे कौन अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश को मूर्ख बनाने की चेष्टा की ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, विद्युत उत्पादन पर मीटर लगा हुआ है और जहां विद्युत विक्रय को दिया जाता है वहां भी मीटर लगा है। यह दोनों मीटर आउट गोइंग और इन कमिंग क्या गलत रीडिंग देते हैं इस कारण यह 50.5 से बढ़कर 57.5 हो गया। मांग बढ़ गई, कटिया कनेक्शन भी हो गया प्लान्ट लोड फैक्टर वहीं का वहीं रहा। यह अन्तर क्यों आ रहा है इसकी जांच करायें ? कितनी बिजली बेची और कितना पैसा मिला यह बतायें ?

श्री नरेश अग्रवाल–

हमने पी०एल०एफ० का कहा है कि 50 से बढ़ाकर 57 हो गया है । लगता है माननीय सदस्य ने उत्तर ठीक से पढ़ा नहीं । इसकी मीटर से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि ओबरा की इकाई कोयले की वजह से बन्द हो गई थी । क्या यह सत्य है कि ओबरा में कोयले की जगह पत्थर की सप्लाई हुई ? अगर यह सच है कि कोयले की जगह पत्थर की सप्लाई हुई तो क्या आपने दोषी अधिकारियों को दण्डित किया । जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि उसमें विपक्ष का हाथ है ऐसा नहीं है कि कोयले की जगह पत्थर की सप्लाई हो रही है कोयले के साथ कभी पत्थर आ जाते हैं तो कोल इण्डिया को वापस कर दिया जाता है खदान से कोयला आता है उसके साथ कभी थोड़ा बहुत पत्थर आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

कितने प्रतिशत पत्थर आया कोई आंकड़े निकाले हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

यह अलग अलग एन०सी०एल०, सी०सी०एल०, डब्लू० सी०एल० से आता है । आप कहेंगे तो अगली बार आंकड़े दे देंगे ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, कोयले के साथ पत्थर आया तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि कितना कोयला आया, कितना पत्थर आया ? राजधानी में 24 घन्टे बिजली नहीं रहती है क्योंकि यह सरकार–.... ?

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए अलग से सूचना दे दें ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं जैसा इन्होंने कहा कि इनका उत्पादन बढ़ रहा है, माना उत्पादन बढ़ रहा है बिल्कुल ठीक होगा, जैसा यह कह रहे हैं उत्पादन बढ़ रहा है लेकिन वास्तविक स्थिति जो गांवों में है, हम केवल उसी में रहते हैं और ग्रामवालों में विचरते हैं वास्तविकता यह है कि वास्तव में पिछले दिनों दिन–प्रतिदिन गांवों में बिजली जाना कम हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछें ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

हमारे सम्मानित सदस्यों ने बिजली न आने के अनेक कारण बताये वह सही हैं मैं कहूंगी जब तक अधिकारियों में कर्मचारियों में पूरी लगन से काम करने की नीयत नहीं बनेगी तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी । विद्युत गृहों का जो रखरखाव होना चाहिए वह नहीं है तारों का बिजली के खम्भों का उत्पादन

जितना हो लेकिन रख रखाव भी तो होना चाहिए । तार इतने गिरते हैं, तार झूलते रहते हैं, इसके अलावा लाइनमैन, जे०ई०, ए०ई० की कमी है इसका बहाना लेकर हमारे अधिशासी अभियन्ता घर में बैठ जाते हैं और गांव वालों के सामने हमें .....

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछें ।

डा० ज्ञानवती सिंह–

इस स्थिति को सुधारने के लिए तार, खम्भे ठीक हों और कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी हो इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या कदम उठा रहे हैं ? बार-बार सुनने में आता है दस घंटे बिजली दी जा रही है, 10 घंटे खैरा क्षेत्र में बिजली दी जा रही है मैं अक्षरशः सत्य कह रही हूं दो घंटे से ज्यादा बिजली वहां नहीं आती है वह भी लगातार नहीं आई है अभी आधे घंटे आ गई, अभी 15 मिनट आ गई । अभी चुनाव का समय है बिजली न आने से हमारे ग्रामीण समाज में बहुत रोष है हम विधायकों को उनका क्रोध सहना पड़ता है तो इसमें कब सुधार होगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं माननीया सदस्या को बुला लूंगा और इनके क्षेत्र की समस्या का निराकरण कर दूंगा यह ज्यादा उचित होगा ।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह सही है कि प्रदेश में विद्युत के उत्पादन में निरन्तर गिरावट आई है इसके उत्तर में इन्होंने "जी नहीं" कहा है विद्युत उत्पादन में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं अगर निरन्तर विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी में जहां कभी भी विद्युत की कटौती नहीं होती थी आज लगातार चार-पांच-छः घंटे की कटौती की जा रही है और ग्रामीण इलाकों में जहां 16 घंटे बिजली देने का आश्वासन दिया है क्या इस आश्वासन को पूरा करने का प्रयास करेंगे ? और दूसरा जिन क्षेत्रों में 16 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं होगी उन क्षेत्रों में जो अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं इस लापरवाही के कारण उन दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमने आंकड़े दिये हैं हमारा उत्पादन बढ़ा है । गांवों में दस घंटे बिजली देने का वायदा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि दें । लेकिन हमने कहा है कि गांव में एक प्वाइन्ट पर बिजली ले लें मीटरिंग करा लें जो फीडर आप तय कर लें हम 24 घंटे बिजली दे देंगे । जो माननीय सदस्य इसकी बात करते हैं वह लोग वसूली पर जोर नहीं देते हैं । जब वसूली की बात आती है तो वह वसूली अभियान वालों के विरुद्ध हो जाते हैं । राजधानी की बात जहां आयी है तो हमने निर्णय लिया है कि हम एक मिनट भी बिजली की कटौती नहीं करेंगे और ग्रामीण इलाकों में 3 घंटे की कटौती करेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, विद्युत उत्पादन के संबंध में जो प्रश्न है उससे जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि विगत एक वर्ष 2000-2001 में विद्युत की डिमान्ड कितनी हुई और उसके सापेक्ष उत्पादन बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मौसम के हिसाब से होता है । अगर ज्यादा जाड़ा होगा तो ज्यादा डिमान्ड होगी.....

श्री अध्यक्ष–

औसतन कितनी है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पीक आवर पर 6 हजार मेगावाट है । कभी-कभी 6400 मेगावाट तक चली जाती है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसी सदन में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अनेकों अवसरों पर, जब विद्युत की चर्चा होती है तो उन्होंने कहा कि हमारा आनपारा–ए है बी है, हमारी तापीय योजनायें हैं और पी० एल० एफ० बढ़ा है । जापान में आनपारा–ए और बी बनाया और उसका अनुभव यह है कि इस प्रदेश को बिजली आपूर्ति करने में काफी अच्छे ढंग से काम किया और जापान इस परियोजना को बनाने में ऋण देने के लिए तैयार था तो सेंक्शन होने के पूर्व ही रोक लग गयी एटामिक परीक्षण के बाद 1996 के बाद से परियोजनाओं को चालू नहीं किया गया क्या यह कोई मेलाफाइड इन्टेंशन था ? तो क्या इसे अपराध मानते हुए इसकी सी० बी० आई० से जांच कराने का काम करेंगे ? दूसरा माननीय श्याम देव राय चौधरी जी ने कहा कि विपक्ष का कोई रोल है । मान्यवर, अगर है तो इसको दिखवा लें । जो यह बेमेल घटक की सरकार बनी हुई है उसमें आपस में मारा मारी से इस पर क्या फर्क पड़ा इसकी भी जांच करा लें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी ने जो बात कही, जैसे प्रतिदिन इधर से उधर आक्षेप लगता है उधर से इधर आक्षेप लगता है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आनपारा ए जापान ने नहीं बनाया, बी जापान ने बनाया, सी पर तत्कालीन सरकार ने उस समय की परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया, सी० बी० आई० से जांच नहीं करा रहे हैं । हम जापान सरकार के सम्पर्क में हैं उस सरकार की प्राथमिकता में आनपारा सी है ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

आप बता रहे हैं पी० एल० एफ० बढ़ा है दूसरी तरफ कटौती भी बढ़ रही है यह विरोधाभास लग रहा है । क्या पी० एल० एफ० के बढ़ने का सत्यापन किसी विशेषज्ञ समिति से कराने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इन्सटाल्ड केपिसिटी–वैह दोनों सामने होती है किसी एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत नहीं है। उत्पादन निगम में चेयरमैन मेम्बर्स सब ही विशेषज्ञ हैं।

प्रदेश में ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियों को प्राइवेट सेक्टर में विक्रय करने का निर्णय

**2—श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में व्यापक स्तर पर ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियों को प्राइवेट सेक्टर में विक्रय करने का अभी हाल में कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बिजली देयों के दस बकायेदार व उनसे वसूली की कार्यवाही

*1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदार कौन-कौन हैं ? क्या इनमें सरकारी विभाग भी सम्मिलित हैं ? यदि हां, तो उनके बकाये की धनराशि कब से देय है और उसे वसूल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रदेश के बिजली के देयों के दस मुख्य बकायेदार निम्नलिखित हैं :—

(1) आई० डी० पी० एल० ऋषिकेश।

(2) एन० पी० सी० एल० नोयडा।

(3) जी० एम० वाटर वर्क्स, कानपुर।

(4) सोमानी आयरन एण्ड स्टील लि०, उन्नाव।

(5) हिन्डालको रेनूकूट, सोनभद्र।

(6) कजरहट चुनार सीमेन्ट, सोनभद्र।

(7) डाला सीमेंट फैक्ट्री, डाला।

(8) मुख्य नगर अधिकारी, कानपुर।

(9) के० सी० सी० पी० चुनार सीमेंट।

(10) नोवा उद्योग लि०, हल्द्वानी, नैनातील।

जी हां।

औसतन 10 वर्ष से। शासकीय विभागों पर बकाया विद्युत देयकों के भुगतान हेतु विगत वर्ष की बिलिंग के आधार पर बजट में प्राविधान किया जाता है तथा स्थानीय निकायों/जल संस्थान पर देयकों के भुगतान हेतु मण्डलायुक्तों से बाउचर सत्यापित कराये जाने का प्राविधान किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, जो 10 बकायेदार की सूची दी है इन पर कितना बकाया है उनकी वसूली की क्या कार्यवाही हो रही है ? मंत्री जी ने कहा था कि अगर गांवों में वसूली की व्यवस्था हो जाये, सदस्यगण सहमत हों जायें तो शत प्रतिशत विद्युत दी जा सकती है। जहां गावों में मान्यवर, अधिकतम बकाया हजारों या लाखों में हो सकता है तो यह जो 10 बड़े बकायेदार हैं इनसे वसूली हो सकती है। विद्युत सप्लाई–उससे हमारे प्रदेश की जो कटौती हो रही है और आज गांव के लोग किसान, मजदूर, व्यवसायी, विद्यार्थी–चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है तो इनसे वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आई० डी० पी० एल० पर 191 करोड़ रु० एन० पी० सी० एल० पर 77 करोड़ रु०, वाटर वर्क्स कानपुर पर 59 करोड़ रु०, सोमानी पर 141 करोड़ रु०, हिन्डालको पर 31 करोड़ रु०, चुनार सीमेन्ट पर 25 करोड़ रु०, डाला सीमेंट पर 21 करोड़ रु०, एम० एन० ए० कानपुर 20 करोड़, के० सी० सी० पी० चुनार पर 16 करोड़ रु०, नोवा उद्योग पर 16 करोड़ रु० बकाया है। मान्यवर, इसमें कुछ पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे रखा है और कुछ को केन्द्र सरकार को लिखा है कि आप अगर स्टेट प्लान से पैसा काट रहे हैं तो इस पैसे को भी एडजस्ट कर दीजिये। कुछ सरकारी विभागों में वसूली के लिए लिखा है जो सरकार का पैसा है उसके लिए एक कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनायी गयी है जिसमें यह जल संस्थान नगर पालिकाओं की वसूली के संबंध में विवाद है ताकि कुछ के खिलाफ सेक्शन 5 में कार्यवाही कर दी है हम सभी इस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह कम्पनी जो सरकारी विभाग है उनसे आप वसूली की कार्यवाही कर रहे हैं उनसे आपको भुगतान होगा या नहीं, पता नहीं लेकिन 3 प्राइवेट कम्पनियां हैं हिन्डालको, सोनभद्र, सोमानी और एन० पी० सी० सी० यह भी प्राइवेट हैं और नोवा उद्योग भी प्राइवेट है तो अगर इसमें देखा जाय तो लगभग 100 करोड़ रुपये का बकाया है और किसान का 50 रुपया 100 रुपया भी बकाया रहता है तो बिजली काट दी जाती है, आम आदमियों की बिजली काट दी जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों का कब से बकाया है और चारों बकायादारों में वसूली का स्टे ले रखा है तो कब से ले रखा है और उसको वैकेट क्यों नहीं करवा पा रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, तर्क तो विभिन्न हैं जो माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया है। नोयडा पर मान्यवर, रेगुलरिटी कमीशन की रिपोर्ट आ गयी है और उस पर सरकार विचार कर रही है, हिन्डालको का विवादित मुद्दा है अब तो वह हमें बिजली दे रहा है लेकिन जब वह लगाया गया था तो उत्पादन शुरू होने से पहले बिजली ली थी जिसमें दर का अन्तर था। हमारे प्रमुख सचिव ऊर्जा एक कमेटी में उस

पर विचार कर रहे हैं, नोवा उद्योग में सेक्शन 5 की नोटिस जारी कर दी है चूंकि यह उत्तरांचल राज्य में चला गया है वहां से यह आया कि यह हल्द्वानी में नहीं दिल्ली में रहते हैं तो उनकी नोटिस हमने दिल्ली भिजवा दी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

हिन्डालको और सोमानी का बता दें कि कब से बकाया है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सोमानी पर 97-98 से बाकी है, एन० पी० सी० सी० को जब से दिया था तब से दर का विवाद चल रहा है, नायर कमेटी, वेग कमेटी बैठी उसने रेगुलरिटी कमेटी को भेजा । इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ कर सकेंगे । नोवा उद्योग का 93-94 का बकाया है ।

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, आपने नोयडा कम्पनी पर लगभग 77 करोड़ पावर कारपोरेशन का बकाया बताया है पिछली बार यह एमाउन्ट 100 करोड़ से ज्यादा का था तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नोयडा पावर कम्पनी को बिल में कुछ छूट दी गयी है और दूसरा, जो यह नोएडा कम्पनी बिल अदायगी नहीं कर रही है तो क्या अगले वर्ष के लिए उसके लाइसेंस को निरस्त करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 100 करोड़ कभी नहीं था उनका लेटेस्ट हमने बता दिया । उन्हें कोई छूट नहीं दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय में सारा मामला पेन्डिंग है और उसके निर्णय के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी 10 बकायादारों की लिस्ट माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बताई कुछ का हाईकोर्ट से स्टे है तो क्या जो दसों कम्पनियां हैं उन पर हाईकोर्ट का स्टे है और अगर उनके ऊपर लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये बकाया है अगर हाईकोर्ट से स्टे नहीं है तो शेष 9 पर स्टे है कि नहीं ? जो गरीब किसान हैं, उनको 150 रुपये बकाया होता है तो उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं और जिन पर 150 करोड़ बकाया है, उनके कनेक्शन क्यों नहीं काटे गये ?

श्री नरेश अग्रवाल–

अलग-अलग श्रेणी में पूछना चाहें तो हम बता दें ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

जो सवाल और जवाब है, मैं उसी में से पूछ रहा हूं । कुछ पर स्टे है और एक का नाम बताया।

श्री अध्यक्ष–

जिन पर स्टे नहीं है, उस पर क्या कार्यवाही हुई है, यह माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जो निजी क्षेत्र हैं, उसमें सबकी बिजली काटी गई है । ऋषिकेश में भारत सरकार की जो फैक्टरी है, उनकी फैक्टरी का कनेक्शन काट दिया गया है, परन्तु लेबर जो रह रहे हैं, उनका कनेक्शन काटने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, इसलिए हमने केन्द्र सरकार को लिखा है कि स्टेट के प्लान से जो पैसा काटते हैं, उसमें इस पैसे को एडजस्ट कर दें ।

श्री राम नरेश रावत–

मान्यवर, नवाब सिंह नागर जी ने जो पूछा, उसका जवाब नहीं आया है कि पहले 100 करोड़ था, अब 17 करोड़ कैसे हो गया ? क्या उन्होंने 23 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा कर दिया है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पता नहीं माननीय सदस्य को यह जानकारी कहां से मिली । हमारे हिसाब से कभी 100 करोड़ नहीं रहा, केवल 17 करोड़ ही है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, पहले बोर्ड था, अब पावर कारपोरेशन है, लेकिन यह सदा ही आर्थिक विपन्नता से गुजरता रहा । धनाभाव के कारण बहुत से कार्य नहीं हो पा रहे हैं । यह जो सूची है, इससे बहुत लम्बी सूची होगी । मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो बड़े बकायेदार हैं, उनके यहां जो रकम बकाया रह जाती है, उसकी के लिए अधिकारियों को जो तत्परता दिखानी चाहिए, वह नहीं दिखाते हैं और उन्हीं की मिलीभगत से संबंधित पक्ष कोर्ट में जाकर स्टे ले लेते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या जो इतनी बड़ी रकम के बकायेदार हैं, उन्होंने जो विभिन्न कारणों को दिखाकर कोर्ट से स्टे ले रखा है, उस स्टे को वैकेट कराने के लिए क्या सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय में कोई पैरवी करने का प्रयास करेगी ताकि जो न्याय नीचे नहीं मिल पा रहा है और अनेक वर्षों से लम्बित है, जिसका कष्ट जनता को भोगना पड़ रहा है, इसके निराकरण करने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

सीधे उच्चतम न्यायालय में कहां जायेंगे !

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, विशेषज्ञ लोग हैं, मेरी तो भावना थी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमने अपने स्तर पर वकील कर रखे हैं, जो बराबर प्रयास कर रहे हैं ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

प्रश्न के दूसरे खण्ड का उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिया है, उसके संबंध में जानना चाहता हूं, उन्होंने बजट में प्राविधान की बात बताई । सरकारी विभाग जैसे सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुधन विभाग या अन्य ऐसे विभाग हैं, जो बकायेदारों की लिस्ट में है, उन पर बिजली का मूल्य कितना बकाया है ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ गया है, जी हां ।

*2—श्री श्याम देव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में गरीबी उन्मूलन हेतु प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी

*3—श्री राम जग (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में गरीबी उन्मूलन हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टंडन)–

जी नहीं, किन्तु शहरी क्षेत्रों की 119 मलिन बस्तियों में सुधार एवं विकास हेतु "महर्षि बाल्मीकि मलिन बस्ती सुधार योजना" लागू किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों को 21% धनराशि स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए निर्धारित है । उक्त निर्धारित धनराशि रु० 119 करोड़ को मात्राकृत करके प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की 119 मलिन बस्तियों के सुधार हेतु योजना तैयार की गयी है । इसके लिए नियोजन विभाग द्वारा परिव्यय आवंटित कर दिया गया है तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को बजट व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया है । उक्त व्यवस्था होते ही उक्त योजना लागू की जायेगी ।

वर्तमान में गरीबी उन्मूलन के संबंध में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं :—

1—ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निम्न योजनायें चलाई जा रही है :—

(I) मजदूरी-परक रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना व सुनिश्चित रोजगार योजना

(II) स्वरोजगार कार्यक्रम

2—नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा निम्न योजनायें चलाई जा रही हैं :—

(I) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

(II) राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के मैदानी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत सप्लाई

*1–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मैदानी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति औसतन 2 या 3 घण्टे अनियंत्रित एवं अनियमित रूप से हो रही है ? क्या इससे किसानों के खेतों की सिंचाई न हो पाने के कारण उन्हें अपूर्णीय क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति दिन 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण वर्तमान परिस्थितियों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सम्भव प्रतीत नहीं होता है ।

प्रदेश में विद्युत परिषद् के विघटन के पश्चात् वसूली गयी धनराशि

*2—कुँ० रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के बाद वसूली का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? उस लक्ष्य के विरुद्ध अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का विघटन दिनांक 14-1-2000 को हुआ था । अतः उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 को हुआ था । अतः उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 (14-1-2000 से 3/2000 तक) राजस्व वसूली लक्ष्य निम्नलिखित है :—

समयावधि	राजस्व वसूली लक्ष्य (रु० करोड़ में)
((1) 14-1-2000 से माह 3/2000 तक	1540
	1646.15 करोड़ रु०

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जब पावर कारपोरेशन बनाया गया था, तब यह था कि चोरी रोकी जायेगी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि 50 प्रतिशत चोरी हो रही है तो मान्यवर, अगर यह आंकड़े देखें तो मात्र 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं हुई है वसूली में । मान्यवर, यह तो हर साल नार्मल कोर्स में होता है । अगर माननीय मंत्री जी 25 प्रतिशत भी लक्ष्य रखें और उस वसूली के लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो बहुत कुछ ऊर्जा की जो समस्याएं हैं वह अपने आप स्वतः हल हो जायेंगी तो क्या माननीय मंत्री जी इस वर्ष 25 प्रतिशत का लक्ष्य रखेंगे और उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं हमने विद्युत सुधार बिल लागू भी किया है । पिछले वर्ष हमने 16 प्रतिशत का लक्ष्य रखा था । इसके लिए अभियान चलाये गये हैं, कल से हम एक अभियान

चला रहे हैं । अगर हम 5 प्रतिशत भी लाइन लॉस कम करते जायेंगे और राजस्व में बढ़ोत्तरी करते जायेंगे तो बहुत कुछ सुधार हो जायेगा ।

*3—डा० सरजीत सिंह डंग–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट को चालू करवाने की मांग

*4—श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या आगरा महानगर का पूरा सीवेज–धाँधूपुरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डालने का कार्य जल निगम आगरा को वर्ष 1996 में सौंपा गया था ? यदि हां, तो वर्ष 1996 से अब तक ट्रीटमेंट प्लांट के चालू न होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस ट्रीटमेंट प्लांट को कब तक चालू करा देगी ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

आगरा महानगर के यमुना नदी में गिरने वाले नालों में प्रवाहित हो रहे सीवेज एवं नगर की वर्तमान सीवेज प्रणाली से आ रहे सीवेज के ट्रीटमेन्ट हेतु यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत प्राविधान करते हुए इस कार्य की योजना वर्ष 1996 में बनाई गयी थी और यह कार्य जल निगम को सौंपा गया है ।

खैराती टोला स्थित मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर विद्युत संयोजन न हो पाने के कारण ।

मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर विद्युत संयोजन का प्रयास किया जा रहा है और निकट भविष्य में विद्युत संयोजन हो जाने पर सीवेज ट्रीमेन्ट प्लान्ट का परीक्षण कर चालू कर दिया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मान्यवर, यमुना एक्शन प्लान में यह कार्य योजना 1996 में जल निगम को सौंपी गयी थी कि आगरा में प्रवाहित होने वाले नाले और सीवेज का सम्पूर्ण मैला इसमें डाल दिया जायेगा और आपने जो जवाब दिया है उसमें है कि खैराती टोला स्थित मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर विद्युत संयोजन नहीं हो सका है और अभी भी यह नहीं बताया कि विद्युत संयोजन कब कर पायेंगे या नहीं कर पायेंगे ? मान्यवर, मैं स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि विद्युत संयोजन के लिए कब एप्लीकेशन दिया गया, कब पैसा दिया गया और अब बिजली संयोजन होने में कितना समय लगेगा और दूसरा धांधूपुरा का पम्पिंग स्टेशन जिसका निर्माण हो गया है और निर्माण होते ही जमीन में धंस गया है क्या आपको इसकी जानकारी है या नहीं ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि विद्युत कनेक्शन मिलते ही उसको चालू कर दिया जायेगा । सीवेज पम्प स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है । लेकिन उसके लिए 375 किलोवाट का अधिभार स्वीकृत था उसको बढ़वाया जाना है । बिजली देयों को लेकर भी विवाद चल रहा था अभी पिछले कुछ दिन पूर्व उस विवाद को समाप्त कर दिया गया है आर अब वहां पर विद्युत संयोजन का कार्य प्रारम्भ हो गया है । इसमें एक महीने का समय लगेगा । एक महीने के अन्दर सीवेज पम्पिंग स्टेशन चालू करा दिया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैंने पूछा था कि पैसा कब जमा कराया गया कितने साल बाद ? 1996 से यह चल रहा है । आगरा शहर के 12 नाले और पूरे शहर का सीवेज यमुना नदी में डाला जा रहा है । यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया लेकिन वहां पर पानी नाम की कोई चीज नहीं है इस वजह से ताजमहल पर भी गन्दगी बढ़ रही है । बहुत शिथिलता बरती जा रही है । मान्यवर, 1996 से वर्ष 2001 का पांचवां महीना चल रहा है अभी तक ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के संयोजन का काम पूरा नहीं हो पाया है । माननीय मंत्री जी, इसको कब तक पूरा करा देंगे तथा धांधूपुरा का पम्पिंग स्टेशन बनते ही धसक गया उसके लिए क्या करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, बढ़े हुए अधिभार को स्वीकृत करने के लिए हमने विद्युत विभाग से निवेदन किया था 12-2-99 को । यह बताया गया है कि पिछले देयों का भुगतान करने के बाद भार अवमुक्त किया जायेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

किस तिथि को धन जमा किया गया, यह बता दीजिए ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, 1 फरवरी, 2001 को जमा किया गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि धांधूपुरा का पम्पिंग स्टेशन जो बनते ही धसक गया, क्या उसकी जांच कराकर अवगत करायेंगे और उक्त पम्पिंग स्टेशन कब तक चालू हो जायेगा ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने इस बारे में नहीं पूछा था । माननीय सदस्य से अब हमें इस बात की जानकारी हुई है । हम इसकी जांच कराकर माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इसे कब तक चालू करा देंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, एक महीने में चालू करा दूंगा ।

प्रदेश के शहरी इलाकों की आवासीय योजनाओं में धार्मिक स्थल हेतु जमीन सुरक्षित करने की जानकारी

*5–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के शहरी इलाकों में विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में मन्दिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारा के लिये जमीन आरक्षित किये जाने को अनिवार्य बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सतीश महाना– .

प्रदेश के शहरी इलाकों में विकसित की जाने वाली आवासीय योजनाओं में मन्दिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारा आदि के लिए भूमि आरक्षित किये जाने को अनिवार्य बनाने हेतु सरकार की कोई योजना नहीं है परन्तु इस प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

नेशनल बिल्डिंग कोड–1983 में सामाजिक, सामुदायिक एवं अन्य सांस्कृतिक सुविधाओं, जिसमें धार्मिक भवन भी सम्मिलित है, के लिए अभिकरणों की भवन उपविधियों के अनुसार ले-आउट प्लान में प्राविधान किये जाने की व्यवस्था है । इस क्रम में प्रदेश की आवासीय योजनाओं में मांग को दृष्टिगत रखते हुए सभी पहलुओं पर विचार कर सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राधिकरणों द्वारा यथासमय प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार कर भूमि के आवंटन पर विचार किया जा सकता है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो कालोनीज विकास प्राधिकरण और प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा बनायी जाती हैं उनमें नियमों, विधियों का ध्यान नहीं रखा जाता है विभिन्न प्राधिकरण जो ले-आउट सैंक्शन करते हैं वह मिलीभगत से करते हैं । और इस तरह की जो आवश्यकताएं हैं उनकी व्यवस्था नहीं की जाती है जिससे कभी-कभी विवाद उत्पन्न होता है । इसलिए अनिवार्य रूप से सभी धर्मों के मानने वालों के लिए व्यवस्था की जा रही है क्या ऐसी कोई योजना लागू करेंगे ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, यह पहले से अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है कि किस धर्म, जाति और सम्प्रदाय के लोग कितने संख्या में किस प्राधिकरण में आकर बसेंगे । अरबन डेवलपमेंट प्लान्ट फार्मूलेशन एण्ड गाइड लाइन्स के मुताबिक 100 प्रतिशत जमीन जहां पर उपलब्ध है वहां पर सड़कों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, पब्लिक यूटीलाइजेशन के लिए भूमि आरक्षित की जाती है । एजूकेशनल रिसर्च, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस परपज के लिए भूमि आरक्षित करने के संबंध में यदि आवेदन आते हैं तो उस पर विचार किया जाता है ।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों हेतु रोजगार परक नीतियों की जानकारी

*6—श्री राम ललित चौधरी (अनुपस्थित)–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या सरकार कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम)–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में कमी आयी है ।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा रोजगार परक नीतियां पूर्व से ही बनायी गयी हैं और उनके आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों हेतु स्वतः रोजगारपरक योजनायें चलायी जाती हैं । यथा–उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर

उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार योजना संचालित की जा रही है जो केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित है ।

अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु उ० प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा मार्जिन मनी ऋण योजना, टर्मलोन योजना व व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना संचालित की जा रही है ।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांगों को रोजगारपरक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के साथ-साथ साथ नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण किया जाता है ।

लखनऊ नगर में सहकारी आवास संघ द्वारा पूर्वी विहार आवासीय योजना अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मांग

*7–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना'' (अनुपस्थित)–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास एवं आवासीय समस्या के समाधान हेतु एवं सरकारी आवास समितियों द्वारा अनियोजित विकास और बगैर मानचित्र स्वीकृत कराये कालोनियां बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु उ०प्र० सहकारी आवास संघ द्वारा 575 एकड़ की पूर्वी विहार आवासीय योजना आरम्भ की गई है ? क्या इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ एवं राजस्व परिषद् द्वारा अनुमति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो इस योजना को स्वीकृति प्रदान करके भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ नगर के सुनियोजित विकास एवं आवासीय समस्या के समाधान हेतु लखनऊ की पंजीकृत सहकारी आवास समितियों को विकसित भूमि उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० सहकारी आवास संघ लि०, लखनऊ की पूर्वी विहार आवासीय योजना हेतु ग्राम–कंचनपुर मटियारी, तकरोही, हरदासी खेड़ा, चिनहट एवं कमता की 656.49 एकड़ भूमि के अर्जन का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ ।

इस योजना हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 5-12-98 द्वारा निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद्, लखनऊ को भेजा गया तथा निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 16-6-99 द्वारा उक्त प्रस्ताव शासन के आवास विभाग को प्राप्त हुआ ।

उक्त प्रस्ताव पर भूमि उपयोग परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त राजस्व विभाग की भी सहमति प्राप्त होने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना संख्या–674/9-आ–3-2001-172 एल०ए०/96, दिनांक 26 फरवरी, 2001 निर्गत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन की तहसील कालपी में बुन्देलखण्ड विकास निधि द्वारा स्वीकृत 33 के०वी० विद्युत सब स्टेशन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

*8–श्री श्रीराम पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु पूर्व से स्वीकृत तथा अर्द्ध निर्मित विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने की कोई कार्य योजना शासन द्वारा तैयार की गई है । यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम अकबरपुर इटौरा में बुन्देलखण्ड विकास निधि को गत वर्षों में स्वीकृति 33 के०वी० विद्युत सब स्टेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिनांक 2-4-2000 को अधिशासी अभियन्ता स्टोर कानपुर को उक्त सब स्टेशन के निर्माण हेतु रु० 300,000/- की धनराशि उपलब्ध होने के बाद अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? क्या इसके लिये दोषी जनों को दण्डित करके अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

वर्ष 2000-2001 की कार्य योजना में 224 नये 33 के०वी० उप-केन्द्रों का निर्माण सम्मिलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य प्रगति पर है और सम्प्रति समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया है कि 224 नये 33 के०वी० के सब स्टेशन खोले जायेंगे । यह नये सब स्टेशन 2000-2001 में खोले जायेंगे तो क्या जो पिछले सब स्टेशन्स थे उनको छोड़ दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह जो 224 सब स्टेशनों की संख्या है यह 1998-99 से लेकर अब तक की संख्या है । उसके पहले की फीगर्स नहीं है । जो विद्युत सब स्टेशन्स अधूरे पड़े हैं हम पहले प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा करेंगे माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न किया है, मैं बताना चाहता हूं कि जिस 33 के०वी० के सब-स्टेशन की बात उन्होंने कही है उसके लिए । करोड़ 13 लाख रुपये मिला है और उसका टेण्डर 16 फरवरी को फाइनल हो गया है, 6 माह में कार्य पूरा हो जायेगा ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जनपद जालौन में अकबरपुर इटौरा के अलावा बहबई और सिरसाकला सब स्टेशन पहले स स्वीकृत हैं । उन पर सिविल और मैकेनिकल वर्क पूरे हो गये हैं । लेकिन ट्रांसफारमर और अन्य मशीनरी नहीं लगायी गयी है । जालौन बुन्देलखण्ड का पिछड़ा जिला है । सरकार ने उत्तराखण्ड और बुन्देलखण्ड में प्राथमिकता के आधार पर बिजली सुविधायें देने की घोषणायें की हैं । क्या माननीय मंत्री जी अकबरपुर इटौरा, सिरसाकला, बहबई, को 6 महीने में पूरा करा देंगे । 16 फरवरी को सरकार द्वारा टेण्डर किया गया है । 4-4 साल टेण्डर करने में लग गये तो क्या इसके लिये जो दोषी अधिकारी हैं उनको दण्डित कराने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रश्न के पहले हिस्से के बारे में सूचना एकत्रित करनी पड़ेगी जिन दोनों सब स्टेशनों की बात आपने कही है । दूसरा प्रश्न आपने जो किया, हम मालूम करेंगे, यदि देरी हुयी है तो जरूर कार्यवाही करेंगे ।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, कुमार गंज विश्वविद्यालय, जनपद फैजाबाद में 132 और 33 के०वी० के सब स्टेशन 1989 से अधूरे पड़े हैं जिससे कास्ट बढ़ती जा रही है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन सब स्टेशनों को कब तक पूरा करा देंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय सदस्य, इस बारे में लिखकर दे दें, इसको दिखवा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

जनपद अम्बेडकर नगर के क्षेत्र कटेहरी में विगत वर्षों में विधायकों की संस्तुति पर चयनित गांवों के विद्युतीकरण की मांग

*9–श्री लालजी वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या माननीय विधायकों की संतुति पर 5 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र कटेहरी, जनपद अम्बेडकर नगर में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में उक्त चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या विलम्ब के लिये दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

वर्ष 98-99 के लिए माननीय विधायक द्वारा संस्तुतित निम्नलिखित पांच ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

क्र० सं०	ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
1	देईपुर	7/99
2	दालया जगदीशपुर	7/99
3	भरहा	7/99
4	कपूरी महमूदपुर	7/99
5	दाउदपुर	6/99

वर्ष 99-2000 के लिए संस्तुतित ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

विद्युतीकरण के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने के कारण ।

आवश्यक सामग्री उपलब्ध होते ही विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ।

विलम्ब के लिए कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पूर्वान्चल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

*10–श्री जगदीश नारायण राय (अनुपस्थित)–

क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि 2000-2001 के अन्तर्गत राज्य अंश रुपये 75 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि किन-किन परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो अब तक उक्त स्वीकृति जारी न किये जाने का क्या कारण है ?

नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश में वर्ष 2000-2001 में मूल बजट के अन्तर्गत रु० 7500.00 लाख तथा अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रु० 3507.11 लाख कुल रु० 11007.11 लाख की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष दिनांक 31-3-2001 तक रु० 11004.124 लाख की स्वीकृतियां निर्गत कर दी गयी है ।

जारी की गई स्वीकृतियों के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु रु० 5248.79 लाख, पुल/पुलियों के निर्माण हेतु रु० 2092.984 लाख, सिंचाई कार्यों के लिये रु० 614.865 लाख, विद्युत कार्यों हेतु रु० 536.72 लाख अन्य मदों के अन्तर्गत पेयजल योजना, नाला निर्माण एवं भवनों के निर्माण हेतु रु० 2510.765 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का पिछड़ेपन दूर करने हेतु सरकारी योजना

*11–श्री राम जग (अनुपस्थित)–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उ०प्र० के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये वर्ष 1990-91 से ही संतुलित क्षेत्रीय विकास पूर्वांचल निधि स्थापित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्ड पम्प लगाने सम्बन्धी नीति की जानकारी

*12–श्री विजयपाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्रों के विधान सभा सदस्यों की राय से इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प लगाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या उस नीति का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं से बिना मांग के विद्युत लोड–2 किलोवाट स्थानीय स्तर के निर्गत किये जाने विषयक जानकारी

*13–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश विद्युत कारपोरेशन लि० द्वारा प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के 1 किलोवाट विद्युत लोड को बिना मांग के एक तरफा 2 किलोवाट करके 350 रु० जमानत राशि बिल में जोड़ कर नवम्बर, 2000 में जमा कराने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश वापस लिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

कतिपय स्थानों पर उपभोक्ताओं द्वारा बढ़ाये गए विद्युत भार को संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार के निर्देश स्थानीय स्तर से निर्गत किये गये थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बढ़ाए गए भार के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर के पहले भाग में कहा है मान्यवर, मैंने पूछा था कि 1 किलोवाट विद्युत लोड को बिना मांग के 2 कि०वाट करके 350 रुपया जोड़कर नवम्बर, 2000 में जमा करने के आदेश दिये गये हैं । क्या सरकार इस आदेश को वापस लेने पर विचार करेगी । मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि "जी नहीं" । मान्यवर, यह आदेश शासन स्तर से नहीं हुआ है तो इसके वापस लेने में "जी नहीं" कहने की क्या आवश्यकता है ? मान्यवर, जिनका भार बढ़ा दिया गया है और जब कोई क्षेत्र में इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने जाता है तो वहां उससे कहा जाता है कि हम बढ़े हुये लोड को कम नहीं कर सकते हैं, अगर कम करेंगे तो आर्थिक आक्षेप हमारे ऊपर आ जायेंगे । तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आदेश निर्गत हुआ है कम से कम उसकी एक प्रति मुझे उपलब्ध करा दें और यह जो आदेश हुआ है विद्युत विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश की जानकारी के लिये क्या इसको जारी कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आज घर घर में लोड बढ़ रहा है । जनपद के जो इंक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उन्होंने [illegible] स्तर से देखा और एक के० वी० की जगह 2 के०वी० कर दिया । इसी बीच यह शिकायत आ[illegible] गरीबों के कनेक्शन को 1 कि०वाट की जगह 2 कि० वाट कर दिया गया है तो 9 मार्च को [illegible] कारपोरेशन ने आदेश जारी किया कि अगर बिना किसी कारण के लोड ज्यादा कर दिया है तो वह लोड कम करें और बिल में सुधार करें । मैं आदेश की प्रतिलिपि डा० बाजपेयी जी को आज प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद उपलब्ध करा दूंगा ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, क्या प्रदेश मुख्यालय से सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जायेगी । गरीब लोगों के कनेक्शन को न्यूनतम 2 के०वी० कर दिया गया है और 350 रुपये की जमानत राशि बढ़ा दी है । मैं आभारी हूं कि आप आदेश की प्रति मुझे उपलब्ध करा देंगे लेकिन मेरा निवेदन है कि पूरे प्रदेश के लिये एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, यह बयान जारी करा देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि० द्वारा रिंग मेन यूनिट का क्रय इग्लैंड से किये जाने का औचित्य

*14–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि० में अब तक 11 के०वी० के कितने रिंग मेन यूनिट खरीदे गये थे ? उनमें कितने प्रयोग में लाये गये और कितने अभी तक पड़े हुये हैं ? क्या यह सही है कि इस वर्ष 500 नग रिंग मेन यूनिट इग्लैंड से और खरीदे जा रहे हैं ? इसका क्या प्रयोजन है ? इसमें कितना धन खर्च होगा ? क्या यह सही है कि इसमें कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि भारत की कोई फर्म टेण्डर में भाग न ले सके ? यदि हां, तो क्यों ?

नोट :–[illegible] के तारांकित प्रश्न सं०–13 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां । 40 नग ।

11 नग 11 केवी रिंग मेन यूनिट वितरण संगठन के अधिकारियों को प्रयोग करने हेतु निर्गत किए जा चुके हैं तथा शेष 29 नग रिंग मेन यूनिट भण्डार खण्डों में उपलब्ध हैं ।

जी नहीं । 296 नग 11 केवी रिंग मेन खरीदे जा रहे हैं ।

इस उपकरण के उपयोग से लेसा की वितरण व्यवस्था में स्काडा सिस्टम लागू करने में मदद मिलेगी जिससे 11 केवी पर प्रोटेक्शन सिस्टम प्रभावी होगा एवं ब्रेकडाउन में कमी आयेगी । इसके उपयोग से 11 केवी फीडर में क्षतिग्रस्त परिवर्तक/केबिल के सेक्शन को काटकर उस क्षेत्र की आपूर्ति दूसरे परिवर्तक/केबिल से रिंग मैन यूनिट में लगे स्विच/सर्किट ब्रेकर के द्वारा अल्पवधि में जोड़ी जा सकती है ।

इसमें लगभग रु० 6.21 करोड़ धनराशि खर्च होगी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत लखनऊ महानगर में अस्थायी संयोजन पर प्रतिवर्ष अरबों की क्षति की सी०बी०आई० जांच की मांग

*15–श्री हरदेव सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत लखनऊ महानगर में अस्थायी संयोजन पर प्रतिवर्ष एक करोड़ से अधिक की हो रही राजस्व हानि एवं सम्पूर्ण प्रदेश में अरबों रुपये की हो रही क्षति की सी०बी०आई० जांच कराने संबंधी श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ०प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 2-9-99 अध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त पत्र के साथ संलग्न नगर निगम के पत्र दि० 29-1-99 के अनुसार 106 लोगों द्वारा आयोजित आयोजनों के लिए पार्कों का आवंटन हुआ है, जिनमें से 26 आयोजन के लिए विधिवत विद्युत संयोजन दिया गया है । शेष आयोजनों में प्रकाश की व्यवस्था जनरेटर के माध्यम से आयोजनकर्ताओं द्वारा की गई संभावित है प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के पत्र में आरोपित बिन्दु की सी०बी०आई० से जांच कराने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की गिरती दशा सुधारने हेतु कार्य योजना की जानकारी

*16–श्री यशपाल सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की गिरती हुई दशा को सुधारने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

इस हेतु ओबरा, पनकी, हरदुआगंज, अनपरा तथा परीक्षा ताप विद्युत गृहों की आर० एण्ड एम०/रिफर्बिशमेन्ट योजनायें बनाकर पी०एफ०सी० को प्रेषित कर दी गयी है । इसमें रु० 153.71 करोड़ लागत की आर० एण्ड एम० योजनाओं तथा रु० 875.00 करोड़ की ओबरा 5×200 मेगावाट रिफर्बिशमेन्ट योजना के विरुद्ध पी०एफ०सी० द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया गया है, अन्य योजनायें ऋण स्वीकृत हेतु अभी पी०एफ०सी० में लम्बित है ।

अनपरा "अ" एवं "ब" परियोजना अनपरा सोनभद्र के विस्तार के रूप में 2×500 मेगावाट के निर्माण हेतु लगभग रु० 3350 करोड़ के लिए वित्त पोषण पावर फाइनेन्स कारपोरेशन अथवा जे०वी०आई०सी० जापान आदि से करवाने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है । धन की उपलब्धता के अनुसार कार्यान्वित की जायेगी, जिससे कि ताप विद्युत गृहों के उत्पादन में वृद्धि हो सके

वर्तमान में पुराने जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार एवं जीवनवृद्धि की कार्य योजना तैयार की गयी है, इस कार्य हेतु मेसर्स पावर फाईनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली से ऋण लिया जा रहा है । कारपोरेशन द्वारा निगम के तीन परियोजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत कर दिया गया है :–

1–छिबरों (4×60 मेगावाट) रु० 14.63 करोड़

2–खोदरी (4×30 मेगावाट) रु० 7.35 करोड़

3–चीला (4×36 मेगावाट) रु० 32.97 करोड़

लखनऊ में रायबरेली मार्ग पर एलडिको द्वारा निर्मित मकान मानचित्र व मानक के अनुरूप न होने की जांच

*17–श्री रमेश राही–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में रायबरेली मार्ग पर उद्यन–1 उद्यन–2 में एलडिको द्वारा बनाये गये आवास क्या नक्शे के अनुसार बनाकर आवंटित किये गये हैं ? क्या यह सही है कि निर्मित मकान की दीवाले 9 इंच के स्थान पर 4 इंच कर दी गई है ? यदि हां, तो जिन आवंटियों को मकान उपलब्ध कराया गया है क्या उनको एलडिको द्वारा मानक के अनुसार 9 इंच की दीवाल हेतु लिये गये धन को वापस किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू-विन्यास एवं ऋण लेने हेतु प्रस्तावित भवन मानचित्र पर हडकों की तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 9-7-1992 एवं 21-12-1993 द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवनों को बनवाकर आवंटित किया गया है ।

जी नहीं । हडकों द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र के अनुसार सामने एवं पीछे की दीवारें 9 इंच की है तथा कामन पार्टिशन वॉल 4.5 इंच की है एवं इसी के अनुरूप ही भवनों का निर्माण हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

विद्युत परिषद् कन्या इण्टर कालेज कासिमपुर अलीगढ़ में प्रवक्ता के पद पर अवैध नियुक्ति की जांच

1–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता उ०प्र० (जल विद्युत) के पत्रांक 1938/दिनांक 21-6-1997 द्वारा कु० बबीता रानी की प्रवक्ता पद पर तदर्थ रूप से विद्युत परिषद् कन्या इण्टर कालेज, कासिमपुर, अलीगढ़ में नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त चयन विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया गया था ? यदि नहीं, तो नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध अवैध रूप से नियुक्ति प्रदान किये जाने के कारण क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षक विनियमावली–1975 निहित अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त विशेषाधिकार के अन्तर्गत प्रवक्ता के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि० देहरादून के अन्तर्गत अनूसूचित जाति के अधिशासी अभियंता के निलम्बन की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

2--श्री विद्यासागर गुप्त--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के अधिशासी अभियन्ताओं, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०, देहरादून का लगातार कई-कई बार निलम्बन किये जाने के संबंध में सी० बी० आई० जांच हेतु माननीय जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 22-5-2000 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन, प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल--

जी हां ।

श्री रामायण राम अधिशासी अभियंता (जनपद) के निलम्बन संबंधी प्रकरण की जांच कारपोरेशन की जांच समिति द्वितीय द्वारा की जा रही है । कारपोरेशन मुख्यालय के 05 डी० सेक्शन की पत्रावलियों के गायब/लम्बित होने की विभागीय जांच कराई गई, जिसमें कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के वक्फ एकजेम्टेड लिस्ट पर अनाधिकृत निर्माण रुकवाने विषयक शिकायती-पत्र

3--श्री सौलत अली एडवोकेट--

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र दिनांक 25-3-1998 जो जनपद शाहजहांपुर के वक्फ नं० 3 एकजेम्टेड लिस्ट पर अनाधिकृत निर्माण को रुकवाने के लिए जिला प्रशासन शाहजहांपुर को लिखा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिला प्रशासन ने इस निर्माण को रुकवा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (श्री राजा गज़नफ़र अली खां)--

जी हां ।

प्रश्नगत स्थल पर अवस्थित निर्माण विनियमित क्षेत्र घोषित होने के पूर्व के हैं अतएवं नियमानुसार पुराने निर्माण कार्यों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

जनपद मुरादाबाद के मदरसा दरसगाहे आलिया इस्लामियां शरीफ में अनियमित स्टाफ को वेतन भुगतान करने वाले दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4--श्री सौलत अली एडवोकेट--

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा दरसगाहे आलिया इस्लामियां शरीफ नगर जिला मुरादाबाद के नियमित अध्यापकों व कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट सं०-30158/93 आदेश दिनांक 27-8-93 द्वारा प्रत्येक माह बिना विलम्ब के वेतन दिये जाने का आदेश दिया है ? क्या रिट संख्या-22037/98 में दिनांक 12-8-99 को शासन द्वारा दिए गये प्रतिशपथ पत्र में मो० सिद्दीक आदि को मान्य स्टाफ मानते हुए वेतन भुगतान की संस्तुति की गई है ? क्या अन्य किसी को नियमित नहीं माना गया है ? यदि हां, तो क्या नियमित स्टाफ

मो० सिद्दीक (प्र०अ०) आदि के स्थान पर अनियमित व्यक्तियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गज़नफ़र अली खां–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर व जनदीर बाजार तथा लखनऊ इस्लामिया कालेज के पीछे पंजीकृत अचल वक्फ सम्पत्तियों की फर्जी रजिस्ट्री/नाजायज कब्जों को हटाने की मांग

5–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के गठन के बाद ग्राम मजवाई, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद व जनदीर बाजार, लखनऊ इस्लामिया कालेज के पीछे पंजीकृत अचल वक्फ सम्पत्तियों (जमीन) की खुलेआम खरीद फरोख्त फर्जी रजिस्ट्री करवाकर नाजायज कब्जे किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करके वक्फ बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जे हटवाकर पुनः वक्फ बोर्ड के कब्जे में दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गज़नफर अली खां–

जी हां ।

प्रकरण में हुई जांच के आधार पर दोषी व्यक्ति के उत्तरदायित्व का निर्धारण तथा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–54 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में राष्ट्रीय मार्गों पर ठेकेदारों द्वारा टैक्सियों से टोकन/टीका शुल्क वसूली पर रोक लगाये जाने की मांग

6–श्री सीताराम निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के प्रत्येक शहर/कस्बा आदि में टैक्सी स्टैण्ड हेतु महानगर पालिका/नगर पालिका परिषद् द्वारा नीलामी की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या ठेकेदारों द्वारा राष्ट्रीय मार्ग पर खड़ी टैक्सियों से टोकन/टीका शुल्क रु० 50 से 80 प्रत्येक टैक्सी धारकों से प्रतिदिन वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो किस नियम/विधि के अनुसार ? क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार उपविधि का गठन कर निकाय भूमि पर बने टैक्सी स्टैण्ड की नीलामी की जाती है ।

राष्ट्रीय मार्ग पर यह शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत लेसा लखनऊ में कम्प्यूटर फीडिंग में अरबों रुपये के घोटाले संबंधी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

7–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत लेसा, लखनऊ में कम्प्यूटर फीडिंग में अरबों रुपये हुए घोटाले संबंधी माननीय भानुप्रताप सिंह वर्मा सांसद का पत्र दिनांक 25-11-97 जिसको मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन ने अपने पत्र संख्या–870/एम०पी०/97, दिनांक 26-11-97 द्वारा प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को त्वरित कार्यवाही हेतु भेजा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

8–श्री हरदेव सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लखनऊ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत विद्युत प्रेषण खण्ड सुल्तानपुर के कर्मचारियों को नगदीकरण का भुगतान

9–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत विद्युत प्रेषण खण्ड, सुल्तानपुर के कर्मचारियों को जनवरी, 1999 से मार्च, 1999 का नगदीकरण का भुगतान आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों के नगदीकरण का भुगतान कब कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं, भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10–श्री हरदेव सिंह तथा श्री जय प्रकाश–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम के मुख्य अभियन्ता (परि० एवं निर्माण) देहरादून द्वारा मकान किराये भत्ते का भुगतान कराने की मांग

11–श्री हरदेव सिंह तथा श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (परि० एवं निर्माण) देहरादून द्वारा मकान किराया भत्ता न देने की जांच के संबंध में प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र दिनांक 7-7-2000 जो कि मुख्य महाप्रबन्धक, जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

इस परियोजना के अधीन कार्यरत श्री नन्दलाल जायसवाल कार्यालय सहायक द्वितीय जो मुख्य अभियन्ता (परि० एवं निर्माण) जल विद्युत परियोजनाएं देहरादून के कार्यालय ज्ञापन सं०–3155–मु० अभि०/परि तद्दिनांक 29-9-2000 द्वारा मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है और मकान किराया भत्ता का बीजक के भुगतान की राशि आहरण एवं वितरण इकाई में उपलब्ध है किन्तु श्री जायसवाल अपने कार्य से दिनांक 21-9-2000 से अनुपस्थित चल रहे हैं । अतः उपरोक्त धनराशि उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई है । कार्यालय में पुनः उपस्थित होने पर स्वीकृत धनराशि उन्हें प्राप्त करा दी जायेगी ।

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं उच्च अधिकारियों द्वारा करोड़ों के घोटाले संबंधी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

12–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 12-6-99 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से कोई वार्ता हुई थी ? क्या यह सही है कि अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् एवं अन्य अधिकारियों द्वारा 5000 करोड़ के किये गये घोटाले की साक्ष्यों सहित कोई सूची श्री राम दौर सिंह, संगठन मंत्री द्वारा सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

भारतीय मजदूर संघ तत्कालीन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 12-6-99 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से वार्ता होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

मा० रामदौर सिंह, संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, उ०प्र० का तत्कालीन उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् सम्प्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में व्याप्त भ्रष्टाचार को जांच से संबंधित पत्र दिनांक 12-6-99, जो पूर्व में उपलब्ध नहीं हो पाया था की प्रति उपलब्ध कराने हेतु मा० राम दौर सिंह का पत्र भेजा गया । उनसे उक्त पत्र की प्रति दि० 12-1-2000 को प्राप्त हुई ।

पत्र में उल्लिखित अनियमितताओं की जांच उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है तथा श्री नन्दलाल जायसवाल के वेतन भुगतान हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को पूर्व में निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं जल विद्युत निगम में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में जांच कराये जाने संबंधी मा० भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 1-3-2000 एवं श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 1-3-2000 मुख्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत लखनऊ में कम्प्यूटर फीडिंग में अरबों के घोटाले विषयक शिकायती-पत्र

14–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत लेसा, लखनऊ में कम्प्यूटर फीडिंग में अरबों के किये गये घोटाले संबंधी माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 25-11-97 जिसको मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन ने अपने पत्र संख्या–870/एम०पी०/97, दिनांक 26-11-97 द्वारा प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को कार्यवाही हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष के विरुद्ध अवमानना विषयक प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

15–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद, मुख्य मंत्री, उ० प्र० एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 16-8-99 जिसमें पूर्व सचिव, पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के विरुद्ध की गयी अवमानना का विषय सन्दर्भित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में राज्य सतर्कता जांच की प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र में अंकित पूर्व सचिव पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद् में योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश कोषाध्यक्ष उ०प्र० विद्युत मजदूर संघ की अवमानना किये जाने के आरोप निराधार पाये गये क्योंकि उक्त कोषाध्यक्ष को, प्रशासनिक आधार पर महाप्रबन्धक विद्युत परियोजनाए देहरादून में तैनाती की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने संबंधी पत्र पर कार्यवाही की मांग

16–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने विषयक माननीय जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 30-6-2000 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उ० प्र० अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक यू० पी०- पावर कार्पोरेशन लिमिटेड तथा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को सम्बोधित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

श्री उदयवीर सिंह आलेखक, कार्यालय विद्युत जनपद निर्माण खण्ड इलाहाबाद का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर विद्युत वितरण मंडल द्वितीय इलाहाबाद के लिये किया गया था । श्री सिंह द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है । याचिका में मा० न्यायालय के अन्तरिम आदेश पर श्री सिंह का स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के अतिरिक्त महामंत्री विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ को निलम्बित कर परिसम्पत्तियों की जांच संबंधी पत्र पर कार्यवाही की मांग

17–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत श्री तीरथ सिंह रावत, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 3-7-2000 जो कि मुख्य सचिव को सम्बोधित और जो अतिरिक्त महामंत्री विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, उ० प्र० को निलम्बित कर उनकी परिसम्पत्तियों की जांच विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्र पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में नालों की खुदाई व डी०आर०डी०ए० योजना से कराये गये कार्यों में घोटाले संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

18–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में नालों की खुदाई में नाला लालपुर व छोटी कोसी की डी०आर०डी०ए० योजना से कराये गये कार्यों में हुये घोटाले के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–/29793/मथुरा/00 दिनांक 3-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां ।

संदर्भित कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कराया गया है । प्रश्नगत शिकायती-पत्र के संदर्भ में उक्त कार्यों की जांच जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, मथुरा एवं सहायक अभियंता, डी०आर०डी०ए० मथुरा की संयुक्त समिति द्वारा की गई । जांच आख्या के आधार पर मुख्य रूप से यह पाया गया कि नालों की ऊर्ध्वाधर खुदाई की गई है, निकाली गई मिट्टी की सही तरह से दरेशी नहीं की गई है, वर्ग भी नहीं छोड़े गये हैं तथा झुण्ड गुंज आदि ठीक से साफ नहीं किये गये हैं तथा पाई गई कमियों के आधार पर सम्पादित कार्यों में रु० 1.18 लाख की कटौती की गई है तथा संबंधित अवर अभियन्ताओं एवं सहायक अभियंता को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने तथा एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिये गये हैं ।

जनपद मऊ मदरसा असगरिया मिफताउल ऊलूम अरसावां योगीपुरा में कार्यरत अध्यापकों कर्मचारियों की संख्या तथा विद्यालय भवन हटाने की मांग

19–श्री अफजाल अहमद–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा असगरिया मिफताउल ऊलूम अरसावां योगीपुरा, जनपद मऊ जो वर्ष 1986 से संचालित है, में कितने अध्यापक व कर्मचारी कार्यरत थे ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय भवन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और छात्रों व मदरसा के अध्यापकों को वहां से हटा दिया गया है ? क्या इसकी शिकायत जानमुहम्मद द्वारा दि० 27-9-2000 को ए० डी० घोसी, मऊ से की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गज़नफर अली खां–

मदरसा असगरिया मिफताउल ऊलूम अरसावां योगीपुरा, मऊ वर्ष 1986 से संचालित है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है । मदरसे में केवल तीन अध्यापक कार्यरत थे । मदरसा भवन पर न तो कोई कब्जा किया है और न ही छात्रों/अध्यापकों को वहां से हटाया गया है । जान मुहम्मद द्वारा इसकी शिकायत दिनांक 27-9-2000 को एस०डी०एम० घोसी से की गई थी । जांचोपरान्त एस०डी०एम० घोसी ने तहसीलदार घोसी को प्रश्नगत मदरसा जो पोखरी आराजी नं० 432 रकबा 0.086 हे० की भूमि में 0.018 हे० पर अतिक्रमित करके चलाया जा रहा है, बेदखली का आदेश दिया है ।

लखनऊ जल संस्थान में लेखाकारों के पदों पर नियुक्तियां

20–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास विभाग से जारी शासनादेश सख्या 6103/9-3-88/148(1) डब्लू 88 दिनांक 22 अक्टूबर, 1988 के अनुसार शैक्षिक योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को नवसृजित लेखाकार के पदों पर जल संस्थान, लखनऊ में वर्ष 1977 में लेखाकार के पद पर नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त शासनादेश के विरुद्ध की गई नियुक्तियां समाप्त की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

लखनऊ जल संस्थान में वर्ष 1997 में लेखाकार के पदों पर नियुक्तियां वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 1–1802/दस–34(एम)–83, दिनांक 11 अगस्त, 83 में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता के अनुसार की गई है ।

जी नहीं ।

नियुक्तियां नियमानुसार की गई हैं ।

लखनऊ जल संस्थान के अवर अभियन्ता श्री ओ०पी० सक्सेना द्वारा कराये गये फर्जी कार्यों की मांग संबंधी पत्र पर कार्यवाही की मांग

21–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाप्रबन्धक झांसी डिवीजन जल संस्थान झांसी का पत्र दिनांक 12 मार्च, 2000 एवं 15 मार्च, 2000 जो श्री ओ० पी० सक्सेना अवर अभियन्ता जल, जल संस्थान लखनऊ के द्वारा किये गये फर्जी कार्यों की जांच के सम्बन्ध में था, महाप्रबन्धक लखनऊ जल संस्थान लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के कल्याणपुर निवासी श्री बसन्त लाल द्वारा रास्ते में कराये जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाये जाने के संबंध में पत्र

22–श्री उमाकान्त यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भीम प्रसाद सोनकर सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 8-11-2000 जो श्री बसन्त लाल निवासी मकान नं० ए–64 कल्याणपुर जनपद लखनऊ द्वारा रास्ते में कराये जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इसी

सम्बन्ध में श्री राजकुमार, ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण कल्याणपुर का पत्र दिनांक 10 व 14 अक्टूबर, 2000 को थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

संदर्भित पत्र दिनांक 10 व 14 अक्टूबर, 2000 प्राप्त नहीं हुआ है अपितु श्री सोबरन सिंह यादव, श्री राजकुमार सिंह व श्री ओम प्रकाश आदि का एक दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर थाना गुडम्बा के चौकी प्रभारी के जांचोपरान्त यह पाया गया कि विपक्षी द्वारा स्वयं अवैध निर्माण तोड़ा जा चुका है ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ में सी०एण्ड डी० एस० वाहनों के क्रय किये जाने की मांग

23–श्री चेतराम–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के 1ले शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रस्तर–2 में अंकित 1 से 12 तक के सभी वाहन सी० एण्ड डी० एस० तथा जल निगम के वर्तमान एवं भूतपूर्व अधिकारियों के अथवा उनके परिजनों के नाम से हैं तथा उन्हें दोहरा लाभ पहुंचाने के लिए सी० एण्ड डी० एस० के महा प्रबन्धक द्वारा अनुबन्ध किया गया है ? क्या सरकार निगम की जर्जर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की संख्या कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

गाड़ियां आवश्यकतानुसार लगी हुई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के हाफिजपुर विद्युत उपकेन्द्र में मा० न्यायालय के निर्णय अनुसार सहायक सुरक्षा निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति की मांग

24–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फिरतूराम सुपुत्र प्रहरी 400 के०वी० विद्युत निरीक्षक के पद पर करने विषयक गिरीश कुमार पाण्डेय, महामंत्री विद्युत मजदूर पंचायत उ० प्र० का पत्रांक 340/वि०म०प०/2000, दिनांक 2-9-2000 निदेशक (पारेषण) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० अशोक मार्ग लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री राम की पदोन्नति के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका सं०–8057/95, निर्णय दिनांक 7-4-95 तथा कन्टेम्पट नं० 950/95 के निर्णय 7-7-2000 द्वारा पदोन्नति किये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या श्री फिरतूराम की पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

वर्तमान में दि० 14-1-2000 के पूर्व उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के सभी रिक्त पद समाप्त हो गये हैं । अतः सहायक सुरक्षा निरीक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के विद्युत उपकेन्द्र कौड़ीराम में कार्यरत श्री निर्मल खलासी को चिकित्सा उपचार हेतु मुआवजा दिये जाने की मांग

25–श्री अक्षयवर लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 15 मार्च, 2000 को 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र कौड़ीराम गोरखपुर में एम० ओ० टी० बी० पर कार्य करते हुए श्री निर्मल, खलासी विद्युत सप्लाई चालू कर देने के कारण गम्भीर रूप से जल गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य "शट-डाउन" लेकर कराया जा रहा था ? यदि हां, तो विद्युत सप्लाई किस प्रकार चालू कर दी गयी ? इसके लिए दोषी कौन-कौन लोग हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लागों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त कर्मचारी को चिकित्सा उपचार हेतु मुआवजा (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) दिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

श्री निर्मल खलासी की विद्युत दुर्घटना दि० 15-3-2000 को 132 के०वी० उपकेन्द्र कौड़ीराम पर कार्य समाप्त होने के उपरान्त विद्युत सप्लाई चालू होने के पूर्व ही आइसोलेटर पर चढ़ने के कारण हुई जिसका एक शिरा शटडाउन की अवस्था में भी ऊर्जीकृत रहता है ।

जी हां ।

कोई विद्युत सप्लाई नहीं चालू की गई, न ही इसके लिये कोई दोषी है ।

उक्त दुर्घटना की जांच उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा द्वारा की जा चुकी है । उपखण्ड अधिकारी की जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है, जिसके अनुसार कोई दोषी नहीं है वरन् श्री निर्मल खलासी द्वारा भूलवश अचानक आइसोलेटर पर चढ़ने के कारण दुर्घटना घटित हुई है । सहायक निदेशक (विद्युत सुरक्षा) की जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

श्री निर्मल खलासी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति वाउचरों के विरुद्ध कुल देय रु० 6534.75 (रु० छः हजार पांच सौ चौंतीस एवं पचहत्तर पैसे मात्र) का भुगतान दिनांक 17-10-2000 को कर दिया गया है । कोई मुआवजा देय नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में भू-गर्भ जल के गिरते स्तर हेतु सरफेश वाटर के उपयोग हेतु प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी

26–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-गर्भ जल के गिरते स्तर को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल हेतु सरफेश वाटर के अधिकाधिक उपयोग की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सरफेश वाटर का पेयजल सम्पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किये जाने हेतु वर्तमान में बनाये जा रहे बैराज एवं अन्य योजनाओं जो निर्माणाधीन/प्रस्तावित है, की सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 151 पर ।)

27–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

[दिनांक 22-3-2001 को अता०प्र०सं० 175 द्वारा उत्तरित ।

जनपद मेरठ में स्वीकृत विकासपुरी बिजली घर के निर्माण की मांग

28–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मेरठ महानगर में 33/11 के० वी० ए० के विकासपुरी बिजली घर की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति दि० 25-5-99 को दी गई थी ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू न हो पाने के लिए कौन जिम्मेवार है ? क्या सरकार जिम्मेवारी निर्धारित कर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत उपस्थान के निर्माण हेतु दिसम्बर, 2000 तक भूमि का आवंटन न हो पाना और आन्तरिक संसाधनों की अनुपलब्धता है ।

प्रश्नगत प्रकरण में कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेवार नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती लीला गुप्ता की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान की मांग

29–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती लीला गुप्ता पत्नी स्व० श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी पटपट सराय, बाजारगंज, मुरादाबाद को भूमि गाटा सं०-7, 8 व 55 हरथला मुस्तहकम,

मुरादाबाद को वर्ष 1994 में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी ? क्या उसके मुआवजे का भुगतान 30 प्रतिशत अधिग्रहण से पहले और शेष बाद में नियमानुसार किया जाना चाहिये था ? क्या अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिए कौन दोषी है ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों को क्या दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत प्रकरण में यह विवाद है कि भूमि का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अन्तर्गत हुआ अथवा नगर भूमि सीलिंग से प्रभावित होने के कारण शासन में निहित हुई एवं प्रतिकर किसे देय होगा। प्रकरण का निस्तारण विधिक परामर्श के आधार पर किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

एल०डी०ए० कालोनी कानपुर रोड योजना लखनऊ के सेक्टर-एच में पानी/सीवर व्यवस्था ठीक किये जाने की मांग

30–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पत्र संख्या–301/रा० मं०चि०स्वा०-197 दिनांक 12-12-97 जो एल० डी० ए० कालेनी, कानपुर रोड योजना लखनऊ के सेक्टर एच में पानी एवं सीवर व्यवस्था ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

अभिलेखों के आधार पर संदर्भगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु जहां तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर रोड योजना के सेक्टर–एच के पानी एवं सीवर की व्यवस्था को ठीक कराये जाने का संबंध है, इस योजना के अन्तर्गत समस्त सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं तथा उनके पानी एवं सीवर की अस्थाई समस्याओं को समय-समय पर हल किया जाता रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के त्रिवेणी नगर (III) में बड़ी नाली की सिल्ट सफाई संबंधी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

31–डा० इन्द्रदेव सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री नेतराम सिंह सदस्य, विधान सभा का पत्र सितम्बर, 2000 जो लखनऊ स्थित त्रिवेणीनगर (III) में टंकी वाले रोड साईड में स्थित बड़ी नाली की सिल्ट सफाई के संबंध

में था, मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

त्रिवणीनगर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराई जाती है और नाली से निकाली गई सिल्ट का निस्तारण भी करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रिन्सिपल सेक्रेट्री द्वारा अरबों रुपये के भारी आर्थिक अनियमितता की जांच संबंधी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

32–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बृजेश मिश्र, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, प्रधान मंत्री कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्र सं० 600(एसो) 31/सी/28/274/99–ई एस–11 दिनांक 9 मई, 2000 जो अरबो रुपये के भारी आर्थिक अनियमितता की सी० बी० आई० जांच कराने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

सी०बी०आई० जांच में सम्भावित विलम्ब तथा प्रकरण जांच हेतु सी०बी०आई० द्वारा स्वीकार न किये जाने की संभावना और इसके सी०बी०आई० के कार्यक्षेत्र में न आने की दृष्टि से इस प्रकरण में आरोप सं०–1, 2, 3 तथा 8 की जांच उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान से की जा रही है । आरोप संख्या–4, 5, 7 पर विभागीय कार्यवाही की गई/की जा रही है । आरोप सं०–6 प्रमाणित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में ग्लोबल टेण्डर में मास्टर पार्ट नेटवर्क प्रस्तुत न करने से करोड़ों की क्षति संबंधी प्राप्त पत्र पर गतिमान जांच कार्यवाही

33–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्लोबल टेण्डर में मात्र पैड का उपयोग करने वाली विदेशी एवं अन्यों द्वारा मास्टर पार्ट नेटवर्क प्रस्तुत न करने से पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को लगभग 220 करोड़ की क्षति सम्बन्धी मा० भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद का पत्र दिनांक 10-8-99 जो कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव उ० प्र० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल संस्थान लखनऊ में लेखा लिपिको/अन्य लिपिकों की नियुक्तियों की जानकारी

34-श्री अफजाल अहमद तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जल संस्थान, लखनऊ में लेखाकार के पदों पर वर्ष 1997 में कुछ नियुक्तियां हुई थीं ? क्या शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने वाले जल सस्थान, लखनऊ के नियमित लेखा लिपिकों एवं अन्य लिपिकों को शासनादेश दिनांक 19-8-96 द्वारा लेखाकार के पदों को भरा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि लेखा विभाग, जल संस्थान लखनऊ में तैनात लेखाधिकारियों श्री एम० एल० अग्रवाल एवं श्री आर० एन सिंह के छोटे सगे भाइयों श्री गिरिराज किशोर अग्रवाल एवं श्री धमेन्द्र कुमार सिंह दैनिक वेतन भोगी की नियुक्ति बिना अर्हता के सचिव, जल सस्थान लखनऊ के पत्र संख्या 1791/सचिव दिनांक 8-1-97 द्वारा की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनियमित नियुक्ति करने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित करते हुए उक्त नियुक्तियों को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

श्री गिरिराज किशोर एवं श्री धमेन्द्र कुमार सिंह, दैनिक वेतन पर लगभग 8 वर्ष से कार्यरत थे तथा उन्हें निर्धारित अर्हता रखने पर नियमानुसार चयन समिति द्वारा चयनित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियुक्तियां नियमानुसार की गई हैं ।

35-डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

। पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन भोगी लिपिकों की नियुक्तियों में की गई अनियमितताओं की जानकारी

36–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी लिपिकों की नियुक्तियों में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में मा० आवास राज्य मंत्री का पत्रांक 698 बी०आई०पी०/रा०म० अ०/2000 दि० 7 दिसम्बर, 2000 उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मा० राज्य मंत्री जी के पत्र दिनांक 7-12-2000 के साथ माननीय विधायक श्री आचार्य राम देव वैश्य का पत्र दिनांक 5-12-2000 संलग्न था जिसमें मा० विधायक जी ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन भोगी लिपिक के पद पर कार्यरत श्री हरिश्चन्द्र शुक्ल को नियमित करने का अनुरोध किया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार दैनिक वेतन भोगी लिपिकों का विनियमितीकरण में कोई अनियमितता नहीं की गई है। श्री हरिश्चन्द्र शुक्ला अन्य दैनिक वेतन भोगी लिपिक से कनिष्ठ थे, इस कारण अभी इनका विनियमितीकरण नहीं हो सका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड सिरसिया की ग्राम सभा श्री नगर में विद्युत पोलों पर तार खिंचवाने की मांग

37–श्री नेतराम सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद श्रावस्ती, विकास खण्ड सिरसिया की ग्राम सभा श्रीनगर में विद्युत के पोल 10 वर्ष पूर्व लगाये गये थे ? क्या उनमें विद्युत आपूर्ति न होने के कारण अधिकांश तार चोरी हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः तार लगवाकर उक्त ग्राम सभा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

जी नहीं।

खम्भों पर तार खींचे ही नहीं गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती विकास खण्ड सिरसिया की ग्राम सभा श्रीनगर में विद्युत आपूर्ति हेतु 6 कि०मी० लाइन उपकेन्द्र का निर्माण तथा पूर्व में खड़े किये गये खम्भों पर तार खींचना आवश्यक है जिसकी अनुमानित लागत लगभग रु० 6.90 लाख है। धन की व्यवस्था होने एवं समुचित मात्रा में उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत कनेक्शन की मांग आने पर उपरोक्त कार्य किया जाना संभव होगा।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण की नीति एवं विगत वर्ष में विद्युतीकरण हेतु इनकी संख्या बढ़ाने की जानकारी

38–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चयनित असेवित ग्रामों के विद्युतीकरण की नीति क्या है ? क्या सरकार ऐसे असेवित ग्राम, जिनका विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है उनके विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2000-2001 में उनकी संख्या 5 से अधिक करने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री नरेश अग्रवाल–

वर्तमान नीति के अनुसार वर्ष 2000-2001 में माननीय सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा चयनित उनके क्षेत्र के पाँच ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

जा रही ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में ग्रामों की संख्या पांच से अधिक करना संभव नहीं है ।

प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों के प्लान्ट लोड फैक्टर की जानकारी

39-कुं० रेवती रमण सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के तापीय विद्युत गृहों का प्लान्ट लोड फैक्टर वर्ष 1999-2000 में कितना रहा है और इसका अखिल भारतीय औसत कितना है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री सतीश शर्मा)-

उ०प्र० रा०वि०परि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तापीय विद्युत गृहों का प्लांट लोड फैक्टर वर्ष 1999-2000 में 50.71 प्रतिशत रहा है और इसी अवधि में ताप विद्युत गृहों का अखिल भारतीय औसत प्लांट लोड फैक्टर 67.3 प्रतिशत था ।

वर्ष 1998-99 में परिषद् के तापीय विद्युत गृहों का पी०एल०एफ० 49.14 प्रतिशत था जो वर्ष 99-2000 में बढ़कर 50.71 प्रतिशत तथा उत्पादन निगम के गठन के पश्चात् 2000-2001 में दिसम्बर, 2000 तक 57.43 प्रतिशत हो गया है ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् मेरठ के अभियन्ताओं की परिसम्पत्तियों की जांच/वसूली की कार्यवाही

40-श्री तेजभान सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न सं०-32 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखेगी । क्या जांच आख्या के आधार पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी हां ।

जी नहीं ।

स्व० श्री धर्मेन्द्र लाल, जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध डाली गई विविध प्रकीर्ण धनराशि रु० 4,14,892.90 में से रु० 1,41,262.76 की धनराशि की वसूली का समायोजन कर लिया गया है ।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज निवासी श्री नवल किशोर सिंह को दिये गये फर्जी विद्युत कनेक्शन के बिल संबंधी प्रकरण

41-श्री तेजभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सोनभद्र में राबर्ट्सगंज निवासी श्री नवल किशोर सिंह द्वारा दिनांक 25-5-1998 को दो नये विद्युत कनेक्शन हेतु धन जमा किया गया था किन्तु बिना विद्युत कनेक्शन जारी किये ही फर्जी कनेक्शन सं० 25588 तथा 25589 श्री सिंह के नाम जारी दिखाकर बिल भेजे जा रहे हैं क्या इस संबंध में [illegible] सं०-2719/वी०आई०पी०/मंत्री ऊर्जा/98, दिनांक 19-8-99

तथा पत्र सं०-8343/वी०आई०पी०/मंत्री ऊर्जा/98, दिनांक 03-12-99 पर अब तक सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार फर्जी कनेक्शन दिखाकर बिल जारी करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं । प्रथम रसीद संख्या 22/2[illegible]9870 दिनांक 25-5-98 एवं द्वितीय रसीद संख्या 23/2[illegible]9870 दिनांक 25-[illegible] द्वारा धन जमा कराकर कनेक्शन संख्या 25588 एवं 25589 दिनांक [illegible]-98 के सत्यापित कर दिये गये । तत्पश्चात् उक्त दोनों कनेक्शनों का विद्युत बिल श्री सिंह के पास दिनांक 16-11-98 को भेज दिये गये थे । भुगतान न करने के कारण वाणिज्य कनेक्शन का विद्युत विच्छेदन दिनांक 14-2-99 को कर दिया गया था । इन कनेक्शनों के विरुद्ध दिनांक 22-1-99 तक प्रत्येक संयोजन पर रु० 3758.00 बकाया था । कनेक्शन काटे जाने के बाद दुकानदारों के अनुरोध पर और श्री नवल किशोर सिंह की सहमति पर चार नये वाणिज्यिक कनेक्शन दुकानदारों के नाम से अवमुक्त कर दिया गया है । माननीय श्री रवीन्द्र पुण्डीर विधायक जी के पत्र संख्या 2719 दिनांक 19-8-99 का उत्तर पत्र संख्या 5018/वी०आई०पी० दिनांक 28-10-99 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है । माननीय विधायक जी का पत्र संख्या 3843 दिनांक 3-12-99 उपलब्ध प्रतीत नहीं होता है । प्रकरण की जांच करने पर पाया गया कि श्री नवल किशोर सिंह को दो वाणिज्यिक कनेक्शन दिये गये थे और प्रेषित बिल भी ठीक है । अतः इसके लिये कोई अधिकारी/अधिकारिक दोषी नहीं है ।

लखनऊ के त्रिवेणी नगर (III) वार्ड नं० 43 में पानी की टंकी का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

42–श्री अनिल कुमार–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद लखनऊ के पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र के त्रिवेणीनगर (III) में (वार्ड नं० 43) एक पानी की टंकी बन रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त पानी की टंकी किस वित्तीय वर्ष में बनना प्रारम्भ हुई थी तथा कब तक बनकर तैयार होने का समय निर्धारित था ? निर्धारित समय के अन्दर टंकी का निर्माण न कराये जाने हेतु कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, जनपद लखनऊ के पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र के त्रिवेणीनगर (III) में वार्ड नं० 43 में एक उच्च जलाशय निर्माणाधीन है ।

प्रश्नगत उच्च जलाशय का निर्माण वित्तीय वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने हेतु फरवरी, 2000 का समय निर्धारित था ।

स्थानीय विवाद के कारण कार्य स्थल का परिवर्तन, स्वायल की बियरिंग कैपेसिटी अपर्याप्त होने के कारण डिजाइन में परिवर्तन करना तथा अन्य अपरिहार्य कारणों के आधार पर प्रश्नगत निर्माण समयान्तर्गत पूर्ण नहीं हो सका । सम्प्रति उच्च जलाशय की आर०सी०सी० ढलाई का कार्य पूर्ण हो गया है और इसकी टेस्टिंग की तैयारी चल रही है । अतः विलम्ब के लिये कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत लेसा एवं मुख्य अभियन्ता लखनऊ क्षेत्र के भ्रष्टाचारों/ अनियमितताओं के प्रकरण

43-श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत लेसा लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता, लखनऊ, क्षेत्र लखनऊ में 30 नवम्बर, 2000 तक भ्रष्टाचार, गबन प्रशासनिक अनियमितता के कुल कितने मामले चल रहे हैं ? इनमें कितने करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है ? क्षति की वसूली हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ के विरुद्ध अनुचित पदोन्नति की सतर्कता जांच संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक का पत्र दिनांक 12-6-97 जोकि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रश्न से यह ज्ञात हो रहा है कि किस तिथि से 30 नवम्बर, 2000 तक प्रकरणों की सूचना दी जानी है ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्यांचल से कराई गई । जांच के फलस्वरूप, पदोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा किये गये निर्णयों में, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य मंत्री कार्यालय से गायब पत्रों की सी०बी०आई० जांच संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

44-श्री हरदेव सिंह

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 14-3-2000 जो मुख्य मंत्री कार्यालय से गायब पत्रों की सी०बी०आई० जांच के संबंध में था और जो उन्हें एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले से संबंधित पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) उ०प्र० पावर कारपोरेशन द्वारा, जांचोपरान्त शासन को प्रेषित संस्तुति पर कार्यवाही के बिन्दु मुख्य रूप से उक्त पत्र में उठाये गये हैं । इसके अतिरिक्त श्री नन्द लाल जायसवाल के देहरादून से लखनऊ स्थानान्तरण का बिन्दु भी उठाया गया है । जहां तक कथित घोटाले की जांच का संबंध है, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के पत्र, दिनांक 30-11-99 में संस्तुत सी०बी०आई० जांच के स्थान पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णयोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक के पत्र में अन्तर्निहित आरोप बिन्दु 1,2,3 एवं 8 के संबंध में उ०प्र० राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है तथा आरोप बिन्दु 4, 5 व 7 के संबंध में विभागीय जांच संस्थित है । विभागीय जांच से संबंधित

आरोप बिन्दु 4 एवं 7 के सम्बन्ध में जांच आख्या प्राप्त हो गयी है । शेष बिन्दुओं के संबंध में जांच गतिमान है ।

जहां तक श्री नन्दलाल जायसवाल के देहरादून से लखनऊ स्थानान्तरित करने का प्रश्न है इस संबंध में अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों का अन्तिम रूप से आमेलन किये जाने के फलस्वरूप श्री जायसवाल का आमेलन यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० का कर्मचारी होने के कारण श्री जायसवाल को देहरादून से लखनऊ स्थानान्तरित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० में कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

45–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड के अन्तर्गत मा० जय प्रकाश एम०एल०ए० एवं अन्य दो विधायको के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 6-12-2000 जो कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भुगतान से सबंधित था, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० शक्ति भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मा० जय प्रकाश, एम०एल०ए० एवं अन्य दो विधायकों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 6-12-2000 जो कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन भुगतान से संबंधित है, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु जल विद्युत निगम लि० के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय से किया जा रहा है तथा अन्य भुगतान भी निधि की उपलब्धता के आधार पर वरीयता क्रम के अनुसार किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ गोमती नगर विशाल खण्ड–1 शहीद कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय के भवन नं० 1/812 के पार्क में कराये गये कार्यों पर व्यय धनराशि की जानकारी

46–श्री राम औतार शाक्य, श्री राधेश्याम सिंह एवं श्री अक्षयवर लाल–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–123 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन संख्या–1/812 से 1/818 के सामने स्थित पार्क की पुनः सफाई कराकर ट्री गार्ड लगाने तथा पार्क के अन्दर चारों तरफ साफ कर पौधों के रोपड़ एवं पार्क में उगी घास की सफाई कराने में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? क्या यह सही है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त में से बिना कोई कार्य कराये ही धन का आहरण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की स्थलीय जांच कराकर दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये धन की वसूली की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में संदर्भित पार्क की पुनः सफाई कराकर ट्री गार्ड लगाने तथा पार्क के अन्दर चारों तरफ साफ कर पौधों के रोपड़ एवं पार्क में उगी घास की सफाई कराने में कोई धनराशि खर्च नहीं की गई है। पार्क के विकास हेतु मिट्टी भराई कार्य के लिये रु० 32,109.00 तथा ट्री गार्ड लगाकर पेड-पौधे व घास लगाने हेतु रु० 36,000.00 का व्ययानुमान स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में मिट्टी भराई का कार्य कराया जा रहा है। कुल व्यय की सूचना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही बताई जानी सम्भव होगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के थाना आलमबाग के ओम प्रकाश के मकान दुकान पर किराये वसूली हेतु नियुक्त रिसीवर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

47–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेवालाल आदि बनाम श्री ओम प्रकाश 567/99, बरहा रोड, थाना आलमबाग, लखनऊ के वाद सं०–23/93 में न्यायालय द्वारा समस्त मकान व दुकानों के किराये को वसूल कर न्यायालय में जमा करने हेतु एक रिसीवर की नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो रिसीवर द्वारा किस माह से किस माह तक का किराया न्यायालय में जमा किया गया ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या रिसीवर को मकान व दुकानों को किराये की धनराशि से रिपेयर करने हेतु न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया था ? यदि नहीं, तो किन कारणों से रिसीवर द्वारा उक्त मकान दुकानों को रिपेयर के नाम से एक लाख से अधिक धनराशि व्यय दिखायी गयी है ? क्या सरकार रिसीवर द्वारा जमा की गयी धनराशि संबंधियों व उसके आश्रितों को दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करते हुये रिसीवर के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सन्दर्भित भवन के संबंध में आपसी विवाद है जिसके सम्बन्ध में वाद संख्या 23/93 मा० न्यायालय में विचाराधीन है। इसका सम्बन्ध नगर निगम लखनऊ से नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

तदैव।

तदैव।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में जल निगम मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान कराने संबंधी प्रकरण की जानकारी

48–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-11-99, जो जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद में जल निगम के मजदूरों को वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के पारिश्रमिक का भुगतान न किये जाने के संबंध में था सहायक श्रम आयुक्त शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पत्र को सहायक श्रम आयुक्त ने दिनांक 18-11-99 को अधिशासी अभियन्ता जल निगम शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्म पाल सिंह)–

प्रश्नकर्ता मा० सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 13-11-99 प्राप्त नहीं हुआ है अपितु दि० 3-11-99 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

जी हां, दिनांक 3-11-99 का पत्र अधिशासी अभियन्ता जल निगम शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

मा० सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 3-11-99 पर सहायक श्रमायुक्त द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम शाहजहांपुर को नियोजित श्रमिकों की सूची तथा उपस्थिति एवं मजदूरी पंजिका कार्यालय सहायक श्रमायुक्त शाहजहांपुर में उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा मा० सदस्य विधान सभा से भी अनुरोध किया गया कि संबंधित श्रमिकों को भी साक्ष्यों सहित उपस्थित होने हेतु परामर्श देने का कष्ट करें किन्तु न श्रमिक उपस्थित हुए और न ही मा० विधायक जी द्वारा भुगतान हेतु श्रमिकों की कोई सूची उपलब्ध कराई गई । जल निगम के सहायक अभियन्ता उपस्थित हुए और उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान में सम्प्रति कार्यालय की जानकारी के अनुसार किसी का भुगतान शेष नहीं है फिर भी किसी मजदूर के भुगतान न होने की सूची यदि उपलब्ध कराई जाती है तो उसकी जांच करने के उपरान्त यदि भुगतान नियमानुसार देय होगा तो करा दिया जायगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर नगर की मुख्य सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार विषयक शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

49–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-99 जो जिलाधिकारी शाहजहांपुर को तिलहर नगर की मुख्य सड़क के तिराहे से पंजाबी कालोनी तक बनी सड़क के निर्माण में हुये व्यापक भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड आगरा का स्थानान्तरण एवं मानसिक प्रताड़ना संबंधी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

50–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत श्री शफीउल्लाह, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद वितरण खण्ड आगरा का पत्र दिनांक 9-10-99 जो उत्कृष्ट कार्यों के प्रतिफल में स्थानान्तरण एवं मानसिक प्रताड़ना संबंधी था और जो अध्यक्ष, पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में आरोपित एवं सेवा से पृथक किये गये कर्मचारी की नियमित नियुक्ति का प्रकरण

51–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश पत्र संख्या–20/सा०प्र० 98-99 दिनांक 31-10-98 द्वारा आरोपित एवं सेवा से अलग किये गये कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की गयी है ? क्या उक्त कर्मचारी की अक्टूबर, 1998 से अप्रैल, 1999 की सेवा से अलग रहने की अवधि के दैनिक वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति की तिथि से रेगुलर मानकर नियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने का क्या कारण है ? क्या उनसे वरिष्ठ कर्मचारी को भी कार्यालय ल०वि०प्र० संख्या 181/सा० दिनांक 22-11-2000 के क्रम में नियमित नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध लगाया गया आरोप, जांचोपरान्त निराधार पाया गया । परिणामस्वरूप दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारी को सेवा में पुनः वापिस ले लिया गया । संबंधित कर्मचारी की पूर्व में लगातार तीन वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा के आधार पर एवं मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में विनियमितीकरण किया गया ।

जी नहीं ।

संबंधित कर्मचारी से कोई भी वरिष्ठ कर्मचारी विनियमितीकरण हेतु शेष नहीं है । सदर्भित कार्यालय ल०वि०प्र० संख्या 181/सा० दिनांक 22-11-2000 इण्डेक्स नम्बर है । कोई आदेश नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर नगरपालिका परिषद् तिलहर में सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न संबंधी पत्र पर कार्यवाही की मांग

52–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 196370 दिनांक 15-10-2000 जो नगर पालिका परिषद् तिलहर जनपद शाहजहांपुर में हो रहे सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में था, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका तिलहर शाहजहांपुर को दिनांक 18-10-2000 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अधिशासी अधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्राप्त पत्र पर जांच की गई और जांच उपरान्त माननीय विधायक को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, तिलहर शाहजहांपुर के पत्रांक 293 दिनांक 12-12-2000 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के 132 के०वी० उपकेन्द्र सिकन्दराबाद पर मीटरिंग प्रणाली में हेरा-फेरी की शिकायत पर जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जानकारी

53–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 132 के०वी० उपकेन्द्र सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) पर विद्युत आपूर्ति में अनियमितता बरतने, मीटरिंग प्रणाली में हेराफेरी करने आदि शिकायतों की जांच रिपोर्ट दिनांक 3 जून, 1999 को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दण्डित किया गया था ? क्या कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित/सेवा समाप्त कर बहाल कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये सर्वश्री कृष्ण कुमार अरोरा सहायक अभियन्ता एवं अरविन्द मित्तल, अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही का मामला जांच समिति को संदर्भित किया गया है । तथा दोषी तीन तकनीशियनों सर्वश्री श्रीपाल सिंह, जयप्रकाश माथुर व राधाकृष्ण गुप्ता की सेवायें सक्षम नियुक्ति अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी गयी थी । संबंधित कार्मिकों द्वारा सक्षम पुनरीक्षण अधिकारी को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने पर, विचारोपरान्त जांच में तकनीकी खामियों के कारण सेवा में बहाली के आदेश किये गये । प्रकरण का पुनरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश शासन स्तर से दिये गये हैं ।

लखनऊ गोमती एक्शन प्लान में श्री ओ०पी० श्रीवास्तव एवं श्री ए० एन० श्रीवास्तव द्वारा किये गये लाखों रुपये के गबन की जांच

54–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गोमती एक्शन प्लान में मई-जून, 1998 में करीब 14 लाख रुपये से कौन-कौन कार्य कराये गये हैं ? क्या यह सही है कि बिना कार्य कराये ही अवर अभियन्ता श्री ओ० पी० सक्सेना एवं अधिशासी अभियन्ता श्री ए० एन० श्रीवास्तव द्वारा कई लाख रुपये का भुगतान ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन्हें स्थानान्तरित कर इसकी सतर्कता जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ स्थित गोमती एक्शन प्लान के अन्तर्गत मई, जून, 1998 में सीवर लाइन सफाई, मेनहोल मरम्मत एवं सीवर संबंधी अन्य कार्य कराए गयें हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल संस्थान लखनऊ के अवर अभियन्ता के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

55–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता चित्रकूट धाम मण्डल जल संस्थान कर्वी (चित्रकूट) के अधिशासी अभियन्ता श्री आर० पी० एस० परिहार का पत्र दिनांक 28-5-2000 निदेशक, स्थानीय निकाय उ०प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है जो श्री ओ० पी० सक्सेना अवर अभियन्ता, जल संस्थान लखनऊ के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करके आरोप-पत्र तामील कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में विगत कई वर्षों से घोषित अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की जानकारी

56–श्री उदय राज यादव–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में कौन-कौन से ग्रामों को वर्ष 1996-97, 1998-99 व 2000 में अब तक अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? क्या इन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार अम्बेडकर ग्रामों को दी जाने वाली समस्त सुविधायें उपरोक्त ग्रामों को कब तक प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

जनपद उन्नाव में वर्ष 1996-97 में 115 तथा 1998-99 में 70 तथा 1999-2000 में 70 अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ।

वर्ष 96-97 में घोषित 115 अम्बेडकर ग्रामों में से 88 अम्बेडकर ग्राम, वर्ष 98-99 में घोषित 70 अम्बेडकर ग्रामों में 46 अम्बेडकर ग्राम तथा वर्ष 99-2000 में 70 अम्बेडकर ग्रामों में से 29 अम्बेडकर ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है ।

कतिपय मदों में अपेक्षित धनराशि की कमी के कारण कार्य अवशेष है । प्रमुख 11 विकास कार्यक्रमों से अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने हेतु कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, क्योंकि यह आवश्यकता के अनुरूप धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव पुरवा बस स्टैण्ड के सामने बनी नाली की नियमित सफाई की व्यवस्था

57–श्री उदय राज यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि पुरवा, जनपद–उन्नाव बस स्टैण्ड के सामने बनी सड़कों के किनारे वर्ष 1998-1999 में नाली का निर्माण कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के एक तरफ सड़क की सतह से बहुत नीचे निर्माण कराये जाने के कारण नाली पूर्ण रूप से बन्द होने की स्थिति में है ? क्या नाली में जमा पानी सड़ने के कारण संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली की नियमित सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, नगर पंचायत पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा बस स्टैण्ड के सामने जल निकासी हेतु वर्ष 1996–97 में यू टाइप नाली का निर्माण कराया गया था ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

नगर पंचायत पुरवा जनपद उन्नाव द्वारा उक्त नाली की नियमित सफाई कराई जाती है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् में हुये अरबों रुपयों के घोटाले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने संबंधी पत्र पर जांच कार्यवाही

58–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवी प्रसाद सिंह, सांसद (राज्यसभा) एवं चार विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 31-3-2000, जो हजरतगंज थाना लखनऊ में विद्युत परिषद में हुये अरबों के घोटाले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में था, माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित पत्र में पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद् (संप्रति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०) के शासन को सम्बोधित पत्र दिनांक 30-11-99 में चेकर्ड प्लेट एवं फर्जी टावर वेंटिंग तथा अन्य मामलों के संबंध में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) की रिपोर्ट के आरोप बिन्दु 1, 2, 3 व 6 के संबंध में जांच उ०प्र० राज्य सतर्कता अधिष्ठान से एवं आरोप बिन्दु 4, 5, 7 के संबंध में विभागीय जांच के आदेश निर्गत किये गये हैं । विभागीय जांच से संबंधित आरोप बिन्दु 4 एवं 7 के संबंध में जांच पूर्ण हो गई है । शेष बिन्दुओं पर जांच गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

59–श्री जगदीश नारायण राय–

[दिनांक 25-4-2001 को अता०प्र०सं०–178 द्वारा उत्तरित]

जनपद बलिया नगर पंचायत बिल्थरा रोड को सूडा व डूडा के अन्तर्गत विकास योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

60–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत बिल्थरा रोड, जनपद बलिया को वर्ष 1995 से नवम्बर, 2000 तक कितना धन सूडा व डूडा के अन्तर्गत विभाग से दिया गया है ? क्या यह सही है कि विकास के कोई भी कार्य न कराकर सारे धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शासकीय धन की क्षति की वसूली दोषियों से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत बिल्थरा रोड, जनपद बलिया को सूडा व डूडा के अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के लिये वित्तीय वर्ष 1995-96 से 1999–2000 तक रु० 9.89 लाख की धनराशि दी गई ।

जी नहीं । उक्त धनराशि का उपयोग नगर पंचायत बिल्थरा रोड के विकास कार्यों में किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में पूर्वांचल विकास निधि से निर्मित पूर्ण/अपूर्ण सड़कों की जानकारी

61–श्री अफजाल अहमद–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से जनपद जौनपुर में कितने कार्य सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के लिये स्वीकृत किये गये हैं ? उनमें

से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितनी सड़कें धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी हैं ? अधूरी सड़कों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

पूर्वांचल विकास निधि से जनपद जौनपुर में सड़क निर्माण हेतु वर्ष 1998–99 में 82 कार्य, 1999–2000 में 108 कार्य तथा 2000–2001 में 89 कार्य स्वीकृत किये गये हैं ।

इनमें से कुल 142 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है । धनाभाव के कारण किसी भी सड़क का कार्य अधूरा नहीं है ।

अपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों को जून, 2002 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ विद्युत उपकेन्द्र हाफिजपुर के प्रहरी श्री फिरतूराम की पदोन्नति करने संबंधी प्रकरण

62–श्री अक्षयवर लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फिरतूराम सुरक्षा प्रहरी 400 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र हाफिजपुर आजमगढ़ की पदोन्नति सहायक सुरक्षा निरीक्षक के पद पर करने विषयक गिरीश कुमार पाण्डेय, महामंत्री विद्युत मजदूर पंचायत उ०प्र० का पत्रांक 340/वि०म०प०/2000 दिनांक 2-9-2000 निदेशक (पारेषण) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० अशोक मार्ग लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री राम की पदोन्नति के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका सं०–8057/95 निर्णय दिनांक 7-4-95 तथा कन्टेम्पट नं० 950/95 के निर्णय दिनांक 7-7-2000 द्वारा पदोन्नति किये जाने हेतु आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या श्री फिरतूराम की पदोन्नति कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

चूंकि श्री फिरतूराम, सुरक्षा प्रहरी वरिष्ठता सूची दिनांक 26-10-91 के अनुसार वरिष्ठता क्रम में 9वें स्थान पर हैं । अतः अपेक्षित रिक्त पदों के अभाव में उनसे वरिष्ठ सुरक्षा प्रहरियों को अवक्रमित (सुपरसीड) करते हुये सहायक सुरक्षा निरीक्षक के पद पर उनको प्रोन्नत किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है ।

जी नहीं । पदोन्नति दिये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिये हैं ।

उक्त के प्रकाश में प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास विकास परिषद् बदायूं के अवर अभियन्ता की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

63–श्री राम नक्षत्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नेतराम सिंह स०वि०स० कासगंज (एटा) का पत्र दिनांक 27-9-2000 जो श्री एस० के० सोनी अवर अभियंता आवास विकास परिषद् बदायूं की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी बदायूं तथा आवास आयुक्त,

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र जिलाधिकारी बदायूं को प्राप्त होने की सूचना है । परिषद् ने अवगत कराया है कि उन्हें यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ था ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के विषय में जिलाधिकारी बदायूं द्वारा नगर मजिस्ट्रेट बदायूं से जांच कराई गई । नगर मजिस्ट्रेट बदायूं की जांच आख्या अनुसार शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच में कोई आरोप सत्य नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के शिवानी बिहार कालोनी में अवैध पशुशालायें हटाने की मांग

64–श्री छोटे लाल गंगवार–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के प्रथम शुक्रवार के ता० प्रश्न सं०–6 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत शिवानी बिहारकालोनी लखनऊ स्थित आवास संख्या बी–18 के सामने पशुपालकों द्वारा बड़े पैमाने पर पुनः पशुशालायें बनाकर दूध का अवैध व्यापार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान से पशुओं को हटाकर शहर के बाहर करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

श्रीमती जैबुन निशा, श्री कासिम पुत्र गुलाम अली द्वारा आवास संख्या–बी–18 शिवानी बिहार कालोनी के सामने भैंसों को रखकर दूध डेरी का व्यापार किया जा रहा था जिसे दिनांक 28-2-2001 एवं 01-03-2001 को अभियान चलाकर नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है । उक्त स्थल पर पुनः दूध डेयरी स्थापित न हो इसके लिये संबंधित थानाध्यक्ष, गुड़म्बा एवं एस०पी० ट्रांस गोमती को मा० उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है ।

नगर पालिका परिषदों के अकेन्द्रीय कर्मचारियों को जिला पंचायतों की भांति पेंशन लाभ दिये जाने की मांग

65–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद (जिला पंचायत) की भांति क्या स्थानीय निकाय (नगरपालिका परिषद्) स्वायत्तशासी निकाय है ? यदि हां, तो क्या नगर पालिका परिषदों के अकेन्द्रियत कर्मचारियों को भी जिला पंचायतों की भांति पेंशन का लाभ दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषदें स्वायत्तशासी निकाय हैं ।

जिला परिषदें (जिला पंचायत) अलग विभाग हैं, जो नगर विकास विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

नगर पालिका परिषदों के अकेन्द्रीयत सेवा के कर्मचारियों को "उ०प्र० पालिका अकेन्द्रीयत सेवा" सेवानिवृत्त लाभ विनियमावली, 1984 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पेंशन का भुगतान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

66–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[दिनांक 25-4-2001 को अता० प्र० सं० 176 द्वारा उत्तरित]

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कर्मचारियों के समायोजन संबंधी प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

67–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० का पत्र संख्या–1808/प्रशा०अनु०–1/जविनिलि/2000 दिनांक 7-8-2000 जोकि उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कर्मचारियों के समायोजन हेतु वांछित कार्यवाही के सम्बन्ध में था, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित पत्र संख्या 1808 दि० 7-8-2000 श्री नन्दलाल जायसवाल कनिष्ठ पण्डुलिपिक जल विद्युत परियोजनाएं देहरादून के यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० में आमेलन/स्थानान्तरण के संबंध में है। श्री जायसवाल कनिष्ठ पण्डुलिपिक, विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम 2000 के कामन कैडर कार्मिकों की सूची "झ" के अन्तर्गत नहीं आते हैं। बल्कि वे नान कामन कैडर कार्मिकों की श्रेणी से हैं। अतः उक्त स्कीम 2000 की धारा 6(8) के अनुसार आमेलन समिति की संस्तुतियों के आधार पर श्री जायसवाल का यू०पी० पावर कारपोरेशन में आमेलन नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को दो बार निलम्बन संबंधी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

68–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत श्री रामायण राम, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को दो बार निलम्बित करने के सम्बन्ध में उ० प्र० अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का पत्र संख्या–1676(ख)/तीन–27/6974/2000 दिनाक 16-6-2000 निदेशक, कार्मिक एवं प्रबन्धन उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

उ० प्र० अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ को कारपोरेशन के पत्रांक 1383–पीसीएल–05 सी/2000, दिनांक 4-8-2000 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

69–श्री हरदेव सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में 2 करोड़ की बैंक गारन्टी कैश कराने संबंधी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

70–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाईन के निर्माण में 2.00 करोड़ की बैंक गारन्टी कैश करने सम्बन्धी मा० भानु प्रताप सिंह वर्मा सांसद का पत्र दिनांक 31-1-1999 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य बिन्दु उठाये गये हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में उठाये गये मुख्य बिन्दु निम्न हैं :–

1–लाइन निर्माण संबंधी सभी ग्लोबल निविदाओं के प्राइस बिन्दु न खोलना तथा बिना अर्हतापूर्ण हुई निविदाओं को क्रयादेश देना ।

2–दो करोड़ की बैंक गारन्टी न भुनाकर परिषद को आर्थिक हानि पहुंचाना ।

कृत कार्यवाही का विवरण–

उक्त बिन्दु 1 के संबंध में उपलब्ध सूचनानुसार 800 के०वी० आनपारा–उन्नाव पारेषण लाइन का निर्माण दो खण्डों में होना था आनपारा–झूसी एवं झूसी–उन्नाव उक्त कार्य हेतु आमन्त्रित निविदाओं में निम्न फर्मों ने भाग लिया :

(1) मै० ई०एम०सी० कलकत्ता ।

(2) मै० हुण्डई इंजी० एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कोरिया ।

(3) मै० कल्पतरु पावर ट्रान्समीशन लि० गांधीनगर ।

(4) मै० के०ई०सी० इन्टरनेशनल लि० मुम्बई ।

(5) मै० एस०एन०ई० (ई०) लि०, नई दिल्ली ।

निविदा की शर्तों के अनुसार निविदाओं को 6 भागों में खोला जाना था जिसके लिए उक्त बिन्दु (2) एवं (5) पर अंकित फर्मों को अर्ह पाये जाने एवं उस पर परामर्शदाताओं की संस्तुति के आधार पर केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण/ऊर्जा विभाग भारत सरकार एवं ओ०ई०सी०एफ० की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् जनवरी, 1996 में 800 के०वी० आनपारा–झूसी लाइन के लिए मै० हुण्डई इंजी० एण्ड

कन्स्ट्रक्शन कम्पनी कोरिया व झूसी–उन्नाव लाइन के लिए मै० एस०ए०ई० (ई०) नई दिल्ली को अनुबन्ध किया गया ।

उक्त आरोप बिन्दु (2) के संबंध में यह कहना सही नहीं है कि दो करोड़ की बैंक गारन्टी न भुनाकर परिषद् को हानि पहुंचा गया बल्कि फर्म के अनुरोध तथा कार्यहित मे लिये गये निर्णयानुसार फर्म से ब्याज सहित रु० 2,07,33,918/=वापस लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध फर्जी मूल्यांकन संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

71–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध फर्जी मूल्य विचलन रु० 21878955.00 के भुगतान की जांच श्री अरुण कुमार माथुर, मुख्य अभियन्ता (सिविल) वितरण को सौंपने संबंधी मा० हरदेव सिंह विधायक का पत्र दिनांक 10-2-2000 जो कि मुख्य मंत्री, एवं मुख्य सचिव उ० प्र० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित मा० सदस्य के पत्र में इंगित बिन्दुओं पर उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० से तथ्यात्मक आख्या मांगी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के दैनिक श्रेणी लिपिकों व आशुलिपिकों के वेतन उच्चीकृत का प्रकरण

72–श्री जय प्रकाश तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत परिषद (वर्तमान में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ०प्र० उत्पादन निगम लि०, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०) के अन्तर्गत परिषदीय संख्या–915–काविनी/राविप–29/98-18 काविनी/97 दिनांक 11 मई, 1998 द्वारा दैनिक श्रेणी लिपिकों का वेतनमान उच्चीकृत करके मार्च, 88 के बाद नियुक्त आशुलिपिकों के समतुल्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या आशुलिपिकों का भी वेतनमान उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1100-1575 जो अन्य पद धारकों सहित दैनिक श्रेणी लिपिकों को भी अनुमन्य था, में विद्यमान विसंगति के निवारणार्थ प्रश्न में उल्लिखित परिषदादेश द्वारा उसका उच्चीकरण रु० 1200-1800 के वेतनमान में किया गया था । उक्त वेतन उच्चीकरण का मार्च, 88 के बाद नियुक्त आशुलिपिक श्रेणी–3 से समतुल्यता का कोई संबंध नहीं है ।

मार्च, 1988 के बाद नियुक्त आशुलिपिकों के वेतनमान में कोई विसंगति नहीं है, इसलिए उनके वेतनमान उच्चीकृत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड विकास निधि से प्रत्येक जिले को राज्यांश एवं जिलांश समानुपातिक रूप से आवंटित करने की मांग

73–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या नियोजन मंत्री कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि से वर्ष 2000-2001 में बुन्देलखण्ड को कितना धन प्राप्त हुआ है ? क्या विकास का धन प्रत्येक जिले को समान रूप से दिया गया है ? यदि नहीं, तो किस जनपद को कितना धन दिया गया है ? क्या सरकार उक्त विषमता को दूर करके प्रत्येक जिले को राज्यांश एवं जिलांश दोनों का समानुपातिक रूप से [illegible] करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

दिनांक 31-3-2001 तक रू० [illegible] 46 लाख धनराशि स्वीकृत की गई है ।

जी नहीं ।

बुन्देलखण्ड के जनपदों को दिनांक 31-3-2001 तक निम्नानुसार धन प्राप्त कराया गया है :–

क्र०सं०	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रू० में)
1	झांसी	823.29
2	जालौन	929.17
3	ललितपुर	550.40
4	बांदा	1219.23
5	हमीरपुर	481.17
6	चित्रकूट	784.88
7	महोबा	1163.32
	योग	5951.46

जी नहीं ।

जिलांश के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन निर्धारित मानकों के आधार पर एवं राज्यांश के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन अन्तर्क्षेत्रीय विषमता को कम किये जाने के दृष्टिकोण से किया जाता है, अतः समानुपातिक रूप से धन आवंटन किये जाने का औचित्य नहीं है ।

नोएडा पावर कारपोरेशन लि० द्वारा विद्युत आपूर्ति के निजीकरण के अन्तर्गत किये गये अनुबन्ध के क्रियान्वयन की जानकारी

74–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नोयडा पावर कारपोरेशन लि० नामक कम्पनी के साथ 5 वर्ष का अनुबन्ध नोयडा विद्युत आपूर्ति के निजीकरण में किया गया था ? क्या यह सही है कि अनुबन्ध के

साथ यह शर्त थी कि विद्युत की लाइनें सब स्टेशनों की कीमत, उपयोग की गयी विद्युत की कीमत सहित उसका भुगतान 5 वर्ष के अन्दर करके इस अवधि में अपना विद्युत उत्पादन कर उक्त क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करायी जायेगी ? यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी द्वारा सब स्टेशनों और लाइनों की कीमत अदा कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितनी तथा कितनी शेष है ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां । मै० नोएडा पावर कम्पनी नि०लि० तथा पूर्ववर्ती उ० प्र० रा०वि०प० के $4\frac{1}{2}$ वर्ष के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु अनुबन्ध दि० 15-11-93 को निष्पादित हुआ ।

मै० एन०पी०सी०एल० के साथ निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार उनको हस्तान्तरित परिसम्पत्तियों के मूल्य का ब्याज सहित चार वार्षिक किस्तों में भुगतान करना था तथा $4\frac{1}{2}$ वर्ष में आना विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करनी थी ।

कम्पनी ने परिसम्पत्तियों के मूल्य का आंशिक भुगतान कर दिया है ।

परिसम्पत्तियों की मद पर रु० 1010.00 लाख का भुगतान किया गया है तथा रु० 28.97 लाख का भुगतान शेष है ब्याज की मद पर दि० 30-6-2000 तक रु० 839.00 लाख की धनराशि अवशेष है ।

लखनऊ जल संस्थान में विगत 10 वर्षों से कार्यरत कतिपय अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की मांग

75–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद–लखनऊ के जल संस्थान में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता यहीं पर 10–10 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

श्री डी०सी० मिश्रा, अवर अभियन्ता (जल) का स्थानान्तरण वर्तमान स्थानान्तरण सत्र के लिए स्थगित किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्युत संकट के निराकरण हेतु उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं का विवरण

76–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार प्रदेश में बिजली के गम्भीर संकट को दृष्टिगत रखते हुये बिजली उत्पादन करने वाली नवीन इकाइयों की शीघ्र स्थापना करके बिजली उत्पादन बढ़ाने की किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	परियोजना	हस्ताक्षरित क्षमता (मे०वा० में)
1	तापीय	567.00
2	जलीय	724.00
3	लघु जल विद्युत	40.30
4	सह उत्पादन	66.40
5	अन्य	15.00
		1412.70

इसके अतिरिक्त 2x500 मे०वा० अनपरा तापीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती, विकास खण्ड सल्टौआ से कतिपय मुख्य मार्गों के निर्माण संबंधी आगणन की जानकारी

77–श्री राम ललित चौधरी–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर में सोनहा भानपुर तहसील को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग, महनुआ दसिया या दसिया महनुआ के निर्माण के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त बस्ती से माह जुलाई/अगस्त, 2000 में आगणन मांगा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां । मण्डलायुक्त, बस्ती द्वारा भेजा गया "बस्ती वासी मार्ग से दसिया मोहनवा रोड पर दसिया पिच से आगे सिसवा बरुआ तक मार्ग पर मिट्टी एवं खड़न्जा" नामक परियोजना का आगणन जुलाई, 2000 में प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत योजना के लिए आंकलित लागत रु० 26.10 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रु० 13.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

78–श्री जय प्रकाश तथा श्री हरदेव सिंह–

[दिनांक 26-2-1999 को अता०प्र०सं०–97 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत दरियागंज हाइडिल कालोनी के आवासीय भवनों की मरम्मत की मांग

79–श्री जय प्रकाश तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत दरियापुर हाइडिल कालोनी सुल्तानपुर में कुल कितने आवासीय भवन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हैं तथा पिछले 3 वर्षों में मेन्टीनेन्स के मद में उन पर अलग-अलग कितना व्यय किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में श्री राम सहज पाण्डेय, सचिव, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र सं०–9 दि० 29-10-99 जोकि अधिशासी अभियंता, विद्युत परेषण खण्ड, सुल्तानपुर को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्राप्त सूचनानुसार दरियापुर हाइडिल कालोनी सुल्तानपुर में दो अधिकारी वर्ग व 40 कर्मचारी वर्ग के आवास हैं। जिनके मेन्टीनेन्स मद में विगत 3 वर्षों से कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी है।

जी हां।

उक्त आवासों के मेन्टीनेन्स कराने हेतु महाप्रबन्धक (जनपद) को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर तहसील सिधौली की ग्राम सभा हिन्दौरा में विद्युत लाइन चालू कराने की मांग

80–श्रीमती सीमा द्विवेदी–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा–हिन्दौरा, ब्लाक–गोंदलामऊ तहसील–सिधौली जनपद सीतापुर में तार लगवाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र पर राज्य मंत्री ऊर्जा का आदेश संख्या–259/रा०/ऊ दिनांक 18-8-2000 अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो आदेश का अनुपालन न करने वाले दोषी जनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

जी हां, ग्राम हिन्डौरा ब्लाक गोंदलामऊ तहसील सिधौली जनपद सीतापुर की लाइन में तार चोरी के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द थी। चोरी गये तार के स्थान पर तार लगवाकर दिनांक 22-12-2000 को ग्राम की आपूर्ति पुनः चालू की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर में बने विद्युत सब स्टेशन से विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से कराने की मांग

81–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में कबीरूद्दीनपुर में बने 33/11 के०वी० विद्युत स्टेशन को सरैया फीडर जो अत्यधिक पुरानी है से जोड़ दिये जाने के कारण वहां मे विद्युत सप्लाई सुचारु

रूप से नहीं हो रही है ? क्या सरकार सरैया फीडर के विद्युत तारों के सुधार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल--

जी हां !

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल विकास निधि से जनपद जौनपुर के प्रस्तावों की स्वीकृतियां जारी किये जाने की मांग

82–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में क्या पूर्वांचल विकास निधि की स्वीकृतियां जारी हो गयी हैं ? यदि हां, तो कब ? क्या जनपद जौनपुर में प्रस्तावों की स्वीकृतियां अभी तक जारी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी स्वीकृतियां जारी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां । पूर्वांचल विकास निधि के लिए कुल प्राविधानित धनराशि रु० 18507.11 लाख में से जिलांश के अन्तर्गत रु० 7500.00 लाख की धनराशि दिनांक 8-5-2000 व 3-7-2000 को संबंधित जनपदों को आवंटित की जा चुकी है । राज्यांश में दिनांक 31-3-2001 तक कुल रु० 11004.124 लाख की स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के लिए मात्राकृत जिलांश की धनराशि रु० 442.27 लाख की स्वीकृतियां दिनांक 23-3-2001 तक तथा राज्यांश के सापेक्ष रुपया 202.963 लाख की स्वीकृतियां दिनांक 31-3-2001 तक निर्गत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया नगर पंचायत बिल्थरा के चेयरमैन का वित्तीय अधिकार सीज करने संबंधी प्रकरण

83–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत, बिल्थरा रोड जनपद बलिया के निर्वतमान चेयरमैन का वित्तीय अधिकार वर्ष 1995 से अक्टूबर, 2000 के मध्य कब-कब सीज किया गया था ? क्या यह सही है कि वित्तीय अधिकार सीज होने के बाद भी उन्होंने सरकारी धन का भुगतान अनियमित कार्यों को दर्शाकर कर दिया है ? यदि हां, तो इससे कितनी क्षति हुई है ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत बिल्थरा रोड जनपद बलिया के निर्वतमान चेयरमैन श्री अशोक कुमार "मधुर" के वित्तीय अधिकार कभी सीज नहीं किये गये थे ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद सहारनपुर में श्रम न्यायालय की स्थापना का विचाराधीन प्रकरण

84–श्री संजय गर्ग–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-9-2000 जो जनपद सहारनपुर में श्रम न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

जनपद सहारनपुर में श्रम न्यायालय की स्थापना का प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

85–श्री संजय गर्ग–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सहारनपुर नगर पालिका परिषद् में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने का प्रकरण

86–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों के कुल कितने पद सृजित हैं ? उक्त पदों पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा कितने रिक्त पद हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने हेतु चयन प्रक्रिया की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगरपालिका परिषद्, सहारनपुर में सफाई कर्मचारियों के 934 पद सृजित हैं जिसके समक्ष [illegible] पदों पर सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 108 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग के शासनादेश सं०–10/दस–सं०वि०मि०–1/2000, दिनांक 9 जनवरी, 2001 में प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता की दृष्टि से रिक्त पदों को भरे जाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है ।

जनपद हरदोई विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम रुकनापुर में विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की मांग

87–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के वि०ख० माधोगंज के ग्राम रुकनापुर में विद्युतीकरण का विस्तार किया गया है ? यदि हां, तो विस्तारीकरण में कुल कितने खम्भे क्लैम्प, तार इत्यादि कुल सामान कितना और कितनी मात्रा में लगना स्वीकृत था ? इसके विपरीत कितना सामान खम्भे, तार क्लैम्प आदि लगाये गये हैं ? क्या शासन इस कार्य को शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार सामान की मात्रा निम्न प्रकार है :–

1–खम्भे 31 नं०

2–क्लैम्प (विभिन्न प्रकार) 295 नं०

3–तार 5943 मीटर ।

भौतिक सत्यापन के अनुसार निम्नलिखित सामान लगाये गये हैं :–

1–खम्भे 31 नं०

2–क्लैम्प–72 क्लैम्प लगाये जा चुके हैं । स्टे क्लैम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है ।

3–तार–5943 मीटर

लाइन का कार्य लगभग पूर्ण है । स्टे क्लैम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूरा करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई टाउन एरिया कुरसठ के लिये शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि का विवरण

88–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई की टाउन एरिया कुरसठ के लिये इस वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा कुल कितना धन दिया गया और उस धन से कितना कार्य कराया गया ? कितना कार्य अवशेष है ? उसे कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पंचायत कुरसठ जनपद हरदोई को वित्तीय वर्ष 2000-2001 में शासन स्तर से दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत धनराशि रु० 82,500.00 मात्र तथा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत धनराशि रुपये 6,39,540/–मात्र कुल धनराशि रुपये 7,22 040/–मात्र अवमुक्त/संक्रमित की गयी है । उक्त धन से 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।

10 प्रतिशत कार्य अवशेष है ।

31 मार्च, 2001 तक पूर्ण हो जायेगा ।

जनपद हरदोई के माधोगंज तथा बिलग्राम में विद्युत सप्लाई/कटौती की जानकारी

89-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां, माधोगंज तथा बिलग्राम में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या यह सही है कि सायं 5.00 बजे से रात 12.00 बजे तक इन क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों में विद्युत की कटौती की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जनपद-हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां, माधौगंज व बिलग्राम के शहरी क्षेत्रों में 20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 26 नवम्बर, 2000 से पूर्व 10 घण्टे प्रतिदिन तदोपरान्त 12 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति का प्राविधान था ।

जी नहीं ।

पीक आवर्स यानी सायंकाल 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक विद्युत आपूर्ति में कटौती की जाती थी ।

26 नवम्बर, 2000 से ग्रामीण क्षेत्रों को दो चक्रों में बांटा गया है । प्रथम चक्र के क्षेत्रों में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक एवं द्वितीय चक्र के क्षेत्रों में रात्रि 8 बजे से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है । उपरोक्त विकास खण्डों को इसी कार्यक्रम के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के सब-स्टेशन सहजनवां के ग्राम बिहारीखुर्द में लकड़ी के जीर्ण खम्भों को बदलने की मांग

90-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोरखपुर के सब-स्टेशन सहजनवां के ग्राम-बिहारी खुर्द में लकड़ी के जीर्ण खम्भे लगे हुये हैं ? क्या अगस्त, 2000 में उनके द्वारा उक्त खम्भों को बदलने हेतु निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक खम्भे न बदले जाने के क्या कारण हैं ? उक्त खम्भे कब तक बदल दिये जायेंगे ?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी हां ।

जी हां ।

जीर्ण खम्भों को बदलने हेतु सर्वे कराकर प्राक्कलन बनाया जा रहा है तदोपरान्त कार्यों की पारस्परिक वरीयता एवं धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

उक्त खम्भों को बदलने का कार्य प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश में दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित करने की मांग

91–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नियोजित कर्मचारियों का वेतन वर्ष 1992 के उपरान्त पुनरीक्षित किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इसे कब तक पुनरीक्षित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये गठित उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी परामर्श बोर्ड की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात् वेतन पुनरीक्षित किया जाना संभव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगारों के पंजीकरण के विवरण की जानकारी

92–श्री प्रदीप कुमार–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय में नौकरी हेतु बेरोजगारों के वर्ष 1998 से 20 जुलाई, 2000 तक कुल कितने पंजीकरण किये गये हैं ? उनमें से कितने लोगों को सरकार द्वारा रोजगार प्राप्त कराया गया है तथा कितने प्रतीक्षा सूची में हैं ?

श्री राधेश्याम–

प्रदेश में सेवायोजन कार्यालय में नौकरी हेतु बेरोजगारों के वर्ष 1998 से 31 जुलाई, 2000 तक कुल 13,47,926 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया है, जिनमें से 14,580 अभ्यर्थियों को उक्त अवधि में रोजगार प्राप्त कराया गया तथा 31 जुलाई, 2000 को प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में कुल 25,26,810 अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची में थे ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 152-153 पर ।)

93–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

[दिनांक 24-4-2001 के अता० प्र० सं० 183 के द्वारा उत्तरित]

जनपद चित्रकूट में विगत वर्ष में बुन्देलखण्ड विकास निधि से विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

94–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलान्स) से कौन-कौन गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं ? स्वीकृत किये गये किस-किस गांव के लिये कितना-कितना धन दिया गया है ? क्या उक्त गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 99-2000 में बुन्देलखण्ड विकास निधि व जिला निधि से निम्नलिखित 18 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया। प्रत्येक ग्राम के विद्युतीकरण की स्थिति एवं प्राप्त धनराशि निम्नवत् है :–

क्र०सं०	ग्राम का नाम	स्वीकृत धनराशि	प्राप्त धनराशि	विद्युतीकरण की स्थिति
1	2	3	4	5
1	भभई	3.840	2.50	कार्य प्रगति पर
2	खुटहा	1.870	1.20	कार्य प्रगति पर
3	गौरी शंकर का पुरवा (जमिहिली)	2.440	1.70	कार्य प्रगति पर
4	बनकट नई दुनियां	1.836	1.25	24-1-2001 को ऊर्जीकृत
5	ठर्री	1.555	1.00	कार्य प्रगति पर
6	तेजीपुर	0.858	0.75	20-1-2001 को ऊर्जीकृत
7	रघुवंशीपुर	2.777	1.60	कार्य प्रगति पर
8	सपहा	2.250	1.50	कार्य प्रगति पर
9	अहिरापुरवा	2.120	1.50	25-1-2001 को ऊर्जीकृत
10	कनियाइ	2.500	1.75	18-2-2001 को ऊर्जीकृत
11	अरवारी	1.644	1.10	कार्य प्रगति पर
12	ब्यूर	6.300	5.00	26-2-2001 को ऊर्जीकृत
13	हनुमानगंज	5.000	4.000	22-2-2001 को ऊर्जीकृत
14	चुरेह	2.380	1.90	कार्य प्रगति पर
15	पश्चिम पताई	1.427	1.14	31-12-2000 को ऊर्जीकृत
16	खोंच	3.360	2.70	कार्य प्रगति पर
17	बौड़ी पोखरी	1.740	1.40	कार्य प्रगति पर
18	लवेद	3.420	2.75	20-2-2001 को ऊर्जीकृत

स्वीकृत धनराशि में शेष धनराशि रु० 11.68 लाख अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई।

उपरोक्त धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद चित्रकूट के क्षेत्र कर्वी में विद्युतीकरण योजना

95–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चित्रकूट में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र कर्वी में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999-2000 में शासन की घोषणा के अनुसार कौन-कौन पांच गांव स्वीकृत किये गये हैं ? क्या स्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र कर्वी के अन्तर्गत निम्न पांच ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत हुआ है :–

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०	विकास खण्ड
1	भमौर	160169	चित्रकूट
2	लोड़िया खुर्द	230279	चित्रकूट
3	पचोखर	140144	पहाड़ी
4	गढ़ीघाट	160165	पहाड़ी
5	बढ़हरपुरवा (सुरवल)	20026	पहाड़ी

उक्त स्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन व जल विद्युत निगम की रिपोर्ट में इंगित आरोपों की जांच

96–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड में दाखिल याचिका संख्या 1925 (एसएस)/99 के अन्तरिम आदेश दिनांक 3-5-99 के अनुपालन में आई०जी० (विजिलेन्स) द्वारा जांच रिपोर्ट सचिव (ऊर्जा) उ० प्र० शासन एवं अध्यक्ष पूर्ववर्ती उ० प्र० रा० वि०प० को कब सौंपी गयी ? जांच का परिणाम क्या था ? और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रश्न में उल्लिखित जांच रिपोर्ट पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) द्वारा दिनांक 30-11-1999 को सौंपी गयी ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के पत्र में इंगित विभिन्न आरोपों में से आरोप बिन्दु 1.2.3. व 8 के संबंध में सी० बी० आई० से जांच कराने एवं आरोप बिन्दु

4,5, व 7 के संबंध में विभागीय जांच कराने की संस्तुति की गयी थी । आरोप बिन्दु–6 उनके द्वारा प्रमाणित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के कतिपय मामलों की जांच सर्तकता अधिष्ठान से कराने का प्रकरण

97–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 2000 से मई 2000 के मध्य ऊर्जा विभाग के कितने मामलों में सी० बी० आई० जांच को राज्य सतर्कता आयोग की जांच में परिवर्तित किया गया है तथा उसके कारण क्या हैं ? क्या मंत्री जी राज्य सतर्कता जांच संख्या 140/2000 की प्रगति रिपोर्ट बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के पत्र दि० 30-11-99 में संस्तुत सी०बी०आई० जांच के स्थान पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णयोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक के पत्र में अन्तर्निहित आरोप बिन्दु 1, 2, 3 एवं 8 के संबंध में उ० प्र० राज्य सर्तकता अधिष्ठान से जांच कराये जाने के निम्न कारण है :–

(1) प्रश्नगत मामला सी०बी०आई० के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ।

(2) सी०बी०आई० से जांच कराने में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा उनके द्वारा जांच को स्वीकार किये जाने की सम्भावना भी कम है ।

जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के अनपरा तापीय परियोजना में राख निस्तारण प्रणाली के करोड़ों के घोटाले की जांच

98–श्री जय प्रकाश तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत उत्पादन निगम लि० के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में हुये राख निस्तारण प्रणाली में करोड़ो के घोटाले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31-8-96 को दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है क्या उनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रश्न में उल्लिखित घोटाले के संबंध में दिनांक 31-8-96 को नहीं, बल्कि दिनांक 28-8-96 को थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र में अभियोग अपराध संख्या–301/96 पंजीकृत हुआ ।

उक्त अभियोग की विवेचना सी०बी०सी०आई०डी० से कराई जा रही है । विवेचना के पूर्ण होने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सुल्तानपुर के अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण मण्डल द्वारा जनपद वाराणसी में अपनी तैनाती के दौरान बेची गयी परिसम्पत्तियों की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

99.–श्री जय प्रकाश तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, सुल्तानपुर द्वारा वाराणसी में तैनाती के कार्यकाल में रुपये 185 लाख का आर०सी० टावर एवं अन्य सामान बेचने एवं उनकी परिसम्पत्तियों की जांच कराने सम्बन्धी मा० जय प्रकाश एम०एल० ए० व अन्य चार विधायकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 16-10-2000 मुख्य सचिव, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां !

विद्युत तन्तु पथ इकाई, विद्युत प्रेषण खण्ड, वाराणसी के स्टोर से लगभग–4 करोड़ रुपये के सामान बेच दिये जाने संबंधी आरोप की जांच श्री नन्द लाल जायसवाल, द्वारा मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–1925 (ए०एस०)/99 में पारित मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद् सम्प्रति उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० से करायी गयी । आई०जी० विजिलेंस द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जांच सं०–वीसी–41/99 दिनांक 30-11-99 में कुल 8 आरोपों की जांच की गयी जिनमें प्रश्नगत आरोप जांच आख्या के आरोप संख्या–6 पर इंगित है । इस आरोप के संबंध में जांच आख्या में कहा गया है कि आरोप के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा कोई अभिलेख अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं । मुख्य अभियन्ता, पारेषण पूर्व ने अपने पत्र दिनांक 21-9-99 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 1-5-95 से 12-8-96 की अवधि में उक्त स्टोर से न तो कोई चोरी हुई है और न ही इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी गयी है । वर्णित स्थिति में आरोप संख्या–6 प्रमाणित नहीं पाया गया है ।

पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के पत्र दिनांक 30-11-99 में संस्तुत सी०बी०आई० जांच के स्थान पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णयोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक के पत्र में अन्तर्निहित आरोप बिन्दु 1,2,3, 8 के संबंध में उ० प्र० राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है तथा आरोप बिन्दु 4,5,व 7 के संबंध में विभागीय जांच स्थित है । विभागीय जांच से संबंधित आरोप बिन्दु 4 एवं 7 के संबंध में जांच आख्या प्राप्त हो गयी है । शेष बिन्दुओं के संबंध में जांच गतिमान है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, सुल्तानपुर के विरुद्ध राज्य सतर्कता अधिष्ठान से उनकी परिसम्पत्तियों आदि के संबंध में वर्ष 1966 से 1996 तक की अवधि की खुली जांच सम्पादित करायी गयी । प्राप्त जांच आख्या पर श्री कमलापति त्रिपाठी को निन्दा प्रविष्टि का दण्ड पावर कारपोरेशन लि० द्वारा दिनांक 19-9-2000 को प्रदान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण की जांच

100. श्री चेतराम–

क्या सरकार को जानकारी है कि वरिष्ठ प्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम सी० एण्ड डी०एस० शाखा लखनऊ (श्री राजेन्द्र सिंह) द्वारा अपनी शुद्ध आय से 100 गुना अधिक सम्पत्ति अर्जित की गयी है ? क्या सी० एण्ड टी० एस० के निदेशक द्वारा इस आशय की कोई सूचना जुलाई, 2000 में शासन को भेजी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

101–डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

[दिनांक 24-4-2001 को अना० प्र० सं०–185 द्वारा उत्तरित]

102–डा० लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

[3 सरे मंगल में अना० प्र० सं०–190 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के शहरों में व्यवसायिक बाजार योजना के ले-आउट प्लान के अनुसार आरक्षित भूमि पर अनुमन्य भवन निर्माण

103–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी निकायों के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित भूमि पर व्यवसायिक बाजार बनाये जाने हेतु क्या सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो वह दिशा निर्देश क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

व्यावसायिक बाजार का निर्माण सम्बन्धित नगर की महायोजना तथा योजनाओं के ले–आउट प्लान में इस प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि पर भवन उप विधि के मानकों के अनुसार अनुमन्य किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद वाराणसी के कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण के पत्र पर निविदाओं की गड़बड़ी में सर्तकता जांच की मांग

104–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जनपद मण्डल (वितरण), वाराणसी द्वारा अपने पत्र संख्या 1279–वि०ज०म० (वि०)वा/टी–1 दिनांक 19-5-98 द्वारा इलाहाबाद एवं वाराणसी खण्ड में निविदाओं की गड़बड़ी की सतर्कता जांच कराने की संस्तुति हेतु सचिव, उ०प्र०रा०वि०प० को पत्र लिखा है तथा उसकी प्रतिलिपि

मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण को भी दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हाँ ।

मुख्य अभियन्ता (जनपद) वितरण लखनऊ द्वारा गठित एक समिति से मामले की जांच कराई गई । जांच में कारपोरेशन के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनियमितता प्रकाश में नहीं आयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनपरा उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में बेंचिंग (भूमि समतलीकरण) कराने के भुगतान का प्रकरण

105–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेगें कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में बेन्चिंग (भूमि समतलीकरण) के मद में अलग-अलग फर्मों को कितना-कितना कब-कब भुगतान किया गया ? क्या बेन्चिंग कराने के पूर्व सम्बन्धित स्थानों का कन्टूर तैयार कर लिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 9-4-99 एवं 25-7-99 जो कि 225 लाख एवं 1.50 करोड़ के फर्जी भुगतान करने की सी० बी० आई० जांच कराने विषयक था और जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ० प्र० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

800 के०वी० अनपरा-उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में बेचिंग (भूमि समतलीकरण) के मद में किसी भी फर्म को किसी भी प्रकार का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां । पत्र दिनांक 9 अप्रैल, 99 के संबंध में कृत कार्यवाही का वितरण :–

शासन द्वारा सर्तकता जांच करने के आदेश दिये गये थे जिसके क्रम में यू०पी०पी०सी०एल० की सर्तकता इकाई द्वारा जांच पूरी कर ली गयी है । अब राज्य सर्तकता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है ।

पत्र दिनांक 25 जुलाई, 99 के संबंध में कृत कार्यवाही निम्न है :–

800 के०वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण में किया गया बेंचिंग का कार्य अनुबन्ध में नहीं था । इसके लिए गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या का परीक्षण केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति द्वारा किया गया और विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि बेंचिंग का कार्य अनुबन्ध में दिये गये "अर्थवर्क" के कार्य से भिन्न होने के कारण प्रथक रूप से इंगित किया जाना चाहिए जो अतिरिक्त कार्य की श्रेणी में आयेगा । तदुपरान्त केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए संचालक मंडल उ०प्र० पावर कारपोरेशन ने सम्यक् विचारोपरान्त बेंचिंग को एक अतिरिक्त कार्य मानते हुए नार्मल सायल का रु० 27.81 प्रति घन मीटर एवं साफ्ट राक के लिए रु०109.22 प्रति घन

मीटर की दर से फर्म को भुगतान करने का निर्णय लिया । उक्त दरों को फर्म ने स्वीकार किया एवं तदनुसार भुगतान से संबंधित कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106 व 107–श्री हरदेव सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बदायूं में दरगाह हजरत गूंगे शाह रमजानपुर में आयोजित मेले के ठेके का मतालबा जमा करने का प्रकरण

108–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड वक्फ नं० 286 दरगाह हजरत गूंगे शाह रमजानपुर बदायूं का जनवरी, 2001 में आयोजित होने वाले मेले व नरबोस का ठेका बोर्ड द्वारा गठित वर्तमान प्रबन्धक कमेटी ने दे दिया है ? यदि हां, तो ठेका किन व्यक्तियों को और कितनी धनराशि का दिया है ? क्या कमेटी ने ठेके के एवज में वक्फ बोर्ड में मतालबा जमा कर दिया है ? यदि हां, तो कब और कितना मतालबा जमा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां–

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 26–12–2000 द्वारा नियुक्त प्रशासक श्री बदर शाहिद अली खां द्वारा दरगाह हजरत गूंगे शाह रमजानपुर बदायूं का ठेका दिया गया था परन्तु मा० उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड के उक्त आदेशों पर रिट याचिका संख्या–37(एम०/बी०)/2001 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 5–1-2001 के कारण पुनर्जीवित पूर्व प्रबन्ध कमेटी द्वारा कोई ठेका नहीं दिया गया । सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रशासक श्री बदर शाहिद अली खां द्वारा उक्त ठेका सर्वश्री ईजाद हुसैन तथा सग्गन को रुपया एक लाख पैंतीस हजार में दिया गया । कमेटी द्वारा वक्फ बोर्ड में कोई मतालबा जमा नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित होने के करण सम्प्रति मतालबा जमा करने की कार्यवाही संभव नहीं है ।

लखनऊ के सआदतगंज वार्ड के मोहल्लों की स्थाई जल निकासी हेतु नाले के निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

109–श्री मुराद लारी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–96 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सआदतगंज वार्ड, जि० लखनऊ के मोहल्लों की स्थाई जल निकासी हेतु एक नाला जो धनिया महरी पुल से कैम्पवेल रोड वरदान टेन्ट हाउस तक अथवा उससे अधिक दूरी तक बनाये जाने हेतु स्वीकृत हुआ था, को सीमेन्ट गोदाम तक ही बनाकर कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य रोके जाने के क्या कारण हैं ? शेष प्रस्तावित कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

धनिया महरी पुल से सीमेंट गोदाम तक ही नाले का कार्य दशम् वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था । सीमेण्ट गोदाम के आगे नाले के निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

यू०पी० एस्बेस्ट्स शीट्स सीमेंट फैक्ट्री मोहनलाल गंज लखनऊ में प्रदूषण की जांच

110–श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–77 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारखानों में लगे हीटरों से निकलने वाली गैस की जांच कब-कब और किस तिथि को किस-किस अधिकारी की अध्यक्षता में करायी गयी ? क्या यह सही है कि उक्त प्रदूषण से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रमिकों को उक्त प्रदूषण से हो रही फेफड़े की खराबी आदि की जांच डाक्टरों की टीम भेजकर करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

कारखाने में उप निदेशक, कारखाना, लखनऊ एवं सहायक निदेशक कारखाना, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 9–7–1998 को स्थानीय जांच की गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारखानों में लगे हीटरों, जिनसे शीट्स सुखाई जाती है, से कोई गैस नहीं निकलती है । कारखाने के उष्णक कक्ष (हीटिंग चैम्बर्स) के अन्दर शीट ले जाने वाले कर्मकारों की दल द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि वे पूर्णतः स्वस्थ हैं तथा उन्हें सांस लेने या सीने में दर्द की कोई शिकायत नहीं है और कार्य करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है ।

लखनऊ में यू०पी० एस्बेस्ट्स लि० मोहनलालगंज पर लाखों का विद्युत बिल बकाया होने के पश्चात् नया लोड स्वीकृत करने का औचित्य

111–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–117 व 138 के उत्तरों के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 2000 तक फैक्ट्री में कुल कितनी इकाई हेतु कितना-कितना लोड अलग-अलग स्वीकृत है ? क्या यह सही है कि दिनांक 1-4-95 से 11.30 लाख रु० बकाया चलने के पश्चात् भी सीमेन्ट डिवीजन हेतु आवेदन तिथि दि० 31-5-95–950 के०वी०ए० हेतु स्वीकृत तिथि दिनांक 13-11-95–950 के०वी०ए० करने के क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लाखों रुपये बकाया होने के पश्चात् भी क्या नियमानुसार फैक्ट्री या फर्म को मांग के अनुसार लोड स्वीकृत किया जा सकता है ? यदि हां, तो किन नियमों/आदेशों/शासनादेशों के

अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त लोड 950 के०वी०ए० स्वीकृत करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

इकाई का नाम	स्वीकृत लोड
(1) मै० यू०पी० एस्बेस्ट्स लि० मोहनलालगंज	900 के०वी०ए०
(2) मै० यू०पी० एस्बेस्ट्स (सीमेन्ट डिवीजन) मोहनलालगंज	950 के०वी०ए०

(1) दिनांक 1-4-95 से 11.30 लाख रुपये जिस इकाई पर बकाया था, उसका नाम यू०पी० एस्बेट्स लि० है तथा उसका भार 900 के०वी०ए० है ।

(2) 950 के०वी०ए० भार में यू०पी० एस्बेस्ट्स लि० सीमेन्ट डिवीजन का है तथा वह एक अलग स्वतन्त्र इकाई थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिस क्षेत्र में मै० यू०पी० एस्बेस्ट्स लि० मोहनलालगंज तथा यू०पी० एस्बेस्ट्स सीमेंट डिवीजन स्थापित है वह क्षेत्र 25–4–97 से पूर्व दि कोआपरेटिव सप्लाई सोसाइटी लि० (सेस) लखनऊ के अन्तर्गत था जो सहकारिता विभाग उ०प्र० शासन के अधीन थी तथा विद्युत वितरण एवं संचालन का कार्य उपरोक्त क्षेत्र सहित लखनऊ जनपद के विकास खंडों में से 6 विकास खंडों में इसी संस्था द्वारा किया जाता था । जिस पर विद्युत परिषद् का कोई किसी प्रकार का वित्तीय या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं थी तथा यह संस्था अपने निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी उक्त सेस को शासन को निर्णयानुसार समाप्त कर दिया गया, अतः 25–4–97 से सेस क्षेत्र में विद्युत परिषद् द्वारा कार्य सम्पादित किया जा रहा है । माह 4/95 में 11.30 लाख रुपये का राजस्व निर्धारण किया गया था, जिसको उपभोक्ता ने विवादित माना था तथा सेस द्वारा ही यू०पी० एस्बेस्ट्स (सीमेंट डिवीजन) को 950 के०वी०ए० भार स्वीकृत करने की कार्यवाही करने की कार्यवाही की गयी थी परिषद् की जानकारी में आने पर सेक्शन–3 की नोटिस जारी की गयी मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मे० यू०पी० एस्बेस्ट्स लि० द्वारा रुपये 1.30 लाख के निर्धारण के विरुद्ध 50 प्रतिशत धनराशि रुपये 5.65 लाख दिनांक 27–4–2000 को जमा कर दिया गया है तथा विवादित धनराशि का मामला मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में लम्बित है, जिस पर निर्णय प्रतीक्षित है ।

लखनऊ कैम्पवेल रोड, नवीन नगर में जल निकासी हेतु नाला बनवाने की मांग

112–श्री मुराद लारी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोहल्ला नवीन नगर, हसनगंज बावली (एक्जान स्कूल के सामने) कैम्पवेल रोड, लखनऊ के अधोभाग में जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण यहां हमेशा जल भराव रहता है ? यदि हां, तो क्या उक्त जल निकासी हेतु नाला बनाये जाने के संबंध में वहां के नागरिकों का हस्ताक्षर युक्त पत्र डा० धर्मज्ञ मिश्र, स०वि०स० हरदोई के उपरिपत्र के साथ दि० 30-6-2000 को सचिव नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

संदर्भित कालोनी अनाधिकृत रूप से बसी हुई है, जिसमें नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित आवासीय समिति अथवा क्रेताओं/विक्रेताओं का है । साथ ही यू०पी० अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत समिति द्वारा ल०वि०प्रा० से ले आउट प्लान स्वीकृत कराकर विकास शुल्क प्राधिकरण में जमाकर विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है । ऐसी कालोनी में विकास का दायित्व नगर निगम का नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कानपुर रिवर साइड पावर हाउस के निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री हेतु अनुबन्ध में अनियमितता की जांच

113–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि कानपुर स्थित रिवर साइड पावर हाउस के निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री हेतु मेसर्स बिन्दल एलाइज प्रा०लि० गाजियाबाद के पक्ष में किये गये अनुबन्ध के विपरीत सामग्रियों को उठान आदि में अनियमिततायें की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त की सी०बी०आई० द्वारा जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रकरण की जांच राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी तहसील सिरौली के ग्राम मेलारायगंज में पुराने विद्युत तार बदलने की मांग

114–श्री सरवर अली–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जिला बाराबंकी की तहसील सिरौली गौसपुर क्षेत्र के ग्राम मेलारायगंज का विद्युतीकरण लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ था तथा उसके खम्भे व तार जर्जर हो जाने के कारण टूटने की कगार पर हैं ? क्या उक्त खम्भे तथा तार बदलने हेतु उक्त ग्रामवासियों का रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र दिनांक 9 अगस्त, 2000 ऊर्जा मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

ग्राम में लगे खम्भे एवं तार काफी पुराने हैं ।

जी हां ।

जर्जर खम्भों व विद्युत तारों को बदलने हेतु एवं 100 के०वी०ए० का एक अतिरिक्त ट्रांसफारर्मर लगाने हेतु पैकेज स्वीकृत कर दिया गया है , जिसकी लागत रु० 2.47 लाख है । कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति एवं कार्यों की पारस्परिक वरीयता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कार्य का किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मेरठ नगर निगम के निर्माण विभाग में वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर कार्यवाही की मांग

115–श्री विजय पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ नगर निगम के निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं एवं घोटाले के आरोप की सतर्कता जांच कराये जाने विषयक यासीन पहलवान सभासद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-3-2000 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शिकायतों की प्रारम्भिक जांच आयुक्त, मेरठ मण्डल/लोक निर्माण विभाग के प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ से करायी गयी । प्रारम्भिक जांच आख्या के आधार पर संबंधित मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा के नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर वसूली किये जाने के निर्देश

116–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय अनियमितता करके लाखों रुपये का आहरण करने के संबंध में उपजिलाधिकारी, एटा की जांच रिपोर्ट दिनांक 31-12-96 एवं उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सम्यक् विचारोपरान्त तत्कालीन नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष, एटा को शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर 2000 द्वारा पदच्युत करके रु०–5,54,500/– की वसूली किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी एटा को दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के ग्राम शेखनपुर (पश्चिम) का विद्युतीकरण का प्रकरण

117–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम शेखनपुर (पश्चिम) का विद्युतीकरण स्वीकृत होकर उसका स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम शेखनपुर (पश्चिमी) का विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मा० क्षेत्रीय विधायक द्वारा वर्ष 2000–2001 के संस्तुत 5 ग्रामों की सूची में उक्त ग्राम सम्मिलित नहीं है ।

अनपरा उन्नाव 800 के०वी०ए० के पारेषण लाइन के निर्माण में करोड़ों के घोटाले की जांच

118–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं०–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 800 के०वी०ए० की अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण कार्यों में की गयी करोड़ों रुपये के घोटाले की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3 मई, 1999 के बाद हुई या पहले से थी ? यदि पहले हो चुकी थी तो मामला का न्यायालय में प्रस्तुत होने का क्या कारण है ? क्या माननीय न्यायालय द्वारा किसी विशेष जांच एजेन्सी ा मामले की जांच कराये जाने के निर्देश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

इसकी जानकारी पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् सम्पत्ति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को पहले से थी । मा० न्यायालय में रिट याचिका निगम अथवा शासन स्तर से दायर नहीं की गई है, अस्तु मामला मा० न्यायालय में योजित किए जाने का कारण याची ही बता सकते हैं । मा० उच्च न्यायालय के आदेश में निर्देशित किया गया है कि मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से करायी जाय और यदि ऊर्जा सचिव महसूस करते हों तो जांच सी०बी०आई० को भी दी जा सकती है ।

विद्युत परिषद् में हुये अरबों रुपये के घोटाले की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराने के औचित्य की जानकारी

119–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत घपले के प्रकरण में आरोप संख्या–1, 2, 3 व 8 में आरोप के विवरण क्या हैं और इनकी जांच सी०बी०आई० से कराये जाने की संस्तुति के बाद उक्त की जांच राज्य सतर्कता अधिष्ठान को सौंपे जाने का क्या कारण है ? अब तक हुई जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

श्री राम लाल, आई०जी०विजिलेंस उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा शासन को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में कथित घपले के आरोप बिन्दु 1,2,3 व 8 निम्नवत् है :-

(1) विद्युत परिषद् के उच्च अधिकारियों ने मिलकर एक करोड़ रुपये के फर्जी ग्लेबनाइज्ड टावरों की पेन्टिंग हेतु टेण्डर किये एवं उन्हें दिनांक 24–2–99 को निरस्त कर दिये ।

(2) 400 के०वी० उन्नाव पनकी तथा उन्नाव आगरा ट्रान्समिशन लाइन के लेबल क्रासिंग टावर, जो बिठूर (कानपुर) के मध्य बनाये गये हैं, में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश एवं अधिक डायमीटर के गलत पाइल निर्माण करके परिषद् को चूना लगाया गया है । ऊर्जा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बचाने का कार्य किया है ।

(3) 400 के०वी० सब स्टेशन वाराणसी हेतु चेकर्ड प्लेटों की खरीददारी में 22 लाख रुपये अभियन्ताओं द्वारा हड़पे गये ।

(4) श्री के०पी० त्रिपाठी, अधीक्षण अभियन्ता पारेषण इलाहाबाद मंडल ने मेसर्स एस०ए०ई० कम्पनी का पक्षपात करते हुये टावर की नींव का वर्गीकरण सूखे तथा गीले स्थान पर पानी में अंशतः डूबी हुई नींव के रूप में वर्गीकृत करके नियम विरुद्ध करके निजी लाभ हेतु 1.30 करोड़ रुपये का भुगतान एस० ए० ई० कम्पनी के बदले में श्री के०के० त्रिपाठी के पुत्र को मेसर्स एस०ए०ई० ने अपने यहां साइट इन्जीनियर के पद पर नियुक्त कर लिया है ।

उक्त चार प्रकरणों को राज्य सतर्कता अधिष्ठान को सौंपे जाने के निम्न कारण हैं :–

(1) प्रश्नगत मामला सी०बी०आई० के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ।

(2) सी०बी०आई० से जांच कराने में अनावश्यक विलम्ब होता तथा उनके द्वारा जांच को स्वीकार किये जाने की संभावना भी कम है ।

जांच के परिणाम प्रतीक्षित है ।

अनपरा उन्नाव 800 के०वी०ए० पारेषण लाइन के प्रकरण के कतिपय बिन्दुओं पर जांच परिणाम की जानकारी

120–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत घपले के प्रकरण में आरोप संख्या–4, 5, व 7 में आरोप के विषय का विवरण क्या है और इनकी जांच सी०बी०आई० से न कराये जाने का क्या कारण है ? विभागीय स्तर पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

कथित घपले के प्रकरण में आरोप संख्या–4,5 व 7 संक्षेप में निम्नवत् है:–

(4) लखनऊ स्थित निगम की अधिकारी कालोनियों में विद्यमान क्लबों में अनियमितता

(5) श्री पी०एन० तिवारी वरिष्ठ पाण्डुलिपिक के सेवा संबंधी प्रकरण में अनियमितता तथा उच्चाधिकारियों के साथ उनके द्वारा दुर्व्यवहार एवं उनके भाई द्वारा एक कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाना ।

(6) 220 के०वी० ऊँचाहार फतेहपुर लाइन के गंगा रिवर क्रासिंग टावर फेल्योर के दोषी कार्मिकों का अभिज्ञापन एवं कार्यवाही ।

उपर्युक्त आरोपों की जाँच सी०बी०आई० से न कराये जाने का निर्णय सम्यक् विचारोपरन्त शासन द्वारा इस आधार पर लिया गया कि यह मामला सी०बी०आई० के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तथा सी०बी०आई० से जांच कराने में अनावश्यक विलम्ब होगा तथा सी०बी०आई० द्वारा जांच को स्वीकार किये जाने की संभावना कम है ।

आरोप संख्या–4 एवं 7 की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें आरोप संख्या–4 में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया है । आरोप संख्या–7 के संबंध में मै० लाइट एण्ड कम्पनी के रु० 4.00 लाख एवं मै०के०ई०सी०बम्बई के रु० 6.00 लाख के भुगतान को स्थायी रूप से फ्रीज जाने हेतु संबंधित अधिकारी को पावर कारपोरेशन लि० द्वारा निर्देश दे दिए गये हैं । इसी आरोप में श्री राम लायक सिंह, अधि० अभियन्ता एवं ए०के० श्रीवास्तव, उप खण्ड अधिकारी द्वारा ऊँचाहार फतेहपुर लाइन के निर्माण में की गयी पर्यवेक्षणीय शिथिलता हेतु श्री सिंह को निन्दा प्रविष्टि का दण्ड प्रदान किया गया है तथा श्री श्रीवास्तव की दिनांक 31–8–2000 को निगमीय सेवा से सेवानिवृत्त होने की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण को समाप्त कर दिया गया है । श्री राम लायक सिंह, अधि०अभि० को 800 के०वी० अनपरा उन्नाव के कार्य से हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

विधान भवन गेट के निकट महापुरुष बाबू बैजनाथ कुरील की मूर्ति लगाये जाने का प्रकरण

121–श्री उदय राज यादव–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग–1 के आदेश सं० ए/1503/रा०क०–1/95, दि० 14-12-95 आदेश सं० ए/805/सी०एम०–1/96, दि० 1-4-97 तथा आदेश सं०–ए/805/सी०एम०–1/96, दि० 25-5-97 द्वारा महापुरुष बाबू बैजनाथ कुरील की स्मृति में सांस्कृतिक विभाग द्वारा उनकी मूर्ति तैयार करके लखनऊ शहर में विधान भवन के निकट लगाये जाने विषयक सांस्कृतिक निदेशालय के पत्र सं०–1872/स०नि०–25/405/96/13-1-99 और दि० 6 अप्रैल, 1998 का अनुपालन नगर निगम लखनऊ द्वारा कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

संदर्भित स्थल पर मूर्ति स्थापना हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण पैडस्टल का निर्माण किया जाना संभव नहीं है ।

प्रदेश के टाउन तथा नोटीफाइड एरिया के अकेन्द्रीयित सेवा के पात्र कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची आरक्षण कोटे के अनुरूप बनाये जाने की मांग

122–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकेन्द्रीयित सेवा के नगर निकायों के पात्र कर्मचारियों को ज्येष्ठता सूची प्रदेश स्तर पर बनायी गयी थी ? यदि हां, तो अकेन्द्रीयित सेवा के कितने कर्मचारियों की पदोन्नति केन्द्रीयित सेवा में की गयी ? क्या वर्तमान में केन्द्रीयित सेवा में पद रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हाँ ।

उ०प्र० टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया कमेटी(केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1976 में टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया के लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की सचिव पद पर प्रोन्नति किये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 1992 में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सचिव (अधिशासी

अधिकारी) नगर पंचायत पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने हेतु वर्ष 1994 में अकेन्द्रीयित सेवा के पात्र कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची बनायी गयी थी । अकेन्द्रीयित सेवा के 35 आरक्षित कर्मचारियों की केन्द्रीयित सेवा के अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पद पर पदोन्नति की गयी है ।

जी हां ।

मा० लोक सेवा आयोग से चयनित अनुसूचित जाति के 12 अभ्यर्थियों की तैनाती की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत आन लाइन कन्डेन्सर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम की खरीद में घोटाले का प्रकरण

123–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत आन लाइन कन्डेन्सर ट्यूब क्लीनिंग सिस्टम में 6.00 करोड़ रुपये एवं प्लास्टिक बाल के खरीद में घोटाला किये जाने के संबंध में श्री जय प्रकाश सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 31 मई, 2000 मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त पत्र में इंगित आरोप पूर्व में हुई जांच से अप्रमाणित पाये गये । सक्षम स्तर से हुई यह जांच पर्याप्त पाई गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

124–श्री उदय राज यादव

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जनपद उन्नाव, हरदोई व रायबरेली सहित वितरण खण्डों में विद्युत बिल की वसूली धनराशि खाते में जमा न करने के प्रकरण पर कार्यवाही की मांग

125–श्री उदयराज यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव, हरदोई व रायबरेली सहित प्रदेश के अनेक वितरण खण्डों के विद्युत बिलों के समस्त उपभोक्ताओं से की जाने वाली राजस्व वसूली की धनराशि संग्रह अभिकर्ताओं द्वारा समय से परिषद् के खाते में जमा की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उन्नाव, रायबरेली व हरदोई विद्युत वितरण खण्डों के राजस्व वसूली अभिलेखों की पिछले (विगत) तीन वर्षों की जांच कराकर जांच में दोषी पाये जाने वाले कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नरेश अग्रवाल–

जी हां, मण्डल अधिकारियों द्वारा नियमानुसार राजस्व वसूली की धनराशि सामान्यतः समय से कारपोरेशन के खाते में जमा की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विगत तीन वर्षों में जनपद हरदोई के विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय के निम्नलिखित दो कार्यालय सहायकों द्वारा राजस्व वसूली की सम्पूर्ण धनराशि विभागीय खाते में जमा न करने का प्रकरण प्रकाश में आया। श्री रजत गार्डेन को दिनांक 13-11-2000 को निलम्बित किया गया। थाना कोतवाली हरदोई में रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है। विभागीय जांच चल रही है तथा पूरा प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री जाबिर अली को जनपद हरदोई से हटाकर विद्युत कार्य मण्डल, लखनऊ के लिए दि० 30-1-2001 को कार्य मुक्त कर दिया गया था। मुख्य अभियंता (जल विद्युत) द्वारा श्री अली का स्थानान्तरण विद्युत परिवहन मण्डल, गोरखपुर किये जाने पर उन्हें विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड, लखनऊ से दि० 16-3-2001 को कार्य मुक्त कर दिया गया है।

विगत तीन वर्षों में जनपद रायबरेली तथा उन्नाव के किसी भी विद्युत वितरण खण्ड में उक्त विषयक कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

126–श्री अकबर हुसैन–

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित]

जनपद मुरादाबाद विद्युत वितरण खण्ड प्रथम में एक ही पद से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण की मांग

127–श्री अकबर हुसैन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद के अन्तर्गत कितने लिपिकीय कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्ष 1978 से एक ही पद एवं इसी खण्ड में कार्यरत हैं ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्राप्त सूचनानुसार विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद के अन्तर्गत 17 कर्मचारी पदोन्नति में ठहराव के कारण वर्ष 1978 से एक ही पद पर कार्यरत हैं।

स्थानान्तरण नीति संबंधी आदेशों के अनुपालन में संवेदनशील सीट पर कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों के केवल 15 प्रतिशत लिपिकों का स्थानान्तरण, कारपोरेशन के कार्यहित में, आवश्यकतानुसार, किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में नियुक्त मस्टर रोल कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रकरण

128–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में दिनांक 4-5-90 के पूर्व नियुक्त किये गये मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में अपर सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक–4853 दिनांक 13-1-99 को मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, मुरादाबाद से मस्टर रोल पर कार्य कर चुके कर्मचारियों के नाम मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता, वितरण, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् मझौली मुरादाबाद द्वारा पत्रांक–5580 मु०अ०मु०क्षे० दिनांक 24-4-99 को अपर सचिव, राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ को सूचना भेजी गयी थी ? यदि हां, तो क्या मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित मुख्य अभियन्ता (वि०) मुरादाबाद का पत्र संख्या–5580 मु०अ०मु०क्षे०/मस्टर रोल दिनांक 24-9-99 का है न कि 24-4-99 का । इस पत्र द्वारा केवल एक मंडल के उन मस्टर रोल कर्मचारियों की सूचना प्रेषित की गई थी जो दिनांक 4-3-90 के पूर्व नियुक्त तो किये गये थे किन्तु वे वर्तमान में कार्यरत नहीं है । इन कर्मचारियों की सेवायें दिनांक 4-5-90 से पूर्व ही समाप्त भी की जा चुकी थीं ।

चूंकि उपरोक्त कर्मचारियों की सेवायें दि० 4-5-90 से पूर्व ही समाप्त हो चुकी थीं । अतः वह उपरोक्त नीति के अनुसार नियमितीकरण के लिए अर्ह नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में विद्युत वितरण व्यवस्था सुदृढ़ हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

129–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने संबंधी निदेशक, वितरण, उ० प्र० पावर कारपोरेशन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-7-2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित निम्न बिन्दु हैं :–

1–33 केवी भदैनी फीडर रैकून कन्डक्टर को 132 केवी मंडुवाडीह स्विचवार्ड से सुन्दरपुर पेट्रोल पम्प तक डाग कन्डक्टर से तथा स्विच यार्ड से 40 मीटर तक पैन्थर कन्डक्टर से बदलने सम्बन्धी ।

132 के०वी० मंडुवाडीह उपकेन्द्र से 33 के०वी० वाराणसी–III तथा 33 केवी भदैनी फीडर सुन्दरपुर पेट्रोल पम्प तक एक ही पोल पर हैं । सुन्दरपुर पेट्रोल पम्प तक एक नई लाइन का निर्माण प्रस्तावित है ।

जिसका निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने जा रहा है अतः रैकून कन्डक्टर को डाग कन्डक्टर से बदलने तथा 132 केवी स्विच यार्ड से प्रथम फोर पोल तक पैन्थर तार खींचने की भी आवश्यकता नहीं है ।

2–33 के०वी वाराणसी–II फीडर के तारों की पैन्थर तार से बदलने सम्बन्धी ।

वर्तमान में इस लाइन के तारों को पैन्थर कन्डक्टर से बदलना व्यवहारिक नहीं है ।

3–33/11 केवी भदैनी उपकेन्द्र पर एक नई 11 केवी ओ०सी०बी० लगाकार 11 केवी दशाश्व–मेघ फीडर का लोड बांटने सम्बन्धी ।

11 केवी दशाश्व–मेघ फीडर को दो भागों में बांट कर नया पाण्डे हवेली फीडर बनाने का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है जिसे निकट भविष्य में पूरा कर लिया जायेगा ।

4–भदैनी उपकेन्द्र पर एक नया ओ०सी०बी० लगाकर भदैनी रवीन्द्रपुरी तक एक नई 11 केवी लाइन के निर्माण सम्बन्धी ।

इस हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव बनाने हेतु निदेश दे दिये गये हैं ।

5–11 केवी शिवाला फीडर के केबुल को बदलकर सोनारपुरा तथा हरीश्चन्द्र घाट इत्यादि क्षेत्रों का लोड लेने सम्बन्धी ।

11 केवी० शिवाला फीडर पर 300 एमएम केबिल लगाकर सोनापुरा तथा हरिश्चन्द्र घाट इत्यादि क्षेत्रों का लोड लिया जा चुका है ।

6–भदैनी उपकेन्द्र पर सभी 11 केवी पैनल बीको मेक के ही लगाने सम्बन्धी ।

उपकेन्द्र पर लगे पुराने 33/11 केवी 10 एम० वी० ए० परिवर्तक के साथ 11 केवी "बीको" मेक ओ०सी०बी० लगाये गये थे तदोपरान्त नये 8 एम०वी०ए० परिवर्तक के साथ सी०जी०एल० मेक ओ०सी० बी० उपलब्ध थे अतः उनको स्थापित किया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर की गोमती नगर आवास योजना के विजयन्त खण्ड में आवंटियों/जमा धनराशि के विवरण की जानकारी

130–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर की गोमती नगर आवास योजना में विजयन्त खण्ड के भूखण्ड संख्या–डी–1/364, 1/365, 1/366, 1/367 किस-किस के नाम आवंटित हैं ? क्या इन आवंटियों द्वारा आवंटित भू-खण्ड की समस्त धनराशि जमा कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या इन आवंटियों को उक्त भूखण्डों की रजिस्ट्री कराकर उसका कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन आवंटियों द्वारा निर्धारित धनराशि से अधिक जमा करायी गयी है ? क्या जमा धनराशि पर ब्याज दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या अधिक धनराशि जमा करने वाले भू-स्वामियों को ब्याज सहित मूलधन वापस किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उल्लिखित भूखण्ड निम्न व्यक्तियों को आवंटित हैं :–

नाम	भूखण्ड संख्या
1–श्री गोविन्द सिंह	डी–1/364
2–श्री सरजीत सिंह	डी–1/365
(परिवर्तित भूखण्ड संख्या :	सी–3/30–विजयन्त)
3–श्री नगेन्द्र श्रीवास्तव	डी–1/366
4–श्री लोचन प्रसाद	डी–1/367

जी हां । वर्तमान तिथियों तक वांछित धनराशि जमा है ।

जी नहीं ।

किसानों के प्रतिरोध के कारण मौके पर विकास कार्य पूर्ण नहीं हो सका । अब विकास कार्य तेजी से प्रारम्भ करा दिया गया है । भूखण्डों की रजिस्ट्री हेतु औपचारिकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराकर आवंटियों के पक्ष में भूखण्ड की रजिस्ट्री/कब्जे की कार्यवाही कर दी जायेगी ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राधिकरण नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विघटन पश्चात् कर्मचारियों/अधिकारियों के आमेलन की कार्यवाही की जानकारी

131–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के पश्चात् कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आमेलन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम के पत्र संख्या–1808 दिनांक 7-8-2000 एवं पत्र संख्या–1858 दिनांक 11-8-2000 जोकि अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विघटन के पश्चात् कर्मचारियों एवं अधिकारियों के आमेलन हेतु उ०प्र० विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम–2000 की धारा–6 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की गयी ।

जी हां ।

पत्र संख्या–1808 दिनांक 7-8-2000 श्री नन्दलाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक, जल विद्युत परियोजनायें, देहरादून के यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० में आमेलन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है । उक्त स्कीम 2000 की धारा 6(8) के अनुसार आमेलन समिति की संस्तुतियों के आधार पर श्री जायसवाल का यू०पी० पावर कारपो० में आमेलन नहीं किया गया ।

पत्र संख्या–1858 दिनांक 11-8-2000 श्री रामायण राम, अधिशासी अभियन्ता (निलम्बित) जनपद, जल विद्युत परियो० देहरादून के इलाहाबाद/लखनऊ में सम्बद्ध किये जाने के विषय में है । श्री रामायण राम, अधि० अभियन्ता को महाप्रबन्धक (पारेषण पूर्व) उ०प्र० पावर कारपो० लि०, इलाहाबाद कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

132–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[तीसरे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद रामपुर के ग्राम नदैया में फर्जी विद्युतीकरण दर्शाकर धन हड़पने विषयक शिकायती-पत्र

133–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-9-2000 जो ग्राम नदैया रामपुर में फर्जी विद्युतीकरण दर्शाकर धन हड़पने की जांच करने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त पत्र को दिनांक 23-9-2000 को सचिव, ऊर्जा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

सचिव ऊर्जा को नहीं बल्कि निदेशक वितरण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को भेजा गया ।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित "नदैया" नाम का ग्राम विद्यमान नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के क्षेत्र खैर में सब स्टेशन निर्माण की मांग

134–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के निर्वाचन क्षेत्र खैर में 132 के०वी०ए० का सब स्टेशन नवनिर्माण हेतु प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

सम्प्रति प्रश्नगत उपकेन्द्र के निर्माण की समय सीमा कार्य सूची में सम्मिलित न होने तथा धन उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई विकास खण्ड मल्लावां के कतिपय ग्रामों में चयनित अम्बेडकर गांवों की तरह विद्युतीकरण की मांग

135–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–3084/66-97, दिनांक 12 सितम्बर, 1997 में निहित निर्देशानुसार वर्ष 1998-99 में विद्युतीकरण किये जाने हेतु अम्बेडकर ग्रामों का चयन कर सूची प्रेषित की गई है ? क्या सूची के अनुसार 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र, जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां के ग्राम कन्धारी तथा वि० खं० माधोगंज के ग्राम इकसई, ठठिया–जाहिदपुर, शहब्दा, बाबटमऊ का विद्युतीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

विकास खण्ड–मल्लावां के ग्राम–कन्धारी एवं विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम–बाबटमऊ व ठठिया–जाहिदपुर का विद्युतीकरण क्रमशः वर्ष 1985, 1977 एवं 1986 में किया गया था । कालान्तर में इन ग्रामों के तार चोरी हो गए थे, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है । ग्राम–ठठिया–जाहिदपुर का पुनः विद्युतीकरण कर दिया गया है । ग्राम–कन्धारी के पुनः विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है तथा बाबटमऊ में कोई विद्युत कनेक्शन न होने के कारण पुनः विद्युतीकरण कराए जाने का कोई औचित्य नहीं है । शेष ग्राम इकसई एवं शहब्दा अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड मल्लावां के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण

136–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मुख्य सचिव के पत्रांक 1062/66-97-52/95, दिनांक 16-5-97 के निर्देशानुसार अम्बेडकर ग्रामों की जारी की गयी चयन सूची में ग्राम तेजीपुर, ग्राम मझिया जाफरपुर, वि० खं० मल्लावां जनपद हरदोई का भी विद्युतीकरण किया जाना था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

ग्राम तेजीपुर वर्ष 1981 में एवं ग्राम मझिया जाफरपुर वर्ष 1985 में विद्युतीकृत किए गए थे किन्तु कालान्तर में इन ग्रामों के तार चोरी हो गये थे ।

ग्राम तेजीपुर का पुनः विद्युतीकरण कर दिया गया है । ग्राम मझिया जाफरपुर के पुनः विद्युतीकरण हेतु 11 के०वी० लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है, तथा एल०टी० लाइन का कार्य प्रगति पर है । कम से कम 25 उपभोक्ताओं द्वारा संयोजन हेतु धन जमा करने पर कार्य पूरा करा दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण का प्रकरण

137–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अटवा अली मर्दानपुर विद्युतीकृत ग्राम के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या अटवा अली मर्दानपुर ग्राम के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० क्षेत्रीय विधायक द्वारा विधायक निधि से ग्राम–अटवा मर्दानपुर के छुटे मोहल्ला के विद्युतीकरण का कोई कार्य प्रस्तावित नहीं किया है और न ही किसी व्यक्ति ने उक्त मोहल्लों में विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम शहब्दा में विद्युतीकरण का प्रकरण

138–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शहब्दा का विद्युतीकरण स्वीकृत होकर उसका स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता हरदोई के यहां

विचारधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम शहब्दा का विद्युतीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त ग्राम मा० क्षेत्रीय विधायक द्वारा वर्ष 2000–2001 के लिए संस्तुति 5 ग्रामों की सूची में सम्मिलित नहीं है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम मटियामऊ के छूटे मोहल्ले हेतु विद्युतीकरण की मांग

139–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मटियामऊ में छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हा, तो कब तक उक्त छूटे हुए मोहल्लों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० क्षेत्रीय विधायक द्वारा विधायक निधि से उक्त ग्राम के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के प्रकरण की जांच पर कार्यवाही की माग

140–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में श्री हरदेव सिंह, श्री जय प्रकाश एवं श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि सदस्य, विधान सभा का सयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 13-2-2000 मुख्य सचिव, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० में कथित करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) की आख्या पर शासन में परीक्षणोपरान्त उच्च स्तरीय निर्णयानुसार मामले की जांच राज्य सतर्कता अधिष्ठान को सौंपी गयी है । निर्णय में कदाशयता बरतने की शिकायत निराधार है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में संचालित समस्त सिटी मांण्टेसरी स्कूलों के भवनों के नक्शे की स्वीकृति की जानकारी

141–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिटी माण्टेसरी स्कूल, लखनऊ के विभिन्न शाखाओं द्वारा संचालित भवनों का नक्शा क्या नगर निगम द्वारा अनुमोदित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि ऐसे भवनों में से कई भवन बिना नगर निगम के अनुमोदन के बनाये गये हैं ? क्या वे भवन छात्रों के लिए असुरक्षित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें ध्वस्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

भवनों का नक्शा स्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम में निहित नहीं है अपितु यह अधिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित है और तद्नुसार भवनों का नक्शा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है ।

(क) गोमतीनगर शाखा का मानचित्र विकास प्राधिकरण द्वारा परमिट संख्या–1000, दिनांक 7-5-90, परमिट संख्या–181ए, दिनांक 8-7-91, परमिट संख्या–5447, दिनांक 7-5-97 द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

(ख) सिटी माण्टेसरी स्कूल अलीगंज शाखा का मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा परमिट संख्या–17148, दिनांक 21-5-95, परमिट संख्या–6545, दिनांक 14-3-96 द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

(ग) कानपुर रोड योजना के सेक्टर–डी में सिटी माण्टेसरी डिग्री कालेज का मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण के परमिट संख्या–4021, दिनांक 26-3-1996 द्वारा स्वीकृत किया गया है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ में संचालित समस्त सिटी माण्टेसरी स्कूलों में नगर निगम की सड़कों पर बने साइकिल स्टैण्ड की अनुमति की जानकारी

142–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सिटी माण्टेसरी स्कूल लखनऊ की विभिन्न शाखाओं में छात्रों के साइकिल स्टैण्ड लखनऊ नगर निगम की सड़कों पर बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या नगर निगम ने उक्त प्रयोजनों हेतु उक्त स्कूल को कोई अनुमति प्रदान की है ? यदि हां, तो कब और नगर निगम को उक्त साइकिल स्टैण्डों से कितनी धनराशि प्राप्त होती है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त स्कूल से सरकार साइकिल स्टैण्डों से हुई आय वसूल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री [illegible]जी [illegible]–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

सिटी [illegible] स्कूल के प्रबन्धक द्वारा इस निमित्त अनुमति मांगी गयी है और इस सम्बन्ध में नगर निगम, लखनऊ को जो न्यूनतम भुगतान देय होगा, उसे प्रतिवर्ष जमा करने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु निगम स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम म्योरा में विद्युत आपूर्ति का प्रश्न

143–डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र हरदोई के अन्तर्गत ग्राम म्योरा में टूटे हुए बिजली के खम्भे गड़वाये गये हैं ? क्या इस कारण विद्युत आपूर्ति पूरे ग्राम को नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति करने हेतु नये खम्भे लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

ग्राम–म्योरा में कोई बिजली का खम्भा टूटा हुआ नहीं है और न ही विद्युत आपूर्ति बाधित है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० में पूर्व पैड का इस्तेमाल कर लाभ पहुंचाने सम्बन्धी पत्र पर जांच के आदेश

144–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्) में मात्र पैड का उपयोग करने वाली विदेशी फर्मों को लाभ पहुंचाने, फर्जी स्वायल रिपोर्ट तैयार करने लोकेशन नं० ए–पी–4 (डिबुलगंज, अनपरा सोनभद्र) टावर धराशायी होने संबंधी मा० भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 11-5-1999 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां।

उक्त शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों की जांच उ०प्र० राज्य सतर्कता अधिष्ठान से कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, यू०पी० एस्बेस्टस सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री मोहनलालगंज पर बकाया विद्युत धनराशि की वसूली की जानकारी

145–श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–147 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैक्ट्री पर 11.30 लाख की धनराशि दिनांक 1-4-95 से बकाया होने पर भी आर०सी० न काटकर सेक्शन–3 में नोटिस जारी करने के क्या कारण है ? नोटिस किस तिथि को जारी की गयी ? क्या उपभोक्ता के प्रतिवेदन को निस्तारित करके भुगतान प्राप्त करने की कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

यह उपभोक्ता दिनांक 25-4-97 से ही उ० प्र० शासन के निर्णयानुसार विद्युत परिषद् के नियंत्रण में आया। इससे पूर्व यह सहकारिता विभाग के अधीन था। बकाया के अनुश्रवण करने पर इस उपभोक्ता के ऊपर बकाया जानकारी में आने पर दिनांक 19-3-98 को सेक्शन–3 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी। नियमानुसार सेक्शन–3 की नोटिस के पश्चात् ही सेक्शन–5 के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकती है।

दिनांक 19-3-98 को नोटिस जारी की गयी।

उपभोक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका संख्या–790(एम०एस) 2000 दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 50% भुगतान कर दिया है। 50% भुगतान दिनांक 27-4-2000 को किया गया है।

याचिका अभी भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ में लम्बित है।

अतः निर्णय के उपरान्त ही शेष वसूली सम्भव है।

लखनऊ यू०पी० एस्बेस्टस फैक्ट्री मोहनलालगंज के कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का प्रकरण एवं उप श्रमायुक्त के समक्ष प्रस्तुत वाद

146–श्री उदय राज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न सं० 139 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विहित प्राधिकारी/उपश्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र के समक्ष निर्देश वाद कब प्रस्तुत किया गया है तथा उसमें लगाये गये आरोप का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या सरकार प्रकरण से संबंधित मजदूरों को जो 10 व 15 वर्षों से कार्यरत हैं में नियमित कराने व उनके वेतन का निर्धारण कराने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

विहित प्राधिकारी/उप श्रमायुक्त, लखनऊ क्षेत्र के समक्ष क्रमशः दिनांक 30-10-98, 30-11-98, 2-8-99, 4-8-99, 7-12-99 व 9-12-99 को निर्देशवाद प्रस्तुत किए गए हैं।

आरोप का मुख्य बिन्दु संविदाकारों द्वारा कार्यरत संविदा श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन का भुगतान किया जाना है ।

श्रमिकों का न्यूनतम वेतन शासन द्वारा निर्धारित किया गया है । संविदा श्रमिकों को नियमित कराने की वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि संविदा श्रमिक संविदाकार को संविदा कार्य हेतु निर्गत लाइसेंस अल्पकालीन होता है अतः उनको नियमित कराने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

एस्बेस्टस एवं सीमेन्ट उद्योग में शासनादेश संख्या–3815/36–3–10(एम०डब्लू) 90, दिनांक 30-10-91 द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है । इस शासनादेश के अनुसार अकुशल श्रमिक के लिए रु० 725/- , अर्धकुशल श्रमिक के लिये रु० 851/- व कुशल श्रमिक के लिये रु० 977/- तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारी श्रेणी एक व श्रेणी दो के लिये क्रमशः रु० 1188/-, रु० 1030/- न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह निर्धारित की गयी है । इस मजदूरी पर परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता भी देय होता है जो कि प्रत्येक वर्ष दो बार क्रमशः अप्रैल व अक्टूबर में परिवर्धित होता है । उक्त प्रस्तर में स्थिति स्पष्ट की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विकास प्राधिकरण लखनऊ की कानपुर रोड योजना में श्रीमती रजनी को वर्तमान में पुनः आवंटित भूखण्ड सं०एस०एस०–905

147–श्री उदयराज यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के अता० प्रश्न सं०–44 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर एच० में भूखण्ड संख्या–1891 के आवंटन के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1999 जो विधायक प्रकोष्ठ के माध्यम से भेजा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में मा० विधायक के पत्र के साथ जो प्रार्थना-पत्र श्रीमती रजनी द्वारा दिया गया है, वह भूखण्ड सं०–एस०एस०/1891/एस, कानपुर रोड योजना के सम्बन्ध में है । उक्त भूखण्ड की आवंटी श्रीमती रजनी द्वारा समय के अन्तर्गत धनराशि न जमा करने के कारण भूखण्ड निरस्त हो गया था परन्तु उनके आवेदन के दृष्टिगत इन्हें पुनः उक्त योजना के सेक्टर–जी में भूखण्ड संख्या–एस०एस०/905 आवंटित कर दिया गया है, जिसकी सूचना आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17-4-2000 को दी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनपरा उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के प्रथम रनिंग बिल के भुगतान की जानकारी

148–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के रीवर क्रासिंग में बेल फाउन्डेशन के निर्माण के प्रथम रनिंग बिल का

भुगतान मार्च, 1998 में कर दिया गया है ? यदि हां, तो शेष नवम्बर, 1998 तक के रनिंग बिल का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

शेष नवम्बर, 1998 तक के रनिंग बिल का भुगतान दिसम्बर, 1998 में किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800/400 के०वी० उपकेन्द्र एवं ट्रान्समिशन लाइन निर्माण के कार्यों की विवरण

149–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत 800/400 के०वी० उपकेन्द्र एवं ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में 16 अगस्त, 1999 से 30 नवम्बर, 2000 तक कितना कार्य पूर्ण हुआ ? अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस लाइन पर उपकेन्द्र एवं पारेषण लाइन वाइज 16 अगस्त, 1999 से 30 नवम्बर, 2000 तक जापानी मुद्रा येन एवं रुपये में अलग-अलग ठेकेदार को कितना-कितना मूल्य विचलन के रूप में भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

प्रश्नगत अवधि में 800/400 के० वी० उपकेन्द्र एव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में किए गए कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

कार्य का नाम	कार्य की प्रगति	
400 के० वी० उपकेन्द्र	15-8-99	30-11-2000
1–उन्नाव	100%	100%
2–आगरा	100%	100%
3–बरेली	59.55%	95%
800 के० वी० लाइन		
1–अनपारा–झूसी	98.28%	100%
2–झूसी–उन्नाव	100%	100%
400 के० वी० लाइन		
1–उन्नाव–पनकी	100%	100%
2–उन्नाव–लखनऊ	100%	100%
3–उन्नाव–आगरा	100%	100%
4–आगरा–मुरादनगर	99.74%	100%

5–उन्नाव–बरेली 92.83% 100%

अधूरा कार्य मार्च, 2001 तक पूर्ण कर दिया गया है ।

प्रश्नगत अवधि में अलग-अलग ठेकेदारों को मूल्य विचलन के भुगतान की धनराशि का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 154 पर ।)

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि० में पी०सी०सी० पोल खरीद में करोड़ों के घोटाले की सी०बी०आई० जांच की मांग

150–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत पी०सी०सी० पोल खरीद में करोड़ों के घोटाले की सी०बी०आई० जांच संबंधी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 14-12-99 जो कि मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र जांच हेतु उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के कतिपय निगमों द्वारा किराया वसूलने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

151–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड उ० प्र० उत्पादन निगम लि० एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड के अन्तर्गत निलम्बित कर दण्डित किराया वसूलने संबंधी श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 25-12-99 जो कि अध्यक्ष पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच महाप्रबन्धक फैजाबाद क्षेत्र से करायी गयी । आख्यानुसार श्री ए० के० श्रीवास्तव तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड सुल्तानपुर द्वारा श्री हवलदार चौबे दैनिक श्रेणी लिपिक को दरियापुर हाइडिल कालोनी में आवंटित आवास सं० सी–3 अवैध होने के कारण निरस्त कर दिया गया । इस संबंध में श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० स्तर पर कार्यवाही विचाराधीन है । किन्तु श्री चौबे से उक्त आवास खाली करने

जाने एवं उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही मा० लोक सेवा न्यायधिकरण उ० प्र० द्वारा दि० 18-2-2000 को दिये गये स्थगनादेश के कारण प्रारम्भ नहीं की जा सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि० के 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में अनियमितता सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

152–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में अनुबन्ध स०–07/एपी०टी०पी०/ओईसीएफ/यूपीएसईबी, दिनांक 23-1-96 में की गयी भारी अनियमितता के संबंध में श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 9-3-2000 जो कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

प्रकरण में सतर्कता अधिष्ठान से जांच प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा मीटर रीडर के पद पर नियुक्ति भूतपूर्व सैनिकों के वेतन भुगतान की मांग

153–श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेशानुसार उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 23 जनपदों में चयन समिति के माध्यम से 1000 भूतपूर्व सैनिकों को मीटर राडर के पद पर उ० प्र० राज्य विद्युत निगम में फरवरी व मार्च, 1999 में नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उनको 6 माह पश्चात् बिना वेतन दिये ही निष्कासित कर दिया गया है ? यदि हां, तो उनका वेतन भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

तत्कालीन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद द्वारा शासन की सहमति से दिसम्बर, 98 में प्रयोगात्मक तौर पर सोल्जर बोर्ड/भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों से जनपदों में मीटर रीडिंग का कार्य कराने हेतु विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे ।

जिन जनपदों में प्रयोगात्मक तौर पर अनुबन्ध द्वारा रखे गये भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किये गये कार्य के आशातीत परिणाम प्राप्त नहीं हुए उन जनपदों में अनुबन्ध को समाप्त कर दिया गया ।

उपरोक्त कार्य के विरुद्ध धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जा रहा है । मास जनवरी, 2000 तक इस मद में रु० 2 करोड़ विभिन्न क्षेत्रों का अवमुक्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद गोपीगंज सुल्तानपुर के अवर अभियन्ता/सहा० अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितताओं की समीक्षा का न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

154–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्र के अता० प्रश्न सं०–8 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत समीक्षा व रिकवरी कर ली गयी है ? क्या इस कार्यवाही को पूर्ण करने की कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह समय सीमा क्या मै ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक प्रश्नगत कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

समीक्षा कर लीं गयी है । पूर्ण रिकबरी अभी नहीं हो पायी है । संबंधित अवर अभियन्ता श्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव के विरुद्ध पड़े अग्रिम प्रकीर्ण रु० 138470/- के विरुद्ध रु० 8500/-प्रतिमाह की दर से माह 2/2000 से किश्त कुल धनराशि रु० 17000/- की अब तक वसूली की जा चुकी है । संबंधित अवर अभियन्ता ने मा० स्टेट पब्लिक सर्विस टिबुनल से रिकबरी के विरुद्ध रिट पिटीशन संख्या–506/2000 दायर किया तथा दिनांक 26-4-2000 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जगदीशपुर द्वारा स्थगन आदेश को निष्प्रभावी कराने हेतु दिनांक 12-5-2000 को प्रत्यावेदन दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है इस लिए कार्यवाही पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है ।

155–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दि० 25-4-2001 को अता० प्र० सं०–179 द्वारा उत्तरित]

जनपद उन्नाव के विद्युत वितरण उप केन्द्र पुरवा की हैवी वोल्टेज लाइनों के तार चोरी के विवरण की जानकारी

156–श्री विश्वनाथ–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विद्युत वितरण उप केन्द्र पुरवा की 11000 के०बी० तथा 33000 के०बी० के विद्युत तारों की चोरी वर्ष 1994 से वर्ष 1998 तक कितनी बार हुई ? क्या उक्त चोरी की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में की गयी ? यदि हां, तो कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये ?

श्री नरेश अग्रवाल–

वर्ष 1994 से 1998 तक 33/11 के०वी० उपकेन्द्र पुरवा से निकलने वाले 11 के०वी० लाइन तथा 33 के०वी० पुरवा लाइन पर कुल 12 बार तार चोरी की घटनाएं हुईं ।

जी हां ।

उपरोक्त घटनाओं में कुल 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं 6 अभियुक्त हाजिर अदालत हुवे ।

लखनऊ के आलमबाग में मानक नगर स्टेशन तक सड़क किनारे अवैध कब्जों को हटवाने की मांग

157–श्री विश्वनाथ–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आलमबाग लखनऊ में पूरन नगर तिराहे से सिंगार नगर, मानक नगर स्टेशन को जाने वाले रोड पर मुकेश डिपार्टमेन्टल स्टोर से डेज मेडिकल तक तथा डेज मेडिकल से मानकनगर स्टेशन तक दुकानदारों तथा गृह स्वामियों द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा करके दुकानों का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माणों को ध्वस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

संदर्भित अतिक्रमण वृहद रूप में होने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पुलिस बल के सहयोग से अभियान चलाकर ही हटाया जाना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी श्री धर्मेन्द्र लाल, अवर अभियन्ता के भुगतान के सम्बन्ध में जांच कार्यवाही की जानकारी

158–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्र के अता० प्रश्न सं०–65 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत जांच पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी ? क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट तथा उस पर की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

जांच रिपोर्ट के आधार पर स्व० श्री धर्मेन्द्र लाल के विरुद्ध निम्नलिखित धनराशि विविध प्रकीर्ण के रूप में डाली गयी थी:–

(1) स्टाक की कमी	रु० 323977.50
(2) टी एण्ड पी की कमी	रु० 18620.00
(3) अस्थायी अग्रिम	रु० 3000.00
(4) परिषदीय आवास में अनाधिकृत अध्यासन के फलस्वरूप दाण्डिक किराया (पैनल रेन्ट)	रु० 69295.40
	रु० 414892.90

प्रश्न सं०–65 के अन्तर्गत पूर्व में स्व० श्री धर्मेन्द्र लाल, अवर अभियन्ता के विरुद्ध डाली गयी विविध प्रकीर्ण धनराशि रु० 4,14,892.90 में से रु० 215581.00 की धनराशि के समायोजन किये जाने

की सूचना दी गयी थी जब कि वास्तविक आगणन के आधार पर केवल निम्न राशि ही समायोजित की गयी है :–

(1) वेतन का बकाया एरियर–	रु० 13020.30
(2) वेतन बकाया एरियर	रु० 10146.46
(3) अनुग्रह धनराशि	रु० 30000.00
(4) ग्रेच्युटी की धनराशि	रु० 88096.00
	रु० 141262.76

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में घोषित अम्बेडकर ग्रामों को पूर्ण विकसित न होने की जानकारी

159–श्री विजय पाल सिंह–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–आगरा में ब्लाकवार कौन-कौन ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? इनमें से किन-किन ब्लाकों में कितने अम्बेडकर ग्रामों का पूर्ण विकास हो चुका है तथा किन-किन ब्लाकों में कितने अम्बेडकर ग्राम अब भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाये हैं ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री राधेश्याम–

वर्ष 90-91 से 99-2000 तक कुल 330 अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं, जिनकी ब्लाकवार सूची संलग्नक–1 पर है ।

264 अम्बेडकर ग्रामों का पूर्ण विकास हो चुका है जिनकी ब्लाकवार सूची संलग्नक–2 पर है ।

66 अम्बेडकर ग्राम असंतृप्त हैं जिनकी ब्लाकवार सूची संलग्नक–2 में है ।

मुख्यतः धनाभाव ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 155-158 पर ।)

जनपद आगरा के ग्रामीण अंचल एवं शहर में की जा रही विद्युत आपूर्ति एवं नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु योजना की जानकारी

160–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद–आगरा के ग्रामीण अंचलों एवं शहर में कितने-कितने घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है ? क्या यह सही है कि ग्रामीण अंचलों में दो-दो, तीन-तीन दिनों तक बिजली की आपूर्ति नहीं की जाती है जिससे किसानों का कृषि कार्य बाधित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण अंचलों में नियमित रूप से बिजली देने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जनपद आगरा के ग्रामीण अंचलों में औसतन 9.40 घंटे प्रतिदिन एवं शहर में 23 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जी नहीं ।

केवल असमान्य अवस्था में ब्रेक डाउन अथवा किसी व्यवधान के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर उसे प्राथमिकता पर ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सामान्य करने के सभी संभव प्रयास किये जाते हैं तथा प्रयास किया जाता है कि किसानों के कृषि कार्य में विद्युत आपूर्ति के कारण बाधा न पड़े ।

आगरा जनपद के ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु 33/11 केवी विद्युत उप संस्थान धमौटा व 33/11 केवी विद्युत उप संस्थान अकोला का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा दो 33/11 केवी विद्युत उप संस्थान पापरी नगर (बाह) व मझरा का निर्माण कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त रुनाकता में 33/11 केवी विद्युत उप संस्थान के लिये भूमि का चयन किया जा रहा है तथा शीघ्र निर्माण शुरू होना प्रस्तावित है । इस उप संस्थानों का निर्माण पूरा हो जाने पर परिवर्तकों की अतिभारिता समाप्त हो जायेगी तथा 11 केवी पोषकों की लम्बाई भी कम हो जायेगी, जिससे विद्युत व्यवधान में कमी आयेगी तथा उपभोक्ताओं को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

161–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई के साफ ईस्ट कम्पनी लि० सण्डीला के प्रबन्धकों द्वारा अनियमित फैक्ट्री संचालन के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

162–श्री उदय राज यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोष्ठक के माध्यम से भेजा गया श्री उबैदुर्रहमान सदस्य, विधान सभा का पत्र संख्या–178313, दिनांक 29-10-99 व पत्र सं०–574604 दिनांक 19-11-99 जो साफ ईस्ट कम्पनी लिमिटेड, सण्डीला, हरदोई के प्रबन्धकों द्वारा कर्मचारियों को निकालने, अनियमित फैक्ट्री संचालन आदि के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

प्रतिष्ठान के सेवायोजकों द्वारा सर्वश्री चन्द्रशेखर शर्मा एवं रामसेवक शुक्ला की सेवायें विधि विरुद्ध समाप्त करने के कारण सेवायोजकों के विरुद्ध उ० प्र० औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा–14 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई के न्यायालय में दिनांक 22-2-2000 को प्राभियोजन दायर कराया गया जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई के न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ मोहन गोल्ड वाटर बेवरीज लि० अलीगंज के फार्म हाउस ग्राम कैथी के कर्मचारियों को निकालने के प्रकरण की जानकारी

163–श्री उदय राज यादव–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि मोहन गोल्ड वाटर बेवरीज लि०, अलीगंज के फार्म हाउस ग्राम कैथी, थाना बन्थरा, जनपद लखनऊ में वर्ष 1985 से कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष 1999 में बिना बताओ नोटिस के काम से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर निकाले गये लोगों को काम पर रखने तथा वेतन के बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

श्री सालिगराम व श्री शिवदीन दो श्रमिकों को लकड़ी की चोरी के आरोप में कार्य से हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जांचोपरान्त उक्त श्रमिकों को सेवा में वापस लेने तथा वेतन बकाया धनराशि भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाने का परामर्श दिया जा चुका है।

श्रमिकों द्वारा परामर्श उपरान्त विवाद की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जनपद वाराणसी के रोहनिया ग्लास फैक्ट्री को क्षति पहुंचाने के प्रकरण पर जांच कार्यवाही की मांग

164–श्री अब्दुल कलाम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार कक्ष, वाराणसी द्वारा रोहनिया ग्लास फैक्ट्री वाराणसी को एस०एस० चार्ज एवं गलत बिल निर्धारित कर लगभग 5 करोड़ रु० की राजस्व की हानि पहुंचाने के कारण मुख्य अभियन्ता (कामर्शियल) लखनऊ ने जनवरी, 2000 एवं एरिया चीफ ने अप्रैल–मई, 2000 में तथा जी०डी० गुप्ता, निदेशक वितरण ने जून, 2000 में इनकी जांच कर इनके निलम्बन हेतु लिखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त को निलम्बित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं, केवल मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) ने अपनी जांच आख्या में अधिशासी अभियन्ता के निलम्बन पर विचार करने का अभिमत दिया गया।

आख्या के परीक्षणोपरान्त उक्त अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद हरदोई में साफ ईस्ट कम्पनी सण्डीला द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को सम्पूर्ण वेतन भुगतान की मांग

165–श्री उदय राज यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साफ ईस्ट कम्पनी सण्डीला, हरदोई में कुल कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं ? कार्यरत कर्मचारियों में कितने नियमित, अस्थायी व डेलीवेजेज में कार्यरत है ? क्या फैक्ट्री ऐक्ट के अनुसार उन्हें वर्ष 2000 के अन्तर्गत समस्त कर्मचारियों को डी०ए०, एच०आर०ए० आदि का सम्पूर्ण भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या-क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

कारखाने में कुल 167 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं।

कार्यरत कर्मचारियों में 83 नियमित हैं। इसके अतिरिक्त 84 अस्थाई, डेलीवेजेज/संविदा श्रमिक कार्यरत हैं, जो तीन संविदाकारों के अधीन हैं।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारखाने के सेवायोजक अस्थाई तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जो संविदाकारों के अधीन हैं, को कारखाने के कर्मी के रूप में नहीं मानते हैं । संराधन कार्यवाही विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई साफ ईस्ट कामगार यूनियन सण्डीला द्वारा मांगों के संबंध में दिये गये पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

166–श्री उदय राज यादव–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साफ ईस्ट कामगार यूनियन औद्योगिक क्षेत्र सण्डीला, हरदोई उ० प्र० के यूनियन अध्यक्ष व महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 14-10-99 जो कर्मचारियों की सत्रह सूत्री मांगों के संबंध में था, प्रबन्ध निदेशक/कारखाना प्रबन्धक श्रमायुक्त कानपुर, जिलाधिकारी हरदोई, पुलिस अधीक्षक हरदोई, उप श्रमायुक्त लखनऊ, सी०ओ० सण्डीला, सहायक श्रमायुक्त हरदोई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां । जहां तक श्रम विभाग का संबंध है संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 14-10-99 उप श्रमायुक्त, कार्यालय लखनऊ को प्राप्त हुआ है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन सहायक श्रमायुक्त, हरदोई द्वारा कई तिथियों पर पक्षगणों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया गया श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु श्रमायुक्त स्तर पर त्रिपक्षीय वार्ता हेतु संबंधित व्यक्ति को बुलाया गया एवं संराधन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली, विकास खण्ड हरचन्दपुर के ग्राम गरीबखेड़ा में विद्युतीकरण

167–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम–गरीबखेड़ा मजरे पश्चिम गांव विकास खण्ड हरचन्दपुर जिला–रायबरेली का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

ग्राम नरी खेड मजरे पश्चिम गांव विकास खण्ड हरचन्दपुर रायबरेली विधान सभा क्षेत्र सतांव के अन्तर्गत आता है । क्षेत्रीय विधायक मा० शिव गणेश लोधी के चयनित पांच गांवों में वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 में सम्मिलित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय द्वारा करोड़ों की विद्युत चोरी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

168–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र लखनऊ के अधीन विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय फैजाबाद द्वारा करोड़ों रुपये की विद्युत चोरी संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 16-12-96, जोकि प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पवेल अलीगंज के निर्माण में करोड़ों के घोटाले सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

169–श्री हरदेव सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पवेल, अलीगंज लखनऊ के निर्माण में करोड़ों रुपये के घोटाले की सी०बी०आई० जांच विषयक श्री विनोद कृष्ण सिंघल, मुख्य सचेतक भा०ज०पा० सभासद का पत्र दिनांक 26-6-2000 जोकि मुख्य मंत्री, नगर विकास मंत्री एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की सी०बी०आई० जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में सन्दर्भित श्री विनोद सिंघल, मुख्य सचेतक, भा०ज०पा० सभासद का पत्र दिनांक 26-6-2000 आवास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है । प्राप्त सूचनानुसार उक्त पत्र लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार सम्पवेल प्रतिदिन अपनी पूरी क्षमता व गुणवत्ता के साथ अलीगंज व सीतापुर रोड योजना की सीवेज संबंधी समस्या का निस्तारण कर रहा है । अतः किसी जांच की आवश्यकता/औचित्य नहीं है ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के आई० जी० (विजिलेन्स) द्वारा कथित प्रकरण की जांच में विलम्ब के कारण की जानकारी

170–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत आई०जी० (विजिलेन्स) द्वारा दिनांक 30-11-99 को सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, पूर्ववर्ती उ० प्र० रा०वि०प० को चार मामलों में सी०बी०आई० तथा तीन मामलों में विभागीय जांच की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां,

तो उक्त जांच में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? क्या उक्त अधिकारियों को अनियमित तरीके से प्रोन्नति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के पत्र दिनांक 30-11-1999 में संस्तुत सी० बी० आई० जांच के स्थान पर शासन स्तर पर लिये गये निर्णयोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक के पत्र में अन्तर्निहित आरोप बिन्दु 1, 2, 3 एवं 8 के संबंध में उ० प्र० राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है तथा आरोप बिन्दु 4, 5 व 7 के संबंध में विभागीय जांच संस्थित है । सतर्कता अधिष्ठान एवं विभागीय जांच के संबंध में शासन स्तर से निर्देश जारी कर दिये गये थे । विभागीय जांच से संबंधित आरोप बिन्दु 4 एवं 7 के संबंध में जांच आख्या प्राप्त हो गयी है । शेष बिन्दुओं के संबंध में जांच गतिमान है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के आई० टी० आई० कालेज में कम्प्यूटर के ट्रेड खोलने की मांग

171–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई०टी०आई० कालेज, जौनपुर में कुल कितने विषयों की पढ़ाई हेतु मान्यता प्राप्त हुई है ? क्या सरकार वहां कम्प्यूटर के ट्रेड खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर में कुल 13 व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त हुई है ।

स्थानीय मांग एवं जिला योजना में परिव्यय प्राप्त होने पर कम्प्यूटर ट्रेड खोलने पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, कश्मीरी मोहल्ला पुलिस चौकी सहादतगंज में फ्लश टाइप शौचालय निर्माण कराने का प्रकरण

172–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कश्मीरी मोहल्ला पुलिस चौकी थाना सहादतगंज लखनऊ में पब्लिक डिपाजिट टाइप शौचालय बना है ? क्या यह सही है कि उक्त पुलिस चौकी एवं पब्लिक डिपाजिट टाइप शौचालय के मध्य धार्मिक स्थल भी है ? क्या उक्त शौचालय का प्रयोग होने के कारण पूरे क्षेत्र में संक्रामक रोग फैलने की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शौचालय को हटाकर फ्लश-टाइप के शौचालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

पब्लिक डिपाजिट टाइप शौचालय को हटाकर फ्लश टाइप का शौचालय का निर्माण कराये जाने के प्रस्ताव/आगणन गठित कराकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के कार्यालय के पत्र दिनांक 10-4-2001 द्वारा पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को धनराशि की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है । धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर फ्लश टाइप शौचालय का निर्माण कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में पाइप लाइन बिछाने का प्रकरण

173–श्री राम चन्द्र यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–170 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कलां में पीने के पानी की मूलभूत समस्या के निराकरण हेतु ट्यूबवेल की पाइप लाइन बिछाने हेतु वित्तीय संसाधन की व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि हां, तो कब तक पाइप लाइन का कार्य पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रदेश में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित चीनी मिलों में भविष्य निधि हेतु जमा की जा रही धनराशि की जानकारी

174–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी चीनी मिलें निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित हैं ? क्या इन चीनी मिलों में कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि नियमानुसार जमा की जा रही है ? यदि हां, तो ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल, औरंगाबाद, नवाबगंज, जिला बरेली में कार्यरत कितने कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि जमा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

उत्तर प्रदेश में कुल 51 चीनी मिलें निजी-प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित हैं ।

निजी क्षेत्र की दो चीनी मिलें बिलारी एवं सरदार नगर पूर्व में बन्द हो चुकी हैं तथा निजी क्षेत्र की चार चीनी मिलें इकबालपुर लश्कर, लिब्बाहेड़ी एवं काशीपुर उत्तरांचल राज्य में चली गई हैं ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मे० ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल औरंगाबाद, नवाबगंज, बरेली में कार्यरत 225 कर्मचारियों की भविष्य निधि धनराशि जमा की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की चीनी मिलों में बिना पेराई सत्र के कर्मचारियों को सीजनल भत्ता दिये जाने की जानकारी

175–श्री छोटेलाल गंगवार–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में बिना पेराई सत्र के खाली सीजन में कर्मचारियों को सीजनल भत्ता दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल औरंगाबाद, नवाबगंज, जिला बरेली के कर्मचारियों को सीजनल भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां ।

मेसर्स ओसवाल ओवरसीज लि० चीनी मिल, औरंगाबाद, नवाबगंज, बरेली में वर्ष 1999-2000 से सीजनल स्थायी कर्मचारियों को प्रतिधारण भत्ता (सीजनल भत्ता) दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 4 सूचनाएं स्वीकार की गईं ।

पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार की । यह कहां से औचित्य में आयेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह नियम 301 की सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

जब आप खड़े होते हैं तो मेरा ध्यान आपकी तरफ हो जाता है । इसलिये यह त्रुटि हो गई ।

श्री प्रमोद कुमार–

लेकिन मेरा ध्यान आप पर केन्द्रित हो जाता है ।

मान्यवर, यह अधिवक्ताओं का मामला है । इस पर कुछ निर्देश दे दें ताकि उनसे वार्ता करके कुछ समाधान हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

पहले यह तो देख लें कि शासन ने क्या कहा है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी सूचना को पढ़ी हुई मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । अगली सूचना श्री अफजाल अहमद की ।

श्री अफजाल अहमद–

मान्यवर, मेरी सूचना को पढ़ी हुई मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । तीसरी सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की है ।

(श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

चौथी सूचना डा० पूर्णमासी पंकज की है ।

डा० पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मेरी सूचना को पढ़ी हुई मान लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । श्री राम कुमार एडवोकेट की सूचना अस्वीकार की गयी ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

वाराणसी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिये वैकल्पिक स्थान दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद कुमार–

[मान्यवर, सम्प्रति वाराणसी कचहरी परिसर में सैकड़ों अधिवक्ताओं को अपने पूर्व निर्धारित स्थानों पर न बैठ पाने के कारण बार कर्मियों को विधिक परामर्श लेने में अत्यन्त परेशानी हो रही है ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी धनराशि से वाराणसी कचहरी परिसर में नयी अदालतों के भवन के निर्माण की कार्यवाही तो प्रारम्भ कर दी गयी है किन्तु अधिवक्ताओं को बैठने के लिये वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया है । वाराणसी सेन्ट्रल बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिशंकर पाठक, पूर्व डी० जी० सी० श्री विन्ध्यवासिनी सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिवक्ताओं की चौकी, बगैर उनको सूचना दिये रात के अंधेरे में तोड़ दी गयी और उनके स्थान ध्वस्त कर दिये गये ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जब प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही हो और तापमान 45 डिग्री सेण्टीग्रेट पार कर रहा हो तो ऐसे में अधिवक्ताओं के बैठने के स्थान ध्वस्त होने से न्याय कार्य प्रभावित होना स्वाभाविक है । हालंकि वाराणसी के अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों के बहिष्कार का आन्दोलन समाप्त हो गया है और अदालतों में कार्य प्रारम्भ हो गया है किन्तु वाराणसी की स्थिति पूरी तौर पर सामान्य नहीं है । जनसमुदाय में असंतोष बढ़ रहा है जो कभी भी आक्रोश का रूप ले सकता है । इस प्रकरण पर सरकार का मूक दर्शक बने रहना जनहित में नहीं है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपकी अनुज्ञा से सदन में इस आशय के साथ उपस्थित करना चाहता हूं कि आप प्रदेश के विधि मंत्री जी को शीघ्र वाराणसी जाकर अधिवक्ता संगठनों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा बार कर्मियों से वार्ता करके समस्या का समाधान कराने का निर्देश दें ।]

जनपद जौनपुर के ब्लाक करन्जाकलान्तर्गत ग्राम जासीपुर चकिया से एक किमी० जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अफजाल अहमद–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जौनपुर सदर अन्तर्गत ग्राम जासीपुर चकिया ब्लाक करन्जाकला स्थित है जहां पर जासौपुर चकिया से पी०सी० एफ० गोदाम तक लगभग एक किमी० सड़क बहुत ही जर्जर अवस्था में है और आने जाने के लिये बहुत ही परेशानी होती है यह सड़क बहुत ही पहले बनी थी परन्तु टूट जाने के कारण चलना दूभर हो गया है धन के अभाव में उसकी मरम्मत नहीं हो रही है जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में सुरियावां-अमिया मार्ग पर वरुणा नदी पर निर्माणाधीन पुल को मानक के अनुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० पूर्णमसी पंकज–

[महोदय, कृपया संत रविदास नगर भदोही में मेरी विधान सभा में सुरियावां–अमिया मार्ग पर वरुणा नदी पर वर्ष 97-98 में 80 मी० लम्बा पुल निर्मित करने हेतु नावाह से 156.00 लाख धन स्वीकृत होकर सेतु निगम को अवमुक्त किया गया । पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ है किन्तु अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक पूर्ण रूप से निर्मित न होने के कारण जनता में आक्रोश है । एप्रोच रोड निर्मित करने हेतु 60 लाख का टेंडर होने के बाद भी एप्रोच रोड का कार्य मंद गति से किया जा रहा है जबकि तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री माननीय कलराज मिश्र द्वारा घोषणा किया गया था कि मार्च, 2001 तक पुल जनता के आवागमन हेतु चालू कर दिया जाएगा किन्तु अभी तक अधिकारियों की लापरवाही

नोट :–[ ] यह अंश पद्म हुआ मान्य गया ।

एवं अकर्मण्यता के कारण मार्ग अधूरा है पुल निर्माण में मानक की अनदेखी की गई है जिससे जनता में व्यापक रोष एवं क्षोभ है ।

अतः कृपया जनपद संत रविदास नगर भदोही में सुरियावां अमिया मार्ग पर वरुणा नदी पर निर्मित किये जा रहे पुल को मानक के अनुरूप जून, 2001 तक पूर्ण कराकर जनहित में जनता के लिये चालू करने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें । ।

नियम 51 के अन्तर्गत स्वीकृत वक्तव्य की प्रतियां पर्याप्त समय पूर्व उपलब्ध कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 4 मई, 2001 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुईं पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की है ।

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, नियम 51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्नों की सूचना देकर उनके माध्यम से समस्याओं का हल कराने के लिये माननीय सदस्यों को अधिकार प्राप्त है । इस पर आपके स्तर से व्यवस्था होती है कि यह तो वह रिजेक्ट होते हैं या फिर उन पर वक्तव्य, केवल वक्तव्य या ध्यानाकर्षण तीन प्रकार के निर्णय लिये जाते हैं । जिन सूचनाओं पर वक्तव्य का निर्णय आपके द्वारा किया जाता है उसका निर्धारित तिथि पर सरकार की ओर से उत्तर आता है उसमें स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अधिकार नियमावली के माध्यम से मिला हुआ है । यह परम्परा भी है । वक्तव्य जब हम लोगों को प्राप्त होता है उस समय प्राप्त होता है जब मद उसकी कार्यसूची के हिसाब से आती है । उसका मंत्री जी पढ़ना प्रारम्भ करते हैं । वह जो उत्तर होता है और जो अनुपूरक सामग्री लेकर आते हैं उस सामग्री और वक्तव्य के उत्तर में तालमेल नहीं रह पाता । इस संबंध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप इस पर अपने स्तर पर अपने सचिवालय के स्तर पर विचार कर लें और इस प्रकार की कार्य पद्धति विकसित कर दें जिससे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके । इसमें शासन को भी आसानी हो जाएगी और माननीय सदस्यों को भी आसानी हो जाएगी तथा सूचना का लाभ भी मिल सकेगा । इसलिये यह सुझाव मैं देना चाहता हूं कि जब एजेंडा की प्रति हमें प्राप्त होती है उसी समय वक्तव्य की प्रति भी प्राप्त हो जाए ताकि हम तैयारी करके आ सकें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

इसका परीक्षण करना पड़ेगा क्योंकि जब मद आएगी तभी वक्तव्य उपलब्ध होगा मद आने से पहले वक्तव्य उपलब्ध हो पाएगा या नहीं यह देखने की बात है । जब से कार्यवाही चल रही है यही व्यवस्था चल रही है । तब से इसमें सुधार की आवश्यकता महसूस नहीं हुई । थोड़ा माननीय सदस्य को एलर्ट रहने की आवश्यकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई -

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है जो एरर्स को समाप्त करने की भी पद्धति होनी चाहिये ।

श्री हुकुम सिंह–

यदि माननीय सदस्य यहां उपस्थित रहें तो 10-15 मिनट पहले वक्तव्य प्राप्त हो ही जाते हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

यदि संभव हो तो मान्यवर दूसरे दिन स्पष्टीकरण मांगने का अवसर मिल जाय । आप परीक्षण करा लें फिर कोई निर्णय दें जिससे सदन का हित हो ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसका परीक्षण करा लूंगा । वैसे मेम्बर यहां जब उपस्थित होते हैं तो कम से कम 15 मिनट पहले तो वक्तव्य मिल ही जाते हैं ।

उत्तर प्रदेश के बजट में वित्त मंत्री द्वारा उत्तरांचल राज्य की धनराशि को भी प्रस्तुत किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की है, अनुपस्थित हैं । तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार जी की है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने .....

श्री अध्यक्ष–

यह विषय नियम 300 में तो आता नहीं है । आप कोई उदाहरण देकर नियम–51 में सूचना दें या नियम 301 में सूचना दें और आप तो साधारण चर्चा में भी इसको उठा सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारणतया नियमावली के अनुसार हम जब यहां पर बजट पर चर्चा करते हैं तो अपने प्रदेश के बजट पर ही चर्चा करते हैं । माननीय हरीश जी ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उत्तरांचल के बजट पर भी चर्चा कर दी । पृष्ठ–51 पर लिखा है "पर्वतीय तथा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में" । ठीक है मान्यवर, इन्हें उद्धरण करने का अधिकार है और कुछ पैसा उत्तरांचल में गया तो कुछ उत्तर प्रदेश में आया लेकिन यह सब यहां पर उद्धरण नहीं किया जा सकता कि उत्तरांचल में कितना पैसा गया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में उन तथ्यों को प्रस्तुत कर रहे थे जो 1996 से 2002 की अवधि में जो योजनायें कार्यान्वित की जा रही है उससे जुड़े थे अब इसी बीच उत्तरांचल अलग हो गया उन्होंने उत्तरांचल के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है । यदि आप चाहे तो लिखकर दे दें स्पष्टीकरण मांग लें अभी तो बजट पर साधारण चर्चा भी बाकी है आप उसमें शामिल होकर अपनी बात कह लीजियेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह नियम–300 में नहीं आती । अतः यह निरस्त की जाती है ।

प्रथम सत्र 2001 के पहले सोमवार का अतारांकित प्रश्न संख्या–46 का उत्तर गलत दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री श्रीराम पाल जी की है । आपके प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया तो निदेश में इस बात का प्राविधान है 165 और 166 में दिया है कि यदि उत्तर भ्रामक है, गलत है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो एक प्रक्रिया निर्धारित है । उस प्रक्रिया के निदेश 165-166 में आप सूचना देंगे तो उसका परीक्षण करा लिया जायेगा । प्रक्रिया यह है कि आपके उत्तर से संतुष्ट न होने पर आप प्रमाण सहित सूचना देंगे तब हम उसको संबंधित मंत्री को भेजेंगे और उनका उत्तर प्राप्त करेंगे । उनका उत्तर आ जाने के बाद परीक्षण भी करायेंगे । यदि उनका उत्तर गलत होता है तो माननीय मंत्री जी को निर्देश दिया जाता है कि वे शोधन उत्तर दें । अभी तो मंत्री जी के पास वही उत्तर होगा जो कि उन्होंने आपको दिया ।

* श्री श्रीराम पाल–

इस 300 की सूचना में हमने हत्या की घटना में पुलिस द्वारा एफ० आई० आर० लिखे जाने के बाद कल मैं जब अपने क्षेत्र से आया तो पता चला कि मृतक के परिवार के लोगों पर अभियुक्तों द्वारा हमला किया गया है । जिसका नाम पुलिस इन्वेस्टीगेशन में आया था । बाद में तफ्तीश चेंज कराई गई । वादकारी का हित सर्वोपरि है या अभियुक्त का । जो तफ्तीश हुई थी उसमें केस डायरी में अभियुक्तों के नाम भी आये थे । यह अपराधी इतने उच्छृंखल हो गये हैं कि उसी परिवार पर फिर से हमला कर रहे हैं । मैंने प्रश्न के माध्यम से सूचना दी है कि उस परिवार के और लोगों की भी हत्या की जा सकती है । आपका संरक्षण चाहते हुए हम अपनी वेदना को आपसे व्यक्त कर रहे हैं यदि यह इस नियम में नहीं आ रही है तो आपसे निवेदन है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दें .....

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को सुनने के बाद मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं और यह सूचना नियम–300 में न आने के कारण निरस्त की जाती है । अगली सूचना श्री अजय कुमार पोइया जी की है ।

(सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वे उपस्थित नहीं थे)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

श्रीमन, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 अप्रैल, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

श्रीमन, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 25 अप्रैल, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 **को उत्तर** प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 अप्रैल, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 25 अप्रैल, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल

महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 अप्रैल, 2001 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 2001 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 अप्रैल, 2001 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि :–

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अप्रैल, 2001 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 अप्रैल, 2001 के बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2001 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया ।

(इस समय 12 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

श्री अधिष्ठाता–

पद संख्या–4 में कुछ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2000-2001) का बत्तीसवां प्रतिवेदन †

श्री मस्तराम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2000-2001) का बत्तीसवां प्रतिवेदन, जो जनपद बाराबंकी के ग्राम नसीरपुर ब्लाक सिद्धौर के अन्तर्गत कर्मचारियों की सांठ-गांठ से हरिजन कालोनी के अपात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने संबंधी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2000-2001) का तैंतीसवां प्रतिवेदन†

श्री मस्तराम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2000-2001) का तैंतीसवां प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये निर्वाचित की जाने वाली सदन की विभिन्न समितियों तथा मंत्रियों को परामर्शदात्री 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

सदन को एक सूचना देनी है।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये निर्वाचित की जाने वाली सदन की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समिति के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम-निर्देशन करने की अंतिम तिथि तथा समय	शुक्रवार, दिनांक 11 मई, 2001 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2–नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	सोमवार, दिनांक 14 मई, 2001 को अपराह्न 3.00 बजे (सचिव विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)

---

† छापे नहीं गये।

3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	गुरुवार, दिनांक 17 मई, 2001 को अपराह्न 4.00 बजे तक ।
4–निर्वाचन यदि आवश्यक हो तो	शुक्रवार, 25 मई, 2001
(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिये	
तथा	
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिये	सोमवार, 28 मई, 2001

को मतदान विधान पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगा । उक्त निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जाएगा ।

उक्त निर्वाचन संबंधी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

मद संख्या–9 में कुछ नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 4-5-2001 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना प्रमोद कुमार जी, अखिलेश कुमार सिंह जी, डा० अशोक बाजपेयी जी एवं कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है ।

(श्री प्रमोद कुमार का नाम पुकारा गया ।)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

पहले रेवती रमण जी बोल लें उसके बाद मैं बोल लूंगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश में एक गम्भीर समस्या आतंकवाद की है और सबसे ज्यादा खतरा भारत और नेपाल की सीमा से आतंकवाद का बढ़ रहा है । अभी कुछ दिन पहले यहां पर भारत का विमान अपहरण किया गया था और तब यह बात साबित हो गयी थी कि आई० एस० आई० की गतिविधियां नेपाल से है और उससे यह परिलक्षित होता है कि आज भारत और नेपाल की सीमा से बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है, और, उसका नतीजा यह है कि हमारी सीमा एक तरह से असुरक्षित हो गयी है । अभी सरकार ने निर्णय लिया था कि 1400 किलोमीटर उस सीमा पर, नेपाल बार्डर पर, जगह-जगह चौकियां बनवायें और यह सरकार का प्रयास है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां न संचालित हों । इसका प्रयास सरकार ने किया लेकिन यह प्रयास कितना सफल है यह एक विचारणीय प्रश्न है । आज भी नेपाल के द्वारा इस देश में आर० डी० एक्स० और तमाम इस तरह की चीजें आ रही हैं । अभी हाल में मान्यवर, [x x x] यह एक अत्यन्त चिन्ता का विषय है । वे मंत्री कई बार नेपाल सीमा पर जा चुके हैं । यह बड़ी घटना है और इस घटना में सच्चाई भी है । मैं आपसे मांग करूंगा कि इसकी सी० बी० आई० जांच होनी चाहिये एवं [x x x] तो क्या होगा मान्यवर, [x x x] जी उस मीटिंग में थे और खुले में वह मीटिंग हो रही थी । सैकड़ों लोग मौजूद थे इससे बड़ा गम्भीर प्रश्न और क्या हो सकता है ? मैं चाहूंगा कि इसे नियम–56 में न मानते हुए इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस पर चर्चा करायें और कार्यवाही करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जहां राष्ट्र जुड़ जाये वहां पूरी गम्भीरता और चिन्ता के साथ हमें स्थिति का सामना करना चाहिये । यह ताकतें आज राष्ट्र की रक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं यह चर्चा आम है । मान्यवर, नेपाल की सीमा से सटे क्षेत्र से क्या आर० डी० एक्स० की तस्करी नहीं हो रही है कई बार जिला पुलिस को वहां आर० डी० एक्स० बरामद हुई यह नेपाल के रास्ते से आया दो बार विस्फोटक पकड़े गये । मान्यवर, नेपाल से उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली भेजा गया । आर० डी० एक्स० जीवन के साथ खिलवाड़ है । लालकिले पर हमला किया गया । 26 जनवरी को विस्फोटक के जरिये उड़ाने का प्रयास किया गया परेड को । यह वही ताकतें हैं जिन्होंने अभी अयोध्या में अशान्ति पैदा करने का प्रयास किया । मान्यवर, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुम्बई और गुजरात में ए० के०–56 और ए० के०–47 जो हथियार पकड़े गये उसमें शोध में जो जानकारियां आयी हैं वह चिन्ता पैदा करने वाली हैं मान्यवर, जो लखनऊ में व्यक्ति पकड़ा गया उसने अपने बयान में यह कहा है कि पहले नेपाल से लखनऊ तक लाने वाला एक गैंग काम करता है फिर लखनऊ से अहमदाबाद दूसरा गैंग काम करता है और यह भी स्वीकार किया गया है कि [x x x] इस पर कठोरता पूर्वक कार्यवाही होनी चाहिये । मान्यवर, अभी चिन्ता जाहिर की गयी नकली नोट 500 रुपये के पकड़े गये हैं आज उन नोटों को लेने से दुकानदार इन्कार करता है पहचान करना मुश्किल होता है । रिजर्व बैंक ने भी सही नोट और नकली नोट के चिह्न

नोट :–[xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

को स्वाभाविक रूप से विज्ञापन देकर लोगों को बताया है दूरदर्शन से भी बताने की जरुरत पड़ी, क्यों पड़ी ? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार यह स्वीकार करने लगी है कि आई एस० आई० की गतिविधियां भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साजिश है जब आई० एस० आई० आपरेट करती है तो कहीं कोई देश से जासूस नहीं आते । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की कार्यवाही है आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता उसका ईमान पैसा होता है । [x x x] सीमावर्ती जनपद से जीतकर आते हैं हथियारों की सप्लाई करते हैं मान्यवर, यह जो हथियार आते हैं किसी न किसी भारतीय के खून को लेने के लिये आते हैं तो सही अपराधी कौन हो सकता है हमें अपनी जांच से अवगत करा दीजिए सरकार इस विषय को गम्भीरता से लें । मान्यवर, ऐसे [x x x] का नाम कानपुर के अपहरण में भी आया है । माननीय रेवती रमण जी ने कहा कि एक ट्रक बालू के नाम पर एक ट्रक आर० डी० एक्स० भेजा गया है । मान्यवर, जब अभी प्रान्तीय बैठक में [xxx] पर आरोप लगाया तो बात की गम्भीरता बढ़ जाती है । [x x x] जी उस बैठक में स्वयं भी उपस्थित थे ।

मान्यवर, वहां पर सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष स्वयं उपस्थित हों मान्यवर, इसमें उस [xxx] होनी चाहिये । मान्यवर,. मैं इसे लेकर आया हूं क्योंकि मुझे देश से प्यार है और इस सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी है । सरकार की यह जिम्मेदारी होती है वह मेरी बात पर इसलिये रस्म अदायगी न कर दे कि उसको जबाब देना है । अगर मेरी बात पर कहीं कुछ सार है तो सी०बी०आई० या जिस एजेन्सी से चाहें जांच करवा लें । मान्यवर, अर्थव्यवस्था के मामले में, हथियार लाने वाले पर आर० डी० एक्स० लाने वाले पर अगर आप कार्रवाई करेंगे तो विपक्ष का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा । मान्यवर, आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता उनका मजहब पैसा होता है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिये ।

* श्री अखिलेश कुमार सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मुल्क की सरहदे असुरक्षित हैं, केवल कश्मीर ही नहीं, आसाम ही नहीं, बंगाल ही नहीं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ नैपाल बार्डर जिस नैपाल से हमारा हजारों साल से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भावनात्मक रिश्ते रहे हैं उस नैपाल राज्य को केन्द्र बनाकर आज हमारे प्रदेश को आई० एस० आई० के हाथों में सौंपा जा रहा है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज केवल हथियारों की तस्करी नहीं जाली मुद्रा की तस्करी इस रास्ते के द्वारा हो रही है । हम लोग इतना चाहेंगे कि अगर किसी आतंकवादी के पकड़े जाने पर किसी मंत्री के खिलाफ, सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ कोई सूचनाएं एकत्र हुई हैं तो उनको सार्वजनिक किया जाय जिससे कि हमारे प्रदेश की सुख और शान्ति के ऊपर जो भय मडरा रहा है वह दूर हो सके । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है और उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है । इन्डो नैपाल बार्डर पर आतंकवाद का खतरा मडरा रहा है, पूरे प्रदेश में आई० एस० आई० की गतिविधियां तेज हो रही है लेकिन सरकार सो रही है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(श्री अशोक बाजपेयी का नाम पुकारे जाने और उनके अनुपस्थित रहने पर)

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं दो भागों में अपनी बात को रखना चाहता हूं इससे पूर्व कि मैं आतंकवादी घटनाओं के बारे में सरकार का पक्ष रखूं और यह बताऊँ कि इस घटनाओं को रोकने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं, कितनी फोर्स लगायी है ? किस फोर्स का गठन किया है, मैं इस आरोप की निन्दा भी करता हूं कि सूचना के माध्यम से प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर अनर्गल आरोप लगाये जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मंत्री राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं है और न होने का प्रश्न है और न ही किसी स्रोत से कोई ऐसी जानकारी आई है । एक सांसद और एक राज्यमंत्री से कहा सुनी हो गयी, आज कौन सा दल ऐसा है जहां इस प्रकार का विवाद नहीं है यह हो सकता है कि आक्रोश में यह आरोप लगा दिये, यह मेरी पार्टी का मामला था उसका निस्तारण कर दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, [xxx]

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि पार्टी बैठक में माननीय मंत्री जी और सांसद के बीच में कुछ हुआ । अब यह तो मालूम होना चाहिये कि किस विषय पर हुआ ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, कई व्यवस्थायें आ गई, बधाई संदेश भी आ गया, मुझे क्या बोलना है, यह मार्गदर्शन भी मिल गया । जहां आवेश में आकर कोई बात कही गई, वह प्रकरण वहीं समाप्त हो गया । मैंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कोई मंत्री के बारे में किसी प्रकार का साक्ष्य या आरोप नहीं आये हैं । मान्यवर, जहां तक खतरे का प्रश्न है, यह बात तो हम स्वीकार करके चल ही रहे हैं कि कुछ ऐसे पड़ोसी देश हमारे हैं, जो न केवल आक्रमण ही करते हैं, बल्कि आक्रमण करने के अलावा साजिश करके, षडयंत्र भी करते हैं ताकि वह हमारी आन्तरिक व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर सकें । इसी तरह का एक संगठन आई० एस० आई० है, जिसका जन्म हमारे पड़ोसी देश में हुआ है, वहीं से यह संचालित हो रहा है और किसी न किसी रूप में ऐसे व्यक्तियों को भेजकर, उन्हें प्रशिक्षण देकर इस देश और प्रदेश की व्यवस्था को बरबाद करने में लगे हैं । यह आज से नहीं, काफी समय से, जितने प्रमुख संगठन हैं, सब आई० एस० आई० की देखरेख में चल रहे हैं जैसे हरकत-उल-अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्करे-तैयबा, जैश-ए–मोहम्मद, यह सब कहीं न कहीं अपनी जड़े फैलाये हुये हैं । अब पूरा प्रयास इस बात का है कि इनको आइडेन्टीफाई किया जाय और यहां से खदेड़कर भगाया जाय । आज से नहीं, 1999 से लेकर आज तक बराबर हमारे प्रयास चल रहे हैं, उसके तहत 33 संदिग्ध आतंकवादियों को हमारी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, उनसे पूछताछ की गई है और

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पूछताछ के आधार पर कार्यवाही हो रही है । अभी 18-4-2001 को तीन आतंकवादी सलीम बाबर, राशिद, शहजाद जो तीनों पाकिस्तानी थे, को एस० टी० एफ० ने एक मुठभेड़ में मार गिराया ।

मान्यवर, जितनी हमारी चौकियां इन्डो नैपाल बार्डर पर है, सभी को एलर्ट किया जा चुका है और एलर्ट करने का परिणाम यह निकला कि अब तक वहां इन चौकियों के माध्यम से 26 करोड़ 27 लाख का सामान पकड़ा गया है और 270 वाहन बरामद किये गये हैं । आपने जाली नोटों की बात कही, जाली नोटों के मामले, जिसमें 100 के 500 के नोट थे, इस तरह के 250 मामले पंजीकृत किये गये हैं, जिसकी जांच चल रही है । इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी चल रही है । मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश–नेपाल सीमा का प्रश्न है, यह प्रदेश सरकार अकेले अपने साधनों से इसकी व्यवस्था नहीं कर सकती । इसलिये केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि इस इतनी बड़ी सीमा का प्रबन्धन सरकार अपने साधनों से पूरा नहीं कर पायेगी, इसलिये हम केन्द्र सरकार की सहायता ले रहे हैं । हम आश्वस्त करते हैं कि प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और जागरूक रहेगी । इस तरह की गतिविधियों को हमने हिम्मत के साथ नियंत्रित किया है और साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई राष्ट्रप्रेम है तो उस राष्ट्रप्रेम के साथ अपनी छद्म राजनीति को मत जोड़े । विषय उठायें, लेकिन विषय उठाकर प्रहार करेंगे मंत्रियों पर, प्रहार करेंगे राजनीतिकरण करने का तो यह मानसिकता नहीं होनी चाहिये । अगर आपका हर चीज को राजनीति में लेने का अभियान है तो आप चलायें, आपका स्वागत है । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जहां तक प्रश्न है, पूरे मंत्रिमंडल का यह प्रयास है कि किस तरह से हमारा प्रदेश विकास करें, हम अच्छा-अच्छा काम करें । आप आलोचना करते हैं तो करते रहिये ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि किस पार्टी में तकरार आपस में नहीं होती । इससे साबित है कि [x x x] और बहस के दौरान मान्यवर, ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि [x x x] यह हमने आरोप नहीं लगाया है, यह स्वयं आपने कबूल किया है ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने एक बात कही और उस बात के ऊपर ही मैंने इस बात को कहा है । यदि कोई घटना हुई हो, आप स्वयं उपस्थिति रहे हों या आपके कोई मित्र वहां उपस्थित रहे हों, न आप उपस्थित थे और न आपके कोई मित्र उपस्थित थे । समाचार पत्रों में आपने भी पढ़ा और मैंने भी पढ़ा इससे ज्यादा सूचना किसी के पास नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि कौन उपस्थित था, मान्यवर, वहां हमारे एक मित्र उपस्थित थे । मंत्री जी ने अभी इस घटना को स्वीकार किया है और अब बदल रहे हैं । मान्यवर, किसी पर आरोप लगाने की मंशा हमारी नहीं है, इतना जरूर है कि हमारे देश और प्रदेश की सीमा सुरक्षित रहे, वहां से

नोट : [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

तस्करी न हो, आर० डी० एक्स० न आए और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी एक उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवा लेते । अगर हमारी बात असत्य है तो वह सामने आ जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

सदन में आपने कहा कि हमारे मित्र वहां उपस्थित थे तो सुनी-सुनाई बात को सदन में संज्ञान लेने की परम्परा नहीं है । आप विद्वान और वरिष्ठ सदस्य हैं सुनी-सुनाई बात को सदन में रखने का उपक्रम न किया जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि कुछ सुनने में हमारे भी गलती हो सकती है आपकी भी हो सकती है, मान्यवर, सदन की कार्यवाही में दिखवा लें, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि किस दल में नहीं होता । मान्यवर, [x x x]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बार-बार यह बात दोहराई जा रही है कि [x x x] आपने ने भी व्यवस्था दे दी कि सुनी-सुनाई बात पर सदन में संज्ञान नहीं लिया जाता । मान्यवर, दूसरी ओर यह कह रहे हैं कि इनके एक मित्र वहां उपस्थित थे, मित्र का नाम बता दें । मान्यवर, इससे पता चल जायेगा कि इनके मित्र कौन-कौन हैं । मान्यवर, पीठ से व्यवस्था आ गयी है कि सुनी-सुनाई बात पर आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये । मान्यवर, मेरा आग्रह है कि या तो इसका कोई आधार हो अगर आधार नहीं है तो कार्यवाही से निकाला जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दिखवा लूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उन्हीं [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह ऐतिहासिक घटना है, भारत की घटना है, [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

भारत का इतिहास आपको दोहराने के लिये नहीं कहा गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि इस प्रकार की बात अनायास कहने का अवसर नहीं दिया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, क्या इस सच्चाई को सदन इन्कार कर सकता है कि [x x x]

श्री हुकुम सिंह–

ग्राह्यता के औचित्य पर ही बोलें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरी सूचना देख ले कुछ संगठन विशेषतः आई० एस० आई० की गतिविधियों से प्रदेश में, देश में भय का वातावरण पैदा हो गया है । यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपने ग्राह्यता पर अवसर दिया है, यह कितने चक्र में बोलेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर मैंने माननीय रेवती रमण सिंह और माननीय अखिलेश कुमार सिंह को अवसर दिया । उसका उत्तर आ गया । माननीय मंत्री जी का उस पर उत्तर आ गया । आपकी शंका थी उसको आपने कह दिया, उसका उत्तर आ गया । आप अवसर का लाभ उठाकर भाषण देंगे तो यह कहां तक उचित है ?

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर विचार रखते समय इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि जो चाहे कह लें । मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं, जो अभी आप कह रहे थे ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री प्रमोद कुमार–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैंने कह दिया है कि अभी जो बातें कही गयी हैं वह अंकित नहीं की जायेंगी । इसके बाद किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ठीक है ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर श्री प्रमोद कुमार, श्री अखिलेश कुमार सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी जी की है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मा० संसदीय कार्य मंत्री जी आई० एस० आई० की निरन्तर बढ़ती गतिविधियों के बारे में जो उत्तर दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । मैं मानता हूं कि भारत के विदेश मंत्री ने 3 आतंकवादी छोड़े, एकतरफा युद्ध विराम तथा वार्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की हत्यायें हुई । इससे यह साबित होता है [x x x]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक पार्टी का नाम लिया गया है । इसे कार्यवाही से हटा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह अंकित नहीं किया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सूचना पर मा० संसदीय कार्य मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट न होते हुये मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है ।

(संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, नोयडा जनपद गौतमबुद्ध नगर में सन् 2000 का जो पिछला वर्ष

नोट : [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बीता है उसमें 4 संस्थायें एम० बी० सी० सी०, जल निगम, निर्माण निगम एवं ई० पी० आई० एल०, पुलों, सड़कों, नालों आदि के निर्माण कार्यों में लगी हैं । पिछले वर्ष में 400 करोड़ रुपये से अधिक का काम इन संस्थाओं के माध्यम से कराये गये । इन संस्थाओं में जिन ठेकेदारों की निविदायें थीं, बिना टेण्डर के ठेकेदारों से काम कराया गया । वह ठेकेदार मानक भी पूरा नहीं करते थे । नोयडा में ठेके का काम करने के लिये अधिकांश ठेकेदार इन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी व इन्जीनियरों के भाई-भतीजे व रिश्तेदार हैं । इन सब लोगों ने नोयडा प्राधिकरण के पैसे की जी भर कर लूटा है, उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है । करोड़ो-करोड़ रुपये की धांधली हुई है । कार्य में कोई पारदर्शिता नहीं थी । मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर कहना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के जिन ठेकेदारों से काम कराया और जिन लोगों ने भुगतान लिया उसमें कितने लोग वहां के अधिकारियों, इंजीनियरों के रिश्तेदार थे । इसकी जांच करा लें । जिन लोगों ने सरकारी पैसे की धांधली की है और करोड़ों रुपया अपने घर ले जाने का काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा करायी जाय । मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिये मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर चर्चा कराई जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिनके द्वारा यह कार्य कराया गया है वह सभी सरकारी कम्पनियां है इसमें कोई भी प्राइवेट कम्पनीज नहीं है, मान्यवर, जो बातें इन्होंने कही हैं उन बातों का आशय क्या है यह मैं नहीं समझ सका । इन्होंने जो बातें कही हैं उसमें किस बात की जांच कराई जाय इन बातों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तो किस चीज की जांच कराऊंगा कम से कम वे यह बात तो समझायें ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें जो जल निगम है वह उत्तर प्रदेश सरकार का निगम है, एन० बी० सी० सी० केन्द्र सरकार का निगम है, निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश सरकार का निगम है इस प्रकार से जिन कम्पनियों का उल्लेख किया गया है वह सब सरकारी कम्पनियां है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, वहां पर जो काम हुआ है, तो वहां पर जो इन्जीनियर थे, वह उनके रिश्तेदारों द्वारा किया गया है, उसमें 50 परसेन्ट धन खा लिया गया है, मान्यवर, इसकी जांच कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

तो क्या अब एक-विषय पर दो दो लोग बोलेंगे, सूचना कोई और देगा और इन्टरप्रिटेशन कोई और देगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसकी अच्छी तरह जानकारी कर लें और उसका उल्लेख करें और सदन को इसकी जानकारी दें तो मैं इसकी जांच करा लूंगा ऐसे में मैं किसकी जांच कराऊं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, इस पर 25 परसेन्ट वैरीयेशन से ज्यादा नहीं दिया जा सकता लेकिन 200 परसेन्ट वैरीयेशन दिया जा रहा, मान्यवर कम्पनी में कार्यरत जो इन्जीनियरर और अधिकारी हैं उनके भाई-भतीजों द्वारा काम कराया जा रहा है और नहीं पैसा देने वाले, पाने वाले और घर ले जाने वाले हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपके संज्ञान में जो कुछ भी इस संबंध में है, कृपया मुझे उसकी जानकारी दे दें कि फलां-फलां व्यक्तियों द्वारा अनियमितताएं की गई है, उनका उल्लेख कर दें और अगर यहां पर नहीं बता सकते हैं तो लिखकर दे दें जिससे उस विवरण के आधार पर मैं कुछ करा सकूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय नरेन्द्र सिंह भाटी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह नियम–56 में नहीं आता है अतः मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, नियम–56 की सूचना पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं । बुन्देलखण्ड जिले में पिछले वर्ष वर्षा कम होने के कारण सूखे के कारण फसल चौपट हो चुकी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह सूचना आ चुकी है और इसका निस्तारण भी हो चुका है । दो दिन पहले यह सूचना आयी थी । माननीय दद्दू प्रसाद की सूचना थी ।

श्री श्रीराम पाल–

यह सूचना बांदा के बारे में थी । मैं अपने जनपद जालौन के बारे में कह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर आप जालौन के बारे में कहना चाहते हैं तो कहें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के बारे में सूचना थी । मेरा बताना फर्ज था मैंने बता दिया ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जनपद जालौन में वर्षा की कमी के कारण जलस्तर नीचे चला गया है । हैण्ड पम्प लगे हैं उनका स्ट्रेटा दिसम्बर और जनवरी में अन्तिम बिन्दु पर पहुंच गया है । माधौगढ़, कटौरा, डकोर आदि अनेक ब्लाकों और अनेक गांव जिनका उल्लेख मैंने अपनी सूचना में किया है उनमें आज चारो ओर त्राहि-त्राहि मची है । नदी का कीचड़ युक्त पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं जिससे आगे चलकर महामारी और बीमारियां फैलेंगी । जो हैण्ड पम्प जिला योजना और विधायकों के जरिये और सरकार ने

50-50 दिये है लेकिन पूरा साल हो गया है वह लगे ही नहीं हैं । हैण्ड पम्पों की मरम्मत के लिए जो धनराशि शासन से दी जाती है या डी०आर०डी०ए०, जल निगम से दी जाती है उसका कहीं पर कोई पता नहीं है । जो सामूहिक पेयजल योजनायें हैं कुठौंद, कुदौरा, कालपी, धुवा, अकबरपुर, इटौरा आदि योजनाओं में 3 इंच की जगह पर 1 इंच की पाइप लाइन डाली गयी है और पाइप लाइन में प्रेशर के कारण लाइन फट जाती है । मान्यवर, फसल कटने के बाद मवेशियों को छुट्टा छोड़ दिया जाता है वह पानी के अभाव में कोसों मारे-मारे घूम रहे हैं । लोग पेयजल संकट के कारण पलायन कर रहे हैं । जब मई के महीने में यह हालत है तो मई के अन्त में और जून में स्थिति और भी भयावह हो जायगी । मैं लम्बी-चौड़ी बातें नहीं कह रहा हूं बल्कि सच्चाई बता रहा हूं । शासन अपने जरिये पता लगवाये और अधिकारियों से पूछें कि जनपद जालौन, ललितपुर और झांसी की क्या हालत है ? जालौन जनपद जहां पर मैं रोज जाता हूं वहां की स्थिति बड़ी भयावह हो गयी है । जून का महीना आते-आते स्थिति विस्फोटक हो जायगी । गांव वाले, जहां पानी मिल रहा है वहां पलायन कर रहे हैं । इसलिए सरकार से मांग है कि अविलम्ब जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनको ठीक करायें । 4 विधायकों और 5 सांसदों को मिलाकर 100-150 हैण्ड पम्प लग सकते हैं वह लगाये जाने चाहिए । जल संस्थान सफेद हाथी बन कर रह गया है इसके कान पर जूं नहीं रेंग रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता तक अपने को सीमित रखें ।

श्री श्रीराम पाल–

मरने की स्थिति पैदा हो गयी है । आदमी गांव छोड़कर भागने लगा है । आप सरकार को निर्देशित कर दें कि संसदीय कार्य मंत्री अलग से जनपद जालौन की इस पेयजल की समस्या को दिखवा लें । नहीं तो स्थिति विस्फोटक हो जाएगी । 15 दिन बाद आप अखबारों में पढ़ेंगे कि इतने लोग प्यास से मर गये । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करा लें या सरकार को निर्देशित कर दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में जालौन भी शामिल है । वहां निश्चित रूप से पेयजल का संकट है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता इसीलिए सरकार ने इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर रखा है इसमें लगान की वसूली माफ की गयी सरकारी देय की वसूली को स्थगित करने की बात थी । वहां पर वर्षा नहीं हुई इसलिए सरकार ने 5 करोड़ रुपये अवमुक्त किये हैं इसमें 50 लाख जालौन को भी दिये गये । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह बराबर भ्रमण करते रहें ग्रामीण अंचलों में देखते रहें तथा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार को अवगत करायें । सरकार इसकी बराबर मानीटरिंग करती रहेगी, समीक्षा करती रहेगी, जब कोई इस प्रकार का संकट आता है तो आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि हम सब सामान्जस्य इस बारे में स्थापित करें । मैं आपको इस बात से आश्वस्त कराता हूं सरकार बराबर मानीटरिंग करती रहेगी जिस बात की आवश्यकता होगी, सरकार उपलब्ध करायेगी ।

श्री श्रीराम पाल–

आपने जो पैसा दिया उसके लिए धन्यवाद । लेकिन जो हैण्ड पम्प खराब हैं । उसके लिए एक मोबाइल वैन जिसमें मिस्त्री हो व छोटे-मोटे सामान हों ताकि हैण्ड पम्प की वह जाकर छोटी-मोटी कमी ठीक कर दें । एक मोबाइल वैन पूरे जिले के लिए कर दी जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर श्री श्रीराम पाल, संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद प्रस्तुत सूचना को अग्राह्य पाते हुए मैं निरस्त करता हूं। अगली सूचना श्री राम चन्द्र यादव की।

* श्री राम चन्द्र यादव–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर के थाना इनायत नगर के सामने 24-4-2001 को रामधनी जो अत्यन्त निर्धन और गरीब परिवार से सम्बन्धित अनुसूचित जाति का नवयुवक है उसको थाने के सामने उसी क्षेत्र के तमाम असामाजिक तत्व जिसका अपराधिक इतिहास है जिनके नाम थानों में दर्जनों मुकदमें दर्ज हैं टाप–10 के अपराधी हैं उन्हीं लोगों ने थाना इनायत नगर के ठीक सामने उसको घसीट-घसीट कर बुरी तरह से पीटा। थाने के सामने थाने के दरोगा सिपाही जब मौके पर जाते हैं तो वह बेहोश था बेहोशी की हालत में उसको अस्पताल लाया जाता है वहां दाखिल कराया जाता है तीन दिन तक वह अस्पताल में भर्ती रहा बाद में उसने अपनी सूचना एस०पी० फैजाबाद को लिखी। यह घटना जिसमें थाने के सामने एक नौजवान को घसीट-घसीटकर पीटा जाए और पुलिस देखती रहे उसे गिरफ्तार न करे और वह जब बेहोश हो जाय तो उसे उठाकर केवल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। चार-चार हत्यायें हो चुकी हैं मगर चारों हत्याओं में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। एक दर्जन वाहन लूट लिए गये मगर एफ०आई०आर० तक दर्ज नहीं की गयी। जिन लोगों ने इस घटना को देखा जिन्होंने अपनी तहरीर में अभियुक्त को नामजद किया उसको व उसके परिवारवालों के लिए धमकियां मिल रही हैं। पूरे इलाके में सात हत्यायें लूट की और एक दर्जन से ज्यादा राहजनी की घटनायें हो गयीं लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे जो किसान हैं वे पीड़ित हैं जो गरीब लोग हैं उनको थाने से भगा दिया जाता है। आज स्थानीय पुलिस निरंकुश हो गयी है। मैं चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा करायी जाय या जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक रिपोर्ट थाने पर दर्ज करायी गयी थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद वहां धनीराम व्यक्ति के द्वारा 323 का मुकदमा दर्ज कराया गया वहां के प्रभारी ने जानकारी प्राप्त करने के बाद कहा कि धारा कि तिरमीन किया जाय 10 एससी एक्ट भी लगाया गया। इस मामले की क्षेत्राधिकारी जांच कर रहे हैं जहां पर जो भी दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री रामचन्द्र यादव–

मुख्य अभियुक्त को सुरक्षा प्रदान की गयी है।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने दिखवा लिया है किसी को सुरक्षा नहीं दी गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

श्री रामचन्द्र यादव तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त किया जाता है ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैंने जो नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी है यह प्रकरण बलिया के रेवती थाना क्षेत्र में शिवालगठिया गांव का प्रकरण है । यहां पर 7 अप्रैल, 2001 को प्रातः छः बजे दशरथ मल्लाह खेत काटने घर से निकला और घर से 150 गज की दूरी पर ही पुलिस की मिली भगत से उसके पुराने दुश्मनों ने हंसिया से उसका पेट फाड़ दिया । मान्यवर, इतनी छोटी सी घटना है यह नियम–56 के अन्तर्गत लाने लायक नहीं है परन्तु मैंने इसकी आवश्यकता इसलिए समझी कि एक व्यक्ति की हत्या उसके गांव के अपराधियों द्वारा की गयी और तत्काल 10 मिनट के बाद वहां पुलिस के थानाध्यक्ष रेवती और पुलिस के दूसरे लोग आ गये और दशरथ मल्लाह जिसकी हत्या हुई थी अपराधी लोगों ने की थी, उसके ऊपर तड़ातड़ गोली चलाकर इनाम लेने का उपक्रम चालू हो गया कि बड़े भारी अपराधी का इनकाउन्टर कर दिया, इनाम मिल जाय प्रमोशन हो जाय । इस तरह का काम पुलिस की मिली भगत से एक आदमी की हत्या उसके दुश्मनों से कराकर इसको इनकाउन्टर का नाम देकर दरोगा से इन्स्पेक्टर और सिपाही से हवलदार बन जाने का कुत्सित काम किया गया है । मान्यवर, घटनास्थल से मात्र 150 गज की दूरी पर उसका घर था । पूरे गांव के लोग वहां पर इक्ट्ठा हो गये लेकिन पुलिस ने किसी को उसके पास जाने नहीं दिया । वहां बहुत भीड़ लग गयी । अनेक थानों के पुलिस, पी०ए०सी० के लोग वहां आ गये । मान्यवर, उसकी लाश तक उसके घर वालों को नहीं दी । अगले दिन उसका पोस्टमार्टम कराया गया । यह कुछ रसीदें हैं जो टेलीग्राम उसकी पत्नी ने वहां से किया पुलिस महानिदेशक को, पुलिस कप्तान को । जिस गांव से लगी घटना थी, जहां लोगों ने देखा था पुलिस कप्तान के यहां एफ०आई०आर० लिखाने गये । एफ०आई०आर० न लिखे जाने तक उनको धमकाने का काम हुआ । उसकी लाश को भी काफी जद्दो जेहद के बाद जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला तब जाकर अंत्येष्टि के लिए मिल पायी । इस मामले में पुलिस ने पूरी योजना बना रखी थी । थानेदार की मिली भगत थी । इनकाउन्टर का नाम देकर उसकी हत्या करा दी और इनाम मिला आई०जी०, डी०आई०जी० को पुलिस कप्तान साहब को और प्रमोशन की फाइल चल गयी । मान्यवर, इसके साथ एक दूसरी बात और है । उसके पिता की भी हत्या गांव के इन्हीं अपराधियों द्वारा सामन्ती कारण से 20 साल पहले कर दी गयी थी । उसके बाद इस दशरथ मल्लाह की हत्या हुई ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आप 7 अप्रैल की घटना के बारे में बता रहे हैं । इसकी ग्राह्यता पर एक भी वाक्य अभी नहीं आया है । कृपया ग्राह्यता पर अपनी बात रखें । क्या अविलम्बनीयता है ? क्या लोक महत्व है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, तात्कालिकता यह है कि नियम–56 के अन्तर्गत जब से सूचना लेनी स्वीकार किया है। आप पीठ पर हैं, आप ज्यादा भिज्ञ हैं। इसके पूर्व विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था। जब चल रहा था तो इस तरह से प्रश्न उठाने की स्थिति नहीं थी। इसकी तात्कालिकता इसलिए है कि यह पुलिसिया आतंक का मामला है। माननीय मुख्य मंत्री जी वाराणसी और आजमगढ़ जिले में प्रशासनिक मामलों की समीक्षा की बैठक करते हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हैं एक माफिया इनकी जाति का है उसका नाम नहीं लेते हैं। छोटे-छोटे लोगों को जाति पूछकर मारा जा रहा है। मान्यवर, तात्कालिकता के लिए पूरे प्रसंग को बताना आवश्यक था। दशरथ मल्लाह के पिता की बीस साल पहले इन्हीं लोगों ने हत्या कर दी थी और आज दशरथ की भी हत्या कर दी और पुलिस के साथ इसमें मिली भगत है। इसको फर्जी इनकाउन्टर दिखाकर इनाम लेने का काम कर रहे हैं। पुलिस वहां पर लाश पर गोली मारने का काम करती है इनकाउन्टर दिखाने के लिए। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि एफ०आई०आर० दर्ज है इसकी कोई जूडीशियल इन्क्वायरी की मांग नहीं करते हैं न कोई जज की टीम वहां भेजने की बात है। इसकी सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने की मांग करते हैं। इनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज कराके सी०बी०सी०आई०डी० से जांच करा लें और इस गरीब परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा देने का काम करें। एक हत्या हुई उसके पिता की 20 वर्ष पहले हत्या हुई अब दूसरे परिवार के सदस्यों की हत्या का सिलसिला एक-दो दिन में न शुरू हो जाए इसके लिए उनको सुरक्षा देने का काम करें। यह तात्कालिक और अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। इस तात्कालिक और अविलम्बनीय् लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जो अम्बिका चौधरी जी ने फैक्ट्स रखे हैं मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूं इससे तीन-चार बातें प्रकट होती हैं। दशरथ मल्लाह, उसे गांव के लोगों के द्वारा मारा जाता है। हत्या चाकू और हंसिया से पेट फाड़कर की जाती है। जो शव होता है पुलिस फिर उस शव पर गोली मारती है। शव पर गोली मारकर उसका अपमान किया जाता है, जबकि शव का अपमान नहीं होना चाहिए शव को उठाकर शमशान घाट ले जाया जाता है। अगर हत्या होती है तो शव का पोस्टमार्टम होता है यह व्यवस्था है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो महिलाएं उस शव के पास चीख-चिल्ला रही, रूदन कर रहीं थीं उन सबको मार-मार कर बन्दूक के बल से बाहर भगा दिया और जो इस घटना के हत्यारे थे उनको पुलिस ने अपनी बगल में बैठा लिया। इतना ही नहीं किया जो आपस की मारपीट और हत्या का मामला था उसको पुलिस ने दस्यु पुलिस मुठभेड़ बता दिया कि दस्यु से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस तरह से कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ायी गयी हैं। यह तथ्य प्रकाश में न आये इसलिए पुलिस ने पी०ए०सी० की व्यवस्था करके इस तरह से शव को उठाया जैसे बहुत बड़ी मुठभेड़ पुलिस से हुई हो। फर्जी मुठभेड़ दस्यु के साथ दिखायी गयी, शव पर गोलियां पुलिस द्वारा चलायी गयीं। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं आप इस मामले की जांच करायें। जो सही तथ्य आवें उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। यह मेरा करबद्ध निवेदन है। दूसरी घटना इसी तरह की है आगरा, फतेहाबाद में फलिया गांव में हुई है। वहां का आपसी विवाद था आपसी विवाद में एक व्यक्ति को पकड़ कर ले जाते हैं फिर घर लाते हैं गांव से बाहर गोली चलती है और राजकुमार नाम का वह व्यक्ति मारा जाता है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दरोगा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है जो साजिश में शामिल लोग थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

होती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फलिया फतेहाबाद आगरा में जो घटना हुई वहां पुलिस ने घटना को मुठभेड़ दिखाने का जो काम किया है और मुजरिमों को नहीं पकड़ा जा रहा है यह सही नहीं है बलिया में घटना हुई जांच में अगर दरोगा दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें जिनको साजिश से मारा गया है उनके खिलाफ कार्यवाही करें । दस्यु मुठभेड़ है डी०आई०जी० और आई०जी० तक सूचना है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मंगा लें पोस्टमार्टम में चाकू हंसिया से पेट फाड़ा गया है फिर गोलियां चलायी गयी हैं यह बात सामने आ जायगी, ऐसे थानेदारों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । इसमें कार्यवाही करें और ऐसे गम्भीर प्रश्न पर विचार करने की अनुज्ञा दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक घटना की तात्कालिकाता का प्रश्न है आपने स्वयं की इंगित किया है । 7 अप्रैल की घटना है और आज 5 मई हो गया है । कार्य स्थगन का फिर क्या महत्व रह गया जाता है इसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है । दो बातें कही गयीं । एक तो यह कहा गया कि गांव के लोगों ने उसकी हत्या कर दी । उसकी लाश पड़ी थी । पुलिस ने आकर उस पर गोली चलायी श्रेय लेने के लिए । जिस व्यक्ति की हत्या हंसिये या चाकू से की गयी है । और पुलिस श्रेय लेने के लिए गोली चला दे इस पर बल दिया गया । तो मैं इस बात की जानकारी करा लूंगा । इस बात की जानकारी हो जायगी कि वह गोली पहले लगी या फिर बाद में लगी है । वह एण्टी मार्टम है या पोस्टमार्टम है । सीधा आरोप है । मान्यवर, अम्बिका जी ने कहा कि जो पार्टी हत्या करने वाली थी उसने 20 वर्ष पहले उसके पिता की भी हत्या करवायी थी । मैं डी०आई०जी० रेंज को निर्देशित कर दूंगा कि वह उसकी जांच कर लें कि गोलियां पहले लगीं या बाद में लगीं । अगर बाद में लगी हैं तो संगत धाराओं में मुकदमा कायम किया जायेगा । जो बात वर्मा जी ने कही, वह बहुत विद्वान सदस्य हैं, जो सूचना दी है उस सूचना का देखें । चौथा पैरा में है दूसरे प्रकरण में इसी प्रकार की अभी गत माह में एक घटना । गत माह में तारीख नहीं है, सप्ताह नहीं है तो यह कैसे नियम–56 की परिधि में आयेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप शासन को जानकारी दे दें कि यह घटना कब घटी ।

श्री हुकुम सिंह–

आप मुझे लिखकर दे दें कि कब हत्या हुई । आप इतना बड़ा आकार नियम–56 का कर देंगे तो कैसे जांच हो पायेगी । मेरा आग्रह है कि आप दोबारा लिखकर दे दें मैं इसका परीक्षण करा लूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह 24-25 अप्रैल की घटना है और यह पलिया गांव की घटना है । आप डी०एम० को पूछ सकते हैं....

श्री अधिष्ठाता–

इस बात से कौन इंकार कर रहा है । मगर जब उत्तर की अपेक्षा रखते हैं तो दिनांक आना चाहिए था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक महीने पुरानी घटना होने के बावजूद इसे गम्भीरता से लिया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि चूंकि इस रेंज के डी०आई०जी० ने दरोगा को पुरस्कृत करने का काम किया है इसलिए उपयुक्त होगा कि आप किसी दूसरे रेंज के डी०आई०जी० से इसकी जांच करा लें। और उसकी जो रिपोर्ट आये उसके अनुसार कार्यवाही करायें। क्योंकि जिसने इनाम देने का काम किया है वह कैसे फेयर जांच कर सकेगा ? पुलिस अधीक्षक, बलिया को यह निर्देश हो जाये कि उसके परिवार की सुरक्षा अवश्य की जाये तनावपूर्ण स्थिति है अगर हत्या पायी जाये तो उसके लिए दस लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पत्रावली शासन में मंगवा लूंगा वह एण्टी मार्टम, पोस्टमार्टम है जानकारी करने के बाद जो आवश्यक होगा, किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं। ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के तहत संचालित बन्द मिलों को पुनः चलाये जाने विषयक अगली सूचना श्री राम नक्षत्र की है इस पर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं मद संख्या–11 लेता हूं वित्तीय वर्ष 2001-2002 पर साधारण चर्चा जारी।

श्री प्रमोद कुमार द्वारा विशेष उल्लेख के रूप में बिजली से सम्बन्धित सूचना उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कदाचित आपको स्मरण होगा कि अध्यक्ष महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी थी संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे और लोग भी थे कि कोई विशेष घटना हो, माननीय विधायक से सम्बन्धित हो तो उसे सदन में विशेष उल्लेख के रूप में शून्य प्रहर के बाद लिया जायेगा इस आशय की एक सूचना आपको दी है। 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा वह बिजली पर है।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दिखवा लेता हूं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

यह तो 5 बजे आयेगा।

श्री अधिष्ठाता–

वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि विशेष उल्लेख के तहत आये। आप कल नोटिस के रूप में दे दें अगर सुसंगत नियमों में आयेगा तो ले लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कल सुसंगत नियमों में दें।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

आप स्वयं ही विद्वान हैं। यह अंकित न किया जाय मेरी अनुमति के विपरीत बोल रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

मैं आय-व्ययक पर साधारण चर्चा जारी रखने के लिए श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव को बुला रहा हूं। वे अनुपस्थित हैं। विपक्ष के कोई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

वित्त मंत्री जी मान्यवर, कल यहां पर थे वित्त मंत्री जी को आज योजना आयोग की बैठक है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ जाना आवश्यक था। वे हमें निर्देशित कर गये हैं जो भी माननीय विधायकों के सुझाव होंगे उनको हम नोट करेंगे।

सदन में गणपूर्ति के अभाव की सूचना

श्री प्रमोद कुमार–

इस समय कोरम कम्पलीट नहीं है। [xxx] मैं कोरम का प्रश्न उठाता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम की गिनती करवा लें।

घण्टी बजाई जाये।

(कोरम के लिए घण्टी बजाई गयी)

(घण्टी बजने के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कोरम के सम्बन्ध में सुबह से प्रश्न उठ रहे हैं और निश्चित रूप से कोरम का पूरा न होना चिन्ता का विषय है।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

(गणपूर्ति होने पर 1 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–11 पर श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव चर्चा प्रारम्भ करें।

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

+ 3 अप्रैल, 2001 की कार्यवाही से।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कल बजट चर्चा पर अपने विचार रख रहा था, उस समय मैंने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल एजूकेशन के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किये हैं। मेडिकल कालेजों और उससे जो अटैचड चिकित्सालय हैं, उनमें उपकरण खरीदने के लिए इस सरकार ने एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसी तरह तीन होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के भवन निर्माण के लिए 5.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारी इस सरकार ने की है। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के अपूर्ण भवन हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्रीवास्तव जी, मैं जो मनःस्थिति देख रहा हूं, उसको देखते हुए सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित कर रहा हूं, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी।

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के भाषण के मध्य 2 बजे श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

(अपराह्न 2.30 से 2.35 बजे तक कोरम के लिए घण्टी बजती रही किन्तु कोरम पूरा नहीं हुआ)

(कोरम पूरा होने पर 2 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही 8 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई।)

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कल बजट पर चर्चा करते हुए कह रहा था कि हमारी सरकार ने मेडिकल एजूकेशन की ओर बहुत अधिक ध्यान दिया है। मेडिकल कालेजों और उससे सम्बद्ध जितने भी चिकित्सालय हैं उनको उपकरण क्रय कराने हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है तथा 3 होम्योपैथिक मेडिकल भवनों के निर्माण हेतु 5.16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मा० अध्यक्ष जी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के जो भवन अपूर्ण थे उनको पूर्ण करने के लिए भी 33 लाख रुपये का प्राविधान हमारी सरकार ने किया है। एस०जी०पी०जी०आई० को आधुनिकतम उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है ताकि वह भारत वर्ष में एक अच्छा चिकित्सालय बन सके। प्रदेश में, हमारी सरकार के ही कार्यकाल में 3 मेडिकल कालेज और 12 टेन्टल कालेजों की स्थापना हुई है, उनका संचालन भी प्रारम्भ हो गया है। जहां तक चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने की बात है कुछ निर्णय हमारी सरकार के द्वारा किये गये हैं वह प्रशंसनीय हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जून, 2001 तक प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, सिप्सा के अन्तर्गत महत्वपूर्ण योजनायें उत्तर प्रदेश सरकार ने चलायी है और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार चिन्तित है। क्षेत्रीय डायग्नोस्टिक सेण्टर्स की स्थापना के लिए इस बजट में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने सराहनीय कार्य किये हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने सत्र नियमित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। वर्षों से सत्र अनियमित था, उसको नियमित करके ठीक समय पर परीक्षायें इस सरकार ने करायी हैं। रोजगारपरक पाठ्यक्रम लेकर इस सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक [illegible] स्थापित किया है।

गंगा, यमुना और गोमती ये तीनों नदियां पेयजल की प्रमुख साधन हैं । इनसे जनता को पेयजल उपलब्ध होता है, किन्तु प्रदूषण के कारण जनता को स्वच्छ जल नहीं मिल पाता । इसलिए हमारी सरकार ने ऋण लेकर 85 करोड़ रुपये की योजना बनायी है । इससे गंगा, यमुना और गोमती के प्रदूषण को रोका जा सकेगा । जहां तक पेयजल व्यवस्था का सवाल है । सेलो ट्यूबवेल, डीप बोरिंग ट्यूबवेल भारी संख्या में लगाये गये हैं । शहरों के अन्दर 3 इंच के पाइप लाइन बिछे हुए थे उन्हें 6 इंच में परिवर्तित करने का काम हमारी सरकार ने किया है । जल कैसे प्राप्त हो, जितना पेयजल की आवश्यकता है उससे कम पेयजल उपलब्ध होता है इसलिए अतिरिक्त पेयजल कैसे प्राप्त हो, सरकार ने इस पर चिन्ता की और शहरों के अन्दर डूडा के माध्यम से इन्दारा कुंओं को विकसित करके ट्यूबवेल लगाये गये जिससे अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध हो सके । इससे पानी की समस्या का हल हुआ है ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि डूडा के माध्यम से जो मलिन बस्तियां थीं उनमें हर प्रकार की सुविधायें हमारी सरकार ने उपलब्ध करायी हैं । कम्युनिटी सेन्टर्स, सुलभ शौचालय, खड़ण्जा, बिजली, पानी इन सारी समस्याओं का निराकरण हमारी सरकार ने किया है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो यह बजट पेश किया है, संक्षेप में कहा जाये तो यह एक कल्याणकारी बजट है और हर वर्ग के लोगों के लिए हितकारी है और प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाने वाला है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

* श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के 2001-2002 के सामान्य बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । मान्यवर, काफी दिन पहले जब यह बजट प्रस्तुत हुआ था तो मैं यह सोच रहा था कि यह मौजूदा सरकार का अन्तिम बजट होगा, मौजूदा वित्त मंत्री का, यह अन्तिम बजट होगा और 5 वर्ष के कार्यकाल में यह उनका विदाई बजट होगा । मुझे आशा थी कि यह कुछ न कुछ तोहफा उत्तर प्रदेश की जनता को अवश्य देंगे लेकिन मुझे दुःख है कि जाते-जाते भी इन्होंने उत्तर प्रदेश को रोजगार विहीन, दिशा विहीन और गतिहीन बजट दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश का हर प्रदेश तो आगे बढ़ेगा लेकिन उत्तर प्रदेश और भी पीछे चला जायेगा और मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की इस मौजूदा सरकार की होगी और प्रदेश की स्थिति निर्धारण की जिम्मेदारी इस मौजूदा प्रदेश सरकार के ऊपर जायेगी । सम्भवतः इसका एक मात्र कारण अन्तर्विरोध और दिशाहीनता है और इस प्रदेश की सरकार को, कुल मिलाकर केन्द्र सरकार का सहयोग न प्राप्त होना है .

मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो चावल आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित होता है उसका एक-एक चावल हमारी केन्द्र सरकार खरीद लेती है और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना पाते हैं जिससे हमारे प्रदेश का चावल नहीं खरीदा जाता है । मान्यवर, इस बजट की आलोचना का सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि यह सरकार वर्ष को 9 माह का मानकर चल रही है और पिछले 3 माह में विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं कर सकी है । मान्यवर, क्या कठिनाई थी कि 31 मार्च के पहले इस बजट को नहीं पेश किया जा सका, इसका कारण इन्होंने यह दिया है कि कुम्भ मेला, जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव थे, तो मान्यवर, कुम्भ मेला कोई नई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात नहीं कि इनको पता नहीं था कि कुम्भ मेला होगा और रही बात चुनाव की यह भी इन्हें मालूम था कि जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव तो होने ही थे । तो मान्यवर, अगर यह बजट तीन माह पहले पेश हो गया होता तो प्रदेश में कुछ और विकास कार्य हुए होते । मान्यवर, अप्रैल, मई, जून के लिए लेखा अनुदान लेकर सरकार ने काम चलाने का प्रयास किया है और इसमें एक भी पैसा विकास कार्यों में नहीं लगाया गया है । सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह बजट 9 माह का बजट है जबकि बजट एक वर्ष का पेश किया जाना चाहिए । श्रीमन्, यह घोर वित्तीय अनुशासनहीनता है ।

श्रीमन्, यह घोर वित्तीय अनुशासनहीनता है कारण यह है कि प्रदेश भर की रूपरेखा बनाने में वित्त मंत्री जी असफल रहे हैं । अगर इस पर एक नजर डालें तो मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले वर्ष जो पुनरीक्षित अनुमान थे लगभग 57354.25 करोड़ रुपये के थे इस वर्ष इसको और आगे बढ़ाना चाहिये था लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में यह पीछे चल रहे हैं और इस बार पुनरीक्षित अनुमान 51470 करोड़ रुपये है । 6 हजार करोड़ रुपये यह पीछे चले गये हैं । जब यह बिसमिल्लाह खराब है तो भविष्य का आप अंदाजा लगा सकते हैं । जब प्रदेश में धन नहीं है तो भविष्य का आप अंदाजा लगा सकते हैं । जब प्रदेश में धन नहीं होगा पूंजी नहीं होगी तो विकास कैसे करेंगे ? 6 हजार करोड़ रुपये की गिरावट आयी है यह प्रदेश को पीछे ले जाने की प्रक्रिया है । मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी ने प्रदेश के साथ न्याय नहीं किया है ।

मान्यवर, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि सरकार बार-बार कहती है कि हम योजना व्यय बढ़ायेंगे । पिछले वर्ष का वित्त मंत्री जी का भाषण मेरे सामने है । उन्होंने कहा था कि 2001-2002 में हमारा उद्देश्य योजना व्यय को बढ़ाना है लेकिन आप देखें कि उसका उल्टा किया गया है । इस बार कमी कर दिया है । पिछले वर्ष इस मद में 11442.45 करोड़ रुपये थे और इस वर्ष 10156 करोड़ कर दिया । 1 हजार करोड़ रुपये की कमी कर दी है । योजना मद में अगर कमी की गई है तो पैसा कहां गया है यानी गैर योजना मदों पर पैसा खर्च किया गया है । आप देखें कि किस तरह से फालतू खर्च किया जा रहा है । 90 मंत्री हैं । एक एक मंत्री 9 हजार रुपये जेब खर्च ले रहा है और 3-5 लाख की जब वह चाय पियेगा तो योजना खर्च में कमी तो होगी ही ।

मान्यवर, यह सरकार अंकुश विहीन हो गयी, निरंकुश हो गयी है, यह देश और प्रदेश के लिये एक अशुभ संकेत है । यह सरकार योजनागत व्यय में कमी करती जा रही है और गैर योजनागत कार्यों पर खर्च बढ़ा रही है । यह वित्तीय अनुशासनहीनता का चरमोत्कर्ष है । मान्यवर, आप पूंजीगत परिव्यय पर एक नजर डालें तो जो स्थिति नजर आती है वह सुखद नहीं है । पिछले वर्ष और इस वर्ष बराबर-बराबर धनराशि की व्यवस्था की गई है । मान्यवर, इस वर्ष ईंट के दाम बढ़ेंगे, सीमेंट के दाम बढ़ेंगे और 15-20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी तो फिर इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम विकास होगा क्योंकि मंहगाई के कारण यह राशि कम पड़ेंगी ।

मान्यवर, वित्त आयोग किसी प्रदेश के लिये बहुत महत्वपूर्ण होता है । वित्त आयोग से जो पैसा मिलता है वह प्रदेश के विकास के काम आता है । 11वें वित्त आयोग की जितनी संस्तुति थी दुर्भाग्य से उतनी धनराशि सरकार केन्द्र से नहीं ला पायी । वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री जी ठीक से पैरवी नहीं कर पाये और 168 करोड़ रुपया कम प्राप्त हुआ । 11वें वित्त आयोग ने 5292.27 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के हिस्से के लिये निर्धारित किये थे लेकिन 5124 करोड़ रुपया मिला । 168 करोड़ रुपये की कमी हो गई । यह इस प्रदेश की सरकार की अक्षमता है । पहले वित्त मंत्री जी ने और राम प्रकाश गुप्त जी ने मिलकर लाला बजट प्रस्तुत किया था और इस बार माननीय वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री जी ने

मिलकर थालर बजट प्रस्तुत किया है । इससे कुछ होने वाला नही है । जो 717 करोड़ रुपये का घाटा है उसको पूरा करने के लिये कोई रास्ता नहीं दिखाया गया है । यह इन्होंने स्वीकार किया कि 15 मार्च, 2001 तक गन्ना किसानों का 813 करोड़ रुपया बकाया है । हमारे हिसाब से यह राशि कहीं और ज्यादा है । गन्ना किसानों का बकाया न मिलना उसके साथ अन्याय है । किसान अपनी मेहनत से जो गन्ना पैदा करता है उसको उसका दाम नहीं मिलता है और दूसरी तरफ जो किसानों पर बकाया होता है उसकी वसूली के लिये किसानों का उत्पीड़न किया जाता है ।

मान्यवर, इस प्रदेश के साथ क्या अत्याचार किया गया है किसान ने अपना खून पसीना बहाकर प्रदेश का मान ऊंचा किया है । इस देश में जितना गेहूं पैदा होता है उसका 36 प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है । आलू 38 प्रतिशत पूरे देश का उत्तर प्रदेश पैदा करता है । आम 34.5 प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है । 21 प्रतिशत फल यहां से जा रहा है 22 प्रतिशत तरकारी सब्जी उत्तर प्रदेश का किसान पैदा करता है । 18 प्रतिशत दूध उत्तर प्रदेश का किसान दे रहा है जो किसान विपरीत परिस्थितियों में यह पैदावार दे रहा हो व अपनी भागीदारी का निर्वाह कर रहा हो उसके साथ आप क्या कर रहे हैं आप उसे आठ घंटे बिजली नहीं दे रहे हैं 6 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं । खराब मौसम के कारण किसान का गेहूं खलिहान में पड़ा हुआ है । मैं आपके माध्यम से सरकार को अपनी चिन्ता से अवगत कराना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के बहुत से जनपद ऐसे हैं जहां तीन-चार घंटे मुख्यालय में बिजली जा रही है । बहुत से जिले ऐसे हैं जहां कस्बों में गांवों में दो-दो-तीन-तीन दिन से बिजली नहीं आ रही है । रिहन्द में 500 मेगावाट की यूनिट बैठ गई है । तीन ट्रांसमीशन लाइन ट्रिप हो गई हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरे पास सूचना प्राप्त हुई वहां बिजली नहीं जा पा रही है अभूतपूर्व स्थिति है । क्या बदला दे रहे हैं किसानों को आप । जिस किसान ने आपको राष्ट्र के मानचित्र पर सुशोभित किया जिस किसान ने आपका नाम बढ़ाया उसको आठ घंटे बिजली नहीं दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं । डीजल मंहगा कर दिया, पेट्रोल मंहगा कर दिया ।

मैं याद दिलाना चाहता हूं 1989 की कांग्रेस सरकार के कामकाज की और उस समय 75 रुपये सरचार्ज था आज यह 315 रुपये कर दिया बिजली का । इतना ज्यादा आपने बढ़ा दिया सुविधा के नाम पर उसे कुछ नहीं दिया । केन्द्र सरकार ने प्रदेश के खर्चे के अग्रिम के रूप में इस वर्ष 3201.81 करोड़ रुपये कम कर दिया । पिछले वर्ष 7802.4 करोड़ रुपये दिया इस वर्ष 4,600.59 करोड़ रुपये दिया । आप केन्द्र सरकार से अपना हक नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप इतने कमजोर हो गये हैं कि अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं । वित्त आयोग की सिफारिश से जो कर्ज के रूप में अग्रिम के रूप में मिल सकता है वह नहीं ले पा रहे हैं । देनदारियां केन्द्र की आप पर कम हो गई हैं इसको आपको स्वीकार करना चाहिये । 1699 करोड़ की उसमें कमी आई है । क्या इस बात का उत्तर प्रदेश का दोष है कि जिस दल की यहां सरकार है उसी दल की केन्द्र में सरकार है । देश का प्रधानमंत्री इस प्रदेश की राजधानी से निर्वाचित होता है इससे ज्यादा प्रदेश सरकार की असफलता और निकम्मेपन का दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है ? जो बजट है उसमें 50 प्रतिशत धनराशि वेंतन रखरखाव पर जा रही है, 36 प्रतिशत धनराशि ऋण या ब्याज चुकाने पर जा रही है । बचा कितना आपके पास कुल मिलाकर लगभग 8.23 प्रतिशत धन विकास पर खर्च होता है इससे कैसे विकास होगा । आपके पास कुल मिलाकर जो पूंजी है उसमें 92 रुपये वेतन, रख-रखाव, ब्याज पर जा रही है आठ रुपये आपके पास बचते हैं 100 रुपये में विकास के मद पर । आप फिजूलखर्ची को रोक नहीं पा रहे हैं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और प्रदेश के हित के विरुद्ध स्थिति है ।

पूंजी व्यय पर 4457 करोड़ जबकि होना क्या चाहिये 4372 करोड़ । अब आइये जरा किसानों की बात करें । यहां बैठे सभी लोग किसान से संबंधित हैं । मैं आपको एक आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाहता हूं कि हमारे किसानों से उत्तर प्रदेश को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 42 प्रतिशत मिल रहा है और हम उस पर खर्च कर रहे हैं केवल 21 प्रतिशत । अरे अगर किसानों से 42 प्रतिशत मिल रहा है तो कम से कम उस पर 50 प्रतिशत तो खर्च करते अरे अगर वह भी नहीं तो कम से कम उतना ही 42 प्रतिशत ही खर्च करते । इसके बाद भी कह देंगे कि हम किसानों के हितैशी हैं । इस बजट के बाद किसानों की सबसे विरोधी सरकार आज तक कोई बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार होगी ।

आश्चर्य है पूर्वांचल के बुनकरों के बारे में एक शब्द भी इस बजट में नहीं कहा गया है । फैजाबाद मऊ आजमगढ़ भदोही होते हुये बुनकर बेल्ट बनाई जानी चाहिये थी लेकिन कुछ नहीं । मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूं मगर हमारे वित्त मंत्री जी जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वहां बहुतायत में बुनकर हैं जो इन्हें वोट नहीं देते जिसकी दुश्मनी निकालने के लिये इन्होंने उनके लिये कुछ नहीं किया । मैं सरकार की निन्दा करता हूं कि उसने पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बारे में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है । बाढ़ की स्थिति के बारे में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया । पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आती है उसका प्रमुख कारण नेपाल से शुरू होता है क्योंकि वहां से पानी अधिक मात्रा में आता है लेकिन इस सरकार द्वारा नेपाल से वार्ता तक नहीं की गई इस संबंध में । कई बार तय हुआ कि वहां चेक डैम बनाया जायेगा लेकिन कुछ नहीं किया गया । इनका काम बाढ़ आ जाय तो बाढ़ राहत के नाम पर कुछ पैसे को लूटा जाय डाका डाला जाय । आप नेपाल सरकार से जो अंश हो, केन्द्र सरकार से जो अंश हो, अपनी सरकार का जो अंश हो मिलाकर कार्ययोजना तैयार कर इस समस्या से निपटें लेकिन नहीं । यदि ऐसा हो तो मैं कहता हूं कि 80 प्रतिशत बाढ़ से बचा जा सकता है ।

इसके अलावा एक चिन्ता का विषय और है वह यह कि 1979 तक रिजर्व बैंक में ऋण जमा अनुपात लगभग 50प्रतिशत था, महाराष्ट्र गुजरात का 60 प्रतिशत यानी उस समय प्रदेश में 100 रुपये जमा होते थे तो 50 रुपये ऋण के रूप में उद्यमी ले लेते थे । चिन्ता की बात है कि ग्यारह वर्षों में यह अनुपात घटकर 30 प्रतिशत पर आ गया है । कमायें हम फिर भी गरीब प्रदेश, जमा हम करें फिर भी गरीब प्रदेश । 42 प्रतिशत किसानों की आमदनी है फिर भी गरीब प्रदेश है । महाराष्ट्र, गुजरात का 60 से 90 तक पहुंच गया है यानी वहां पर 100 का 90 मिल रहा है ।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए)

हम मान्यवर, 100 में 30 ला रहे हैं । उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं । इस तरह से कैसे प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे चलेगा । ऋण जमा अनुपात सरकार को बढ़ाना होगा और इसके लिये प्रयास करना होगा । इन मानकों के साथ मैं अपना विषय थोड़ा बदलता हूं । बुन्देलखण्ड की तरफ आना चाहता हूं । प्रति व्यक्ति आमदनी का स्वरूप क्या है । प्रति व्यक्ति आमदनी स्थाई भाव आप देखें उत्तर प्रदेश में 6,373 रुपये है ।

(मोबाइल फोन की घंटी बजने पर)

मान्यवर, क्षमा चाहता हूं इसके लिये खेद व्यक्त करता हूं । हां, मान्यवर, अन्य राज्यों में प्रति व्यक्ति आमदनी 10 हजार से 15 हजार रुपये है । हमारी इस तरह की स्थिति में आप प्रदेश को कैसे भारत के बाजार में खड़ा कर सकते हैं । प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ानी होगी, ऋण जमा अनुपात बढ़ाना हो, केन्द्र

से मिलने वाली सहायता और अगर नहीं कर पायेंगे तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में कोई भी इस तरह का प्रयास आपने नहीं किया है । एक और चिन्ता का विषय है प्रदेश की कुल आय 1981 से 1989 में जब कांग्रेस की सरकार थी 4.8 प्रतिशत थी विकास की दर । आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद यह घटकर 3.2 प्रतिशत पर आ गई । 11 सालों में यह विकास की दर बढ़ने के बजाय घटी है और देश का यह प्रदेश है महाराष्ट्र और गुजरात जहां पर यह क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत है । यानि उनकी बढ़ गई और आपकी विकास दर 4.8 से घटकर 3.2 प्रतिशत आ गई । किस बात पर मैं बजट की तारीफ करना चाहूं तो करूं । यह बजट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद है । उत्तरांचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है । मैं बधाई देता हूं हमारी शुभकामनायें हैं कि वे विकास करते जायं । कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं है । बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल में शिक्षा का प्रतिशत भी कम है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है । कहीं से भी देखें पिछड़ेपन के मानक के अनुसार भी कम है । उनको क्या सुविधा मिलेगी अगर केन्द्र सरकार 100 रुपये की सहायता देगा विशेष राज्य बन जाने के बाद 90 प्रतिशत अनुदान होगा और 10 प्रतिशत ऋण होगा । विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पहले वे बहुत पिछड़े हुये हैं । वहां हम सुविधा नहीं दिला पा रहे हैं । बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल को स्पेशल कैटेगिरी में लाकर डाल सकते हैं 90 रुपये अनुदान होगा और 10 रुपये ऋण होगा । यह उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता और अकर्मण्यता, असफलता का जीता जागता परिणाम है । वित्त मंत्री जी ने यह तोहफा दिया है प्रदेश को । बहुत मेहनत के साथ प्रतिदिन के हिसाब से चलाने का काम किया है । प्रति दिन माननीय हरीश जी के नेतृत्व में 16 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा है और राजकोषीय घाटा है 34 करोड़ प्रति दिन । यह घाटा देकर सरकार प्रदेश को कहां ले जा रही है । मान्यवर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बजट जन विरोधी, गरीब विरोधी और प्रदेश विरोधी है ।

कुल मिलाकर जनता के साथ मजाक है किसानों के साथ मजाक है इसलिए मैं अपने विचार इस बजट पर रखते हुए इस बजट की आलोचना करता हूं यह पूर्णतया अक्षम बजट है ।

डा० इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस बजट में विकास की स्पष्ट दिशा है उसमें अधिकतम जनकल्याण के लक्ष्यों और वित्तीय सुप्रबन्ध की व्यवस्था इस बजट में की गई है । मैं मानता हूं हमारे हरीश जी जैसे वरिष्ठ बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति ने अपने सारे अनुभव की इस बजट में समाविष्टी करने की कोशिश की है । मान्यवर, 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में खाद्यान की लगभग 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रदेश की आय में 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में वृद्धि 14.8 प्रतिशत के लगभग है । प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है । सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि बजट का विशेषतया राजस्व का जो घाटा है जिस प्रकार से हमारी मुद्रा स्फीति की दर बढ़ी है उसमें राजस्व का घाटा उसी दशा में बना रहे तो यह भी अपने में बहुत बड़ी बात है । तथापि पिछले चार-पांच वर्षों में सरकार ने राजस्व घाटे को कम किया है । 1998-99 में राजस्व का घाटा 8,696.16 करोड़ रुपया था । 1999-2000 में यह 7,252.6 करोड़ हुआ और 2000-2001 में यह घाटा 5,818.59 करोड़ हो गया, 2001-2002 में अनुमान है कि यह घाटा 4,031.90 करोड़ होगा । अर्थात पिछले तीन-चार वर्षों में राजस्व का घाटा इस सरकार ने आधा किया है । यह सरकार का वित्तीय सुप्रबन्ध और कुशलता है । मान्यवर, राजस्व का घाटा कम करने और वित्तीय सुप्रबन्ध को सुव्यवस्थित करने के लिए इस सरकार ने प्रदेश स्तर पर एक लेखा नियंत्रक की नियुक्ति की है । इसके साथ-साथ कोषागार जो हैं इनके कोषागार निदेशालय और जो अन्य वित्तीय संस्थायें हैं उनको निकनेट से जोड़ा है । जिससे सूचनाओं में सुविधा होगी । इससे वित्तीय प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बना सकेंगे । बजट की जो प्राथमिकतायें हैं । मैं समझता हूं कृषि बहुत महत्वपूर्ण है बजट में किसानों के लिए बात कही गई है । ट्रैक्टर ट्राली को रजिस्ट्रेशन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है । किसानों का जुगाड़ वाहन एक आवश्यकता बन गया था जिस पर प्रदेश में प्रतिबन्ध था ।

लेकिन किसान का उसके बिना काम नहीं चलता था तो उसको प्रतिबन्ध से मुक्त किया है और किसानों को राहत दिलायी है । तहसील दिवसों के माध्यम से आम आदमी और किसान को बहुत बड़ी सुविधा दी गयी है । आज हर आदमी जाकर अपनी समस्या कह सकता है और समस्या का मौके पर निस्तारण किया जाता है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार के द्वारा भी सुविधाएं दी गयी हैं जैसे किसान का क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना उनको प्रदेश सरकार ने प्रभावी ढंग से लागू किया है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले बिजनौर में, और भी जिले में होगा, किसानों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी है । इसके अतिरिक्त मूलभूत सुविधाएं जैसे–सड़क सिंचाई, पेयजल की तरफ भी ध्यान दिया गया है । ये लोग हाऊस में [× × ×] रहते हैं । मान्यवर, माफ कीजिएगा आपने कहा था कि [× × ×] शब्द असंसदीय है । [× × ×] कि विकास नहीं हो रहा है लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले तीन-चार वर्षों में हमने सड़कों को, ग्राम सम्पर्क मार्गों को सुधारने का काम किया जो कि शायद ही 35-40 सालों में कभी हुआ है । आज गांव का हर आदमी कहता है कि सड़कों का जो काम हुआ है वह पहले कभी नहीं हुआ लेकिन ये लोग [× × ×] मन्च के ऊपर तो विरोध करते हैं लेकिन घरों में बैठकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि सड़कों का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितना हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है । प्रमोद कुमार चले गये हैं मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण देता हूं । हमारे क्षेत्र के अन्दर भूतपूर्व सैनिक कालोनियां हैं । 40-45 सालों तक जिन्होंने राज्य किया । भू०पू० सैनिकों ने, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर अपने जीवन को कांग्रेसियों ने अर्पित किया, पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाये । उन्हें पानी के लिए तीन-चार किलोमीटर जाना पड़ता था लेकिन आज हमारी सरकार ने पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी है और अब उन्हें 100-50 मीटर से ज्यादा नहीं जाना पड़ता है । यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसके साथ-साथ मान्यवर, समाज के कमजोर वर्ग को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी है, व्यापारियों को सुविधा दी है देना, सामूहिक बीमा योजना को भी लागू किया है । स्वयं कर निर्धारण में सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया है । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । मान्यवर, आई०एस०आई० गतिविधियों के बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई०एस०आई० ने हमारे यहां गतिविधियां फैलाने की कोशिश की ...

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इससे इसका क्या मतलब ?

डा० इन्द्रदेव सिंह–

मान्यवर, ये लोग तो भी बहुत सी चीजें ऐसी बोलते हैं जिससे इसका ताल्लुक नहीं होता है तो मैं यह कह रहा था कि हमारी सरकार ने बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्यवाही की और पैर फैलाने से उनको रोका है । लखनऊ में पाकिस्तानी एजेन्ट मारे गये, कानपुर में दंगा प्रभावी ढंग से रोका है लेकिन विपक्ष के साथी इस तरह की भाषा बोलते हैं जिससे पाकिस्तानी एजेन्टों को अपना कार्य करने में सुविधा होती है ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दियागया ।

तो मैं सम[illegible] हूँ कि उससे उस तरफ [illegible] ध्यान देने की आवश्यकता होगी ।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर ट्रक चालकों का उत्पीड़न पुलिस के द्वारा होता रहता है इसे रोकने हेतु हमारी सरकार ने टोकन व्यवस्था लागू की है । इसी तरह से हमारी सरकार ने चावल निर्यात के लिए एक नीति एवं आम के निर्यात के लिए नीति बनायी है । साथ ही जो अन्य प्रमुख फसलें हैं उनके लिए निर्यात नीति लागू करने जा रही है । मान्यवर, अवनत वन की मैं बात करूंगा । मान्यवर, जो वन है वह मानव जीवन और पशुओं के लिए आक्सीजन प्रदान करता है । वन्य जीवों को आश्रय स्थल प्रदान करता है । मान्यवर, वन निरन्तर समाप्त होते जा रहे हैं । मान्यवर, जो हमारे अवनत वन थे उनके सुदृढ़ीकरण करने के लिए सरकार ने 582 लाख रुपये की व्यवस्था की है और जो विश्व बैंक है उसके द्वारा 50 करोड़ रुपये जो प्राप्त हुए हैं वह वनीकरण के लिए रखे गये हैं । मान्यवर, जो गांव वनों के साथ लगे हुए हैं तो पुराने काल से उन वनों का लोग लाभ उठाते रहे हैं जिससे वनों को हानि होती रहती है उनके अन्दर इको डेवलपमेन्ट का प्रोग्राम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है । मान्यवर, इस तरह से इको फ्रैंडली समितियां गठित की गयी हैं । मान्यवर, वन्य जीवों के द्वारा फसल का नुकसान होता है उसकी भी भरपाई कुछ हद तक होती है तो यह जो समितियां हैं इनको और अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, हमारा क्षेत्र जो है उसकी 70 किलोमीटर बाउण्ड्री उत्तरांचल के साथ लगी हुई है, पहाड़ है, वन है । नेशनल कार्बेट पार्क पास में है, टाइगर रिजर्व सीमा पास में है वहां के जंगली जानवर हाथियों के झुण्ड, जंगली सुअर वे वहां तक आते हैं और किसानों की फसल को नष्ट कर देते हैं । हमारे यहां छोटे–छोटे किसान हैं किसी किसी किसान की तो रात्रि में आकर पूरी फसल वन्य जीव नष्ट कर देते हैं मान्यवर, मुआवजे देने का कानून है लेकिन उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है किसान अनपढ़ है जो अधिकारी हैं उनकी मानसिकता ऐसी है कि मुआवजा कम से कम दिया जाये । किसान तमाम नुकसान झेलने के बाद भी मुआवजा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाता है इसमें कोई सरल प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए । मान्यवर, इस बजट में जो हमारे मेडिकल कालेज हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया गया है और धन दिया गया है । मान्यवर, हमारे देश के अन्दर महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आदि प्रदेश हैं । इन प्रदेशों के अन्दर जो आयुर्वेदिक कालेज हैं उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है जबकि यह राज्य हमारे प्रदेश की तुलना में आबादी में कम है । आबादी कर्नाटक में भी बहुत कम है । गुजरात में 50 लाख की आबादी के ऊपर आयुर्वेदिक का मेडिकल कालेज है । हमारे यहां 10 मेडिकल कालेज हैं और 20 करोड़ की जनसंख्या है । कर्नाटक में 60 मेडिकल कालेज हैं, महाराष्ट्र में 50–55 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हैं तो हमें उत्तर प्रदेश में इस पर विचार करना होगा । चूंकि यह बजट अधिकतम जन कल्याण की भावना से रखा गया है इस कारण से मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ ।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने तर्कों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं । यह बजट निराशाजनक है, दिशा विहीन बजट है और मैं कहूँ कि बाजीगरी का इससे और अच्छा नमूना प्रस्तुत नहीं हो सकता , जो इस बजट में माननीय हरीश जी ने किया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । इस बजट में कुछ है ही नहीं अगर इसका अध्ययन करें तो बजाय इस प्रदेश को आगे ले जाने, विकास के रास्ते पर ले जाने के यह बजट और पीछे ले जायेगा । आज दुर्भाग्य से इस सरकार को मौका मिला था पूरा कार्यकाल पूरा करने का, स्थिर सरकार भी इनकी बनी आया राम गया राम की । आपने कीर्तिमान

स्थापित कर दिया है जो देश में कभी टूटने वाला नहीं है लेकिन अब अगर इस बजट को देखें तो यह किसके लिए बनाया गया है मेरी समझ में नहीं आया, मेरी तो समझ में नहीं आया कि हरीश जी बजट बनाये किसके लिए । आंकड़ों की बाजीगरी में अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि घाटा कम हुआ है। 100 प्रतिशत हमारा खर्च बढ़ा है हम लोग कह रहे हैं कटौती कर रहे हैं खर्चे में ।

मान्यवर, किसी देश प्रदेश का पैमाना होता है उसकी आर्थिक आमदनी प्रति व्यक्ति आय, किसी देश का प्रदेश का आयना होता है कि उस देश में कितने लोग टैक्स देने वाले हैं, उनकी संख्या क्या है ? कदाचित आपको स्मरण हो जब आजादी मिली तो हमारा प्रदेश ऊपर से तीसरे या चौथे नम्बर पर था आज मान्यवर, बिहार के बाद हमारा ही नम्बर है नीचे से दूसरे नम्बर पर हमारा उत्तर प्रदेश पहुँच गया है । इस बजट में हमने बढ़ा ढ़िंढोरा पीटा कि आगे की ओर जा रहे हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन अपने बजट भाषण में कहा कि देश की प्रति व्यक्ति आय ग्रोथरेट 6.6 है और उत्तर प्रदेश की 6.5 है । जहाँ तक मुझे स्मरण है यहां 6.6 था कभी लेकिन जब से आपकी सरकार बनी वह ग्रोथ रेट घटकर 5.6 प्रतिशत पर आ गयी जहां 6.6 थी और उत्तर प्रदेश की मान्यवर, मेरे अनुमान से 3 प्रतिशत से ज्यादा है नहीं और आप कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं । एक तरफ और प्रदेश है एक तरफ गुजरात है गुजरात का 10 फीसदी है और हमारा 3 फीसदी और हम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं ।

मुझे स्मरण है कि अभी पूर्व मुख्य मंत्री राम प्रकाश गुप्त बम्बई गये थे बम्बई से लौटे एक साल पहले तो उन्होंने कहा इस प्रदेश में लगभग 20 हजार से 25 हजार करोड़ का पूँजीनिवेश होगा लेकिन आज वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता । इस बजट में आपने चर्चा किया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं है । वहां जो उद्योग लग रहे हैं वह इसलिये लग रहे हैं कि दिल्ली के करीब हैं और दिल्ली में उद्योग नहीं लग सकते । उस दिन मुख्य मंत्री जी ने यह भी तसकिरा किया था कि दिल्ली की सरकार ऐसी है कि लोग वहां से भाग कर सब हमारे गाजियाबाद में आ रहे हैं । मान्यवर, भागकर नहीं आ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं । उनका जजमेंट है, यहां पर रिहायशी इलाकों में उद्योग नहीं रहेंगे, वहां से उद्योग हटाये जायें, उन्होंने इसके लिये टाइम फ्रेम दिया है । इस सीमा के अन्दर वह उद्योग वहां से हटेगे । वह यहां मजबूरी में आ रहे हैं, कोई क्यों आयेगा उत्तर प्रदेश में ? बिजली है नहीं, कानून व्यवस्था चौपट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिरौती एक उद्योग है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री भला न मानें, लेकिन तथ्य यही बात कहते हैं । गाजियाबाद जब कभी एक उद्योग नगर होता था, आज उजड़ा हुआ नजर आता है, वहां कोई जाना नहीं चाहता । कानपुर जो कभी उद्योग नगरी थी, आज वीरान हो गई है । जूट के कल–कारखाने बंद, कपडे की मिलें बंद । आपने क्या दिया है उत्तर प्रदेश को, एक भी कारखाना पूर्वांचल में लगाया ? क्या बुन्देलखण्ड में एक भी उद्योग लगाया, क्या आपने अवध में एक भी उद्योग लगाया, क्या मध्य उत्तर प्रदेश में एक भी उद्योग स्थापित कराया, कहीं बुन्देलखण्ड में कराया, सब शून्य है, केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है, हम इस प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनायेंगे, वह बोर्ड हट गया मुझे स्मरण है, इस तरह का कोई बोर्ड लगा था, कहां है उद्योग कहां उद्योग प्रदेश ?

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन तब तक दूर नहीं होगा, जब तक हम अपने प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश नहीं बनायेगे । जब तक हम खेती में लगे 75 प्रतिशत लोगों की संख्या को कम करके 40 फीसदी, 35 फीसदी, 30 फीसदी तक नहीं लायेंगे । जब तक खेती से अन्य उद्योग धन्धों में, व्यापार में नहीं लगायेंगे, तब तक यह प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता । आज मुझे बड़ा क्षोभ है, इस बात का, कि

बिजली के मामले में नवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी तापीय गृह नहीं लगा और दसवीं पंचवर्षीय योजना में केवल कागज में घोषणा की है कि लगायेंगे लेकिन कोई लगने वाला नहीं है । जो अनपरा सी लगने वाला था, उसको आपने लगने नहीं दिया, किन कारणों से लगने नहीं दिया । मान्यवर, हुन्डई कोरिया की कम्पनी है, जिसकी कोई अच्छी रेपुटेशन दुनिया में नहीं है, उसके चक्कर में ओ०आई०सी० का लोन जो जापान दे रहा था, अनपरा सी लगाने के लिये, आपने लोन नहीं लिया और अब जब दो साल बाद एटामिक बम बिस्फोट के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया, तब आप निरीह प्राणी की तरह घूम रहे हो और कोई पैसा देने को तैयार नहीं है ।

मान्यवर, आप भी बुन्देलखण्ड से आते हैं, सिंचाई के मामले में आप बता दीजिये, इस सरकार के कार्यकाल में कहीं ट्यूबवेल लगा हो, कहीं नहर में विस्तार हुआ हो । कागज में जरूर है, घोषणायें तो बहुत बड़ी करना जानती है यह सरकार । मैंने एक कहानी सुनी थी " ढपोरशंख की" वर्तमान सरकार "ढपोरशंख" के अलावा कुछ नहीं है । हां यह काम हो गया, 2 रुपया, 4 रुपया, 10 रुपया ले लिया और यह हो गया । धरातल में कुछ दिखाई पड़े, ऐसा कुछ नहीं है । आज हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारे शिक्षक हैं, चाहे हमारे वकील भाई हों और चाहें हमारा कोई भी वर्ग का व्यापारी हो, आज किसी को इस सरकार ने छोडा नहीं । एक वायरल बुखार होता है, उस वायरल बुखार की तरह सबको इस सरकार ने ग्रसने का काम किया है, सबको वायरल फैलाने का काम किया है । आपने जितनी बातें कहीं कि इतना गेहूँ खरीद लिया मान्यवर, पिछली बार जो धान खरीदा गया, सब बिचौलियों से खरीदा गया । कुल बिचौलियों से खरीदा गया शत प्रतिशत शायद 10 प्रतिशत किसानों को लाभ मिला हो । अब की बार आपने कहा है कि जो तबाही जो लायेगा उसी की हम खरीदेंगे लेकिन जब प्रश्न सदन में हो रहा था तो मालूम हुआ कि सरकार का खजाना ही खाली है, कहीं 10 हजार रुपये और कहीं 50 हजार रुपये भेजा गया है । आज हम अपने किसानों को क्या दे रहे हैं । अभी हमने पूछा था कि पंजाब और हरियाणा खाद पर कोई व्यापार कर नहीं लेते तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी खाद पर व्यापार कर माफी करेगी लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि हम कोई माफ नहीं करेंगे, क्यों माफ करेंगे, क्योंकि आप किसान विरोधी हो । ट्यूबवेलों का जो किराया हो रहा था आज से चार साल पहले उसमें 4 गुना, 5 गुना ज्यादा बढ़ोत्तरी कर दी है । किसानों पर आपने 36 प्रतिशत बढ़ाया है और उद्योग पर मात्र 8 प्रतिशत बढ़ाया है । सबसे ज्यादा मालदार इनको किसान ही लगता है । किसान पर बढ़ा दिया 36 प्रतिशत और उद्योग पर बढ़ाया 8 प्रतिशत । मान्यवर, यह आपकी दृष्टि है । इस दृष्टि से आप प्रदेश को कहां ले जायेंगे, आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं ? मैं कुछ आँकड़ों के साथ भी अपनी बात सदन में रखना चाहूँगा । मान्यवर, अगर आप देखें हमारी स्थिति क्या है, 11 राज्यों की सूची में हम बिहार के बाद हैं और आप देखें कि प्रति व्यक्ति आय पंजाब में 18213 रुपये, महाराष्ट्र में 17295 रुपये, गुजरात में 13932 रुपये, तमिलनाडु में 11708 रुपये, कर्नाटक में 10708 रुपये, आन्ध्र प्रदेश में 9867 रुपये, केरल में 9066 राजस्थान में 8441 रुपये मध्य प्रदेश में 7445 और उत्तर प्रदेश में 6713 रुपये तथा बिहार में 3835 रुपये प्रति वर्ष है । लेकिन आप कह रहे हैं कि हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं । मान्यवर, हम प्रदेश को ऐसी जगह पहुँचा रहे हैं जहाँ से जो नई सरकार बनेगी वह पिछले दो साल तक इनका बोझ ढोते–ढोते उसका दिवाला ही निकल जायेगा ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री(श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यही चलती रहेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह तो नहीं रहेगी, हां आप कहीं भी रहे हम आपको संसदीय कार्य मंत्री बनाने का प्रयास करेंगे । मान्यवर, कर की दृष्टि से तमिलनाडु में 1353 गुजरात में 1330, पंजाब में 1243 करल में 1240 कर्नाटक में 1179 आन्ध्र प्रदेश में 667 राजस्थान में 632 मध्य प्रदेश में 555 उत्तर प्रदेश में 411 और बिहार में 303 मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें ही प्रदेश की अगर ठीक हों तो यह प्रदेश निरन्तर आगे की तरफ बढ़ेगा हम अगर दोनों का पैमाना देखें तो मान्यवर, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया शिक्षा में आप स्वयं मंत्री रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उन्होंने कह दिया कि वित्तीयविहीन मान्यताएँ हम देंगे । मान्यवर, क्या मतलब है वित्त विहीन मान्यताएं देने का । आप अनुदान देंगे नहीं तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ--कहाँ से अध्यापक आयेंगे टीचर को 400, 500, 800 रुपये दिया जा रहा है साइंस का टीचर कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है, मैथ का टीचर मिल नहीं रहा है, इन्होंने यह कर दिया है । माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने फ्रीज कर दिया है कि डिग्री कालेजों में 98 के बाद कोई अनुदान नहीं मिलेगा । मान्यवर, सबसे ज्यादा निरक्षर व्यक्ति हमारे देश में हैं, उत्तर प्रदेश में है और हम कह रहे हैं कि "सर्व शिक्षा" सबको शिक्षा, टीचर नहीं रखेंगे बी०टी०सी० बी०एड० की सीट नहीं बढ़ायेंगे अन्ट्रेन्ड आदमी को रखकर उससे पढ़वायेंगे कितने दिन के लिए रखेंगे, 6 महीने के लिए । मान्यवर, शिक्षित टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं लेकिन अन्ट्रेन्ड टीचर रखकर 6 महीने के लिए पढ़ाई करवायेंगे । मान्यवर यह सरकार कहती है कि सबको मेरिट पर रखा जायेगा लेकिन पैसा लेकर बिना मेरिट के रख लिया गया, गांव वाले गये लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं है। उसमें भी धन का उपयोग होता सर्व शिक्षा कहाँ आपकी है ? केवल कागजों पर चल रही है । मान्यवर, इसी के साथ मैं राजकोषीय घाटा 9718 है जो बहुत बड़ी राशि है । तो यह प्रदर्शित करती है कि हमारा खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो संसाधन है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं फिजूलखर्ची कर रहे हैं । उन्हीं का आंकड़ा है मेरा बनाया हुआ नहीं है । इसी तरह अगर आप देखें 2001–2002 के बजट में योजनागत व्यय में कमी आयी है 1281 करोड़ की जो पिछले वर्ष के मुकाबले कम है । जो बात कहते हैं और प्रदर्शित होती है दोनो में जमीन आसमान का अन्तर है । इसी के विकास की दर कम हो रही है उसका कारण यही है, जड़ यही है और दूसरा कोई नहीं है और इसीलिए विकास की दर 3 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पा रही है । राजस्व घाटा 2000–2001 में बजट का 5585 करोड़ रुपये का है और उसको पुनरीक्षित करने के बाद 5818 करोड़ है, कोई ज्यादा अन्तर नहीं आया है । इन्होंने कोशिश की परन्तु इसमें कोई अन्तर बल नहीं पाये । उसी तरह सेयह सरकार किसानों से शत–प्रतिशत 100 का 100 प्रतिशत डण्डा मारकर उसूलती है । तहसील में एक–एक कोठरी में 15–20 आदमी को बन्द करती है किसानों का ब्याज जो आई०आर०डी० का है तनिक भी नहीं माफ करेंगे। बड़े लोगों का जो 150 करोड़ रुपया बकाया है उसको वसूला नहीं जा रहा है और किसानों पर 50 रुपया बकाया है तो तहसील में बन्द करेंगे और 100 में 100 वसूलेंगे । बिक्री कर की वसूली 90 प्रतिशत है और मान्यवर, उसी तरह इक्साइज की 90 प्रतिशत है और किसानो की 100 प्रतिशत है व्यापार कर इन्होंने कहा अगले साल 125 प्रतिशत लेंगे वाहन पर 146 प्रतिशत और राज्य का उत्पादन कर 109 प्रतिशत कर वसूल करना है । जो स्टीमेट गया है बजट में जब पिछली बर नहीं कर पाये हैं अब कहां से करेंगे । बजट प्रस्तुत भी नही कर पायेंगे, बजट का घाटा और बढ़ जायेगा । मान्यवर, जो इन्होंने यहां पेश किया है उससे कहीं ज्यादा बजट का घाटा बढ़ेगा । बाजीगरी में इन्होंने यह बात प्रदर्शित नहीं की है । इसके साथ ही साथ उस दिन माननीय हरीश जी ने अपने जवाब में कह रहे थे कि हमारा विश्व बैंक से कोई अनुबन्ध नहीं है, न कोई शर्त है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को कोट करना चाहता

हूँ। उन्होंने मई दिवस के अवसर पर कहा है कि "वर्ल्ड बैंक कान्सेप्ट आलरेडी हैज बीन ऑवटेन" यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। यह कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक से हमें कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड बैंक, आई०एम०एफ०, डब्लू०टी०ओ० जो कह रहे हैं वह भारत सरकार मान रही है और यह भी मान रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा, डिग्री कालेजेज और यूनीवर्सिटीज जो अनुदान देते थे वह 1998-99 से आपने फ्रीज कर दिया। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में बजट कम कर दिया और इस भार से अपने को मुक्त कर ले रहे हैं। इससे इस प्रदेश का भला कैसे होगा ? आने वाले दिनों में निरक्षरता बढ़ेगी !

आज उत्तर प्रदेश की आबादी निरन्तर बढ़ती जी रही है। क्योंकि आपकी पी०एच०सी० काम नहीं कर रही है, डाक्टर वहाँ जाते नहीं है, इसलिए वहां फैमिली प्लानिंग कराने के लिए कोई तैयार नहीं है। बजट पुस्तिका के पेज 29 पर आपने कहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति की जो समीक्षा की है। अभी मुख्य मंत्री जी ने एक दिन कह दिया कि हम 13 हजार नये पद सृजित करेंगे। पेज-29 पर देखें इसमें इन्होंने लिखा है कि नये पद के सृजन पर रंक एवं पदों को भरा नहीं जायेगा, साफ-साफ लिखा है। 7 हजार पद समाप्त कर दिये और 9 हजार पद सामप्ति की ओर कार्यवाही कर रहे हैं, आपने आदेश कर दिये हैं। तो आप नये पद कहाँ से भरेंगे ? यह विरोधाभास क्यों ? आने वाले दिनों में आप भर्ती कहाँ से करेंगे ? मान्यवर, एक तरफ तो यह सरकार भरती न करने का काम कर रही है और दूसरी तरफ प्रदेश जनता को भरती करने का झूठा स्वप्न दिखा रही है। मान्यवर, यह विकल्प क्या रखेंगे इन्होंने 7 हजार पदों को समाप्त कर दिया है और आठ हजार अन्य पदों को भी समाप्ति करने की दिशा में कार्य कर रही है। मान्यवर, इन्होंने अपनी पुस्तिका में साफ-साफ लिखा है कि नयी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान नहीं देंगे। पुनरीक्षित अनुमान और ऋण ग्रस्तता 77 हजार करोड़ है जो बढ़कर 85 हजार 958 करोड़ हो जायेगी यह 600 करोड़ रुपये ज्यादा है इससे अनुमान है कि आगे आने वालें दिनों में प्रदेश की राजस्व आय में और कमी होती जायेगी। और प्रदेश का राजस्व घाटा पूरा होने वाला नहीं है। योजनागत खर्च में कमी आई है 6184 करोड़ की जगह 5170 करोड़ लिये गये हैं इस तरह से इसमें 1 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की कमी है, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, मान्यवर, यह इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, इस प्रदेश का नान टैक्स रेवन्यू घटा है जो प्रदेश का नान टैक्स रेवन्यू 6 हजार 9 सौ 15 करोड़ रुपये था वह घटकर पाँच हजार पाँच सौ उनसठ पर आ गया है। यह सरकार की क्षमता से अप्रत्याशित है। यह मान्यवर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिंचाई के लिए पानी नहीं शिक्षा के लिए शिक्षक नहीं है, और बिजली की खराबी के कारण उद्योग धन्धे बन्द हो रहे हैं। और अगर उद्योगों के लिए बिजली नहीं है कृषि उत्पादन घट रहा है तो मान्यवर, अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में यह स्थिति और भी खराब होगी और हमारा प्रदेश और भी पिछड़ता चला जायेगा। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि माननीय वित्त मंत्री जी जो आज इस सदन में नहीं है उन तक हमारी बातों को पहुँचाने की कृपा करेंगे। मान्यवर, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, आगे ले चलने में हम जो सहयोग दे सकते हैं देने के लिए तैयार हैं शर्तें कि यह सरकार प्रदेश की 17 करोड़ जनता को विकास की ओर ले जाने का काम करें, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० अरबिन्द कुमार जैन)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो चर्चा हो रही है उसमें माननीय तिवारी जी की बातो को मैंने बड़े गौर से सुना उन्होंने कहा है कि हमने विनियोग का पैसा कम कर दिया तो विकास कैसे होगा । हमारे बजट 1996 से बन रहा है आप भा०ज०पा० के बजट का हर बार विरोध करते आये हैं । इस बार भी विरोध कर रहे हैं आपने विरोध की परम्परा बना रखी है कि जो कुछ हम कहेंगे उसका आप विरोध करेंगे । आपने कहा कि 1 हजार करोड़ रुपये कम कर दिया है योजनागत व्यय में तो बंधुवर आपके समय में जो बिचौलिये थे अब बिचौलिये नहीं होंगे और विकास ज्यादा होगा । जैसी नीयत होती है वैसा ही काम होता है । हमारी नीयत साफ है । आप जिस काम को 10 रुपये में करते थे उसको हम 8 रुपये में करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

आप बाजीगर आदमी है ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

हमारी बाजी है तो हम बाजीगर हैं आपकी बाजी नहीं है तो आप बाजी विहीन हो गये हैं । तिवारी जी आप चिंता न करें हमारे कार्यों को देखते रहें केवल विरोध करने से देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ता है । आपने बुंदेलखण्ड की बात कही । 1947 में देश आजाद हुआ था । बुंदेलखंड को आप भूल गये वहां पर महारानी लक्ष्मीबाई राजा मदन सिंह जैसे योद्धा हुये हैं लेकिन वहां के विकास को आप लोग भूल गये । उस समय आपको कोई खयाल नहीं आया । हमने वहां पर विकास के काम शुरू किये हैं वहां पर सड़कें बनायी हैं, सिंचाई की सुविधा दी है । सन् 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजघाट की शिला रखी ।

श्री प्रमोद कुमार–

जिला किसने बनाया था ?

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मायावती ने कई जिले बना दिये । बच्चा पैदा करने से क्या होता है जब खिलाने को ही नहीं है । आपने शादी कर ली और बच्चा पैदा कर दिया तो उसको खिलायेगा कौन ? जिला बनाने से कोई फायदा नहीं है । अगर हम गरीब हैं तो आपके कहने सेठ नहीं हो जायेंगे । आपने जिले बना दिये लेकिन जिलाधिकारी नही बना पाये जिला कार्यालय जिसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं । तो मान्यवर, ललितपुर में 1974 में राजघाट परियोजना बनायी गयी जो आपके शासन में पूर्ण नहीं की गयी, 4 अरब की योजना का खर्च 25 अरब पहुंच गया । वहां पर 50 कि० मीटर छोटी नहरें पूर्ण नहीं की गयीं जिससे जो पानी बंधे में जमा हुआ उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा । आपने बड़ी नहर जो 20 कि० मीटर बननी थी केवल 4-5 किलोमीटर बनाकर छोड़ दी जिस कार्य को हमने पूरा किया है । वहां पर 80 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई नहीं हो पानी थी । भा०ज०पा० की सरकार ने सिंचाई का इंतजाम किया जिससे वहां की जनता को सिंचाई की सुविधायें मिली हैं । मान्यवर, 1978 में जे०पी०सी० लिफ्ट कैनाल चालू की गयी लेकिन आपने पूरा नहीं किया । अफसरों ने कहा कि यह योजना बेकार हो गयी है । उस पर 41 करोड़ रुपया खर्च हुआ था । हमने कहा कि यह कांग्रेस सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार या बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है यह भा०ज०पा० सरकार है आज आप वहां चलकर देखें कि वह कैनाल चालू हो गयी है और 23 हजार हेक्टेयर जमीन को पानी मिल रहा है । यह मामूली उपलब्धि नहीं है । हमारे जिले में जो काम हुये हैं उनको हमारी सरकार ने किया जिसके लिये हम अपने सिंचाई मंत्री

जी को धन्यवाद देते हैं । आज वहां के किसान बहुत खुश हैं वह कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है । मान्यवर, बुन्देलखण्ड वह क्षेत्र है जहां अंग्रेजों से सबसे ज्यादा लोहा लिया जाता था । इसीलिये अंग्रेजों ने इस इलाके को हमेशा कमजोर रखा ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

क्योंकि वहां के लोग देश भक्त थे इसलिए अंग्रेजों ने यहां का ख्याल नहीं किया कांग्रेस वालों ने भी अंग्रेजों की भाषा बोली और बुन्देलखण्ड का कोई विकास नहीं किया । 110 विद्यालय हमने वहां खोले हैं । रवीन्द्र शुक्ला जी के कार्यकाल में यह कार्य हुआ ।

श्री प्रमोद कुमार–

वह अधिष्ठाता हैं ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

इसके पहले वह रवीन्द्र शुक्ला हैं । उन्होंने यह काम किया है । अगर आपने विकास किया होता तो इतने विद्यालय खोलने की हमें क्या आवश्यकता थी ? तीन महाविद्यालय हमने खोले हैं । एक महिला महाविद्यालय के लिए हम लोग थ्योरिटकली तैयार हैं प्रेक्टिकली निर्णय लेना है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

डा० साहब आप प्रदेश बनवा लें और मुख्य मंत्री बन जाएं ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मैं तो जनता की सेवा करता हूं । मंत्री, मुख्यमंत्री और चाहे संतरी मुझे बना दिया जाए इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । हमारी व्यक्तिगत छवि है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

वहां पर यूनिवर्सिटी और मेडिकल कालेज कब खोला गया ?

डा० अरविन्द कुमार जैन–

यूनीवर्सिटी इनके टाइम में खोली गई लेकिन उसकी हालत उस समय हाई स्कूल जैसी थी जो लोग उसको देखें हैं वह जानते होंगे लेकिन आज उसकी क्या हालत है आज वह यूनिवर्सिटी हिन्दुस्तान की एक मानी हुई यूनिवर्सिटी है । वहां हर संकाय खुल गया है यह हम लोगों की देन है । केवल बोर्ड लगाने से कोई काम नहीं हो जाता है । बोर्ड के लिए तो केवल 500 रुपए की जरूरत होगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

जब बोर्ड लगा था उस समय जिन लागों ने डिग्री ली थी कि क्या वह निरस्त हो जाएगी ? मंत्री जी किस चीज के डाक्टर हैं । इन्सान के या घोड़े के ?

डा० अरविन्द कुमार जैन–

जो सामने आएगा उसका इलाज करेंगे । चाहे घोड़ा हो या घोड़ी । इलाज सबका एक है डोज में अन्तर है । माननीय रेवती रमण जी जरा बैठ जाइयें । मैं आपकों बता रहा हूं कि बीमारी चाहे घोड़े की हो या आदमी की दवा दोनों की एक सी होती है केवल डोज का अंतर होता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं तो चला जब इनको आदमी और घोड़े में ही अंतर नहीं मालूम ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

इंसान और जानवर में कोई खास अंतर नहीं है । हमारे भी एक भैंस है उसका इलाज हम खुद कर लेते हैं । आपको कौन सी डोज चाहिए बड़ी वाली या छोटी वाली ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मंत्री जी हमारी डोज भी प्रमोद जी को दे दीजिएगा ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मान्यवर, मैं बता रहा था कि पूरे यूपी में बुन्देलखण्ड में सबसे ज्यादा जमन तीन की जमीन है । जमनतीन वह भूमि होती है जिसको स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता । तो उसको किसानों के लिए भूमिधर कराने की योजना बनाने की मांग की गई है । इसमें सरकार का कुछ भी पैसा खर्च नहीं होगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह बजट में तो नहीं है ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

जब इसमें सरकार का कोई पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है तो बजट में आने का कोई औचित्य ही नहीं है । हम आपको बीमारी की दवा दें तो क्या वह भी बजट में आयेगा ? इसमें किसानों का हित है । आपके समय में अस्पतालों में कभी डाक्टर नहीं पहुंचते थे और हमारे समय में तो हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर छः स्पेसिलिस्ट तैनात किये गये हैं जिससे गरीबों को हर प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हो सकें । 3-3 करोड़ एक-एक सेन्टर को दिया गया है । जहां पर हार्ट ठीक रहे, दिमाग ठीक रहे इसका इलाज होगा । आप बतायें किस विषय में बताऊं । सड़कों की बात बताऊं । सड़कें ऐसी बनी हैं कि आपके पेट का पानी नहीं हिल सकता है । पहले तो ऐसी सड़कें थीं जो आपने बनवाई थी कि किसी स्त्री को प्रसूति गृह जाने की आवश्यकता नहीं थी उसको गाड़ी में ही बच्चा पैदा हो जाता था । मजदूरों के लिए जो रिक्शा चलाना चाहते हैं उनको दो हजार रुपये की सहायता दी कि दो हजार वे खुद लगायें । चार हजार रुपये में रिक्शा आता है, उनका रिक्शा हो गया और वे रिक्शा चला रहे हैं । छोटे-छोटे दुकानदार हैं, पान की दुकान खोलना चाहते हैं उनको हमारी सरकार ने दुकान खोलने के लिए पैसा दिया । हमारी सरकार ने गरीबी को कम किया है । आप एक बात कहते हैं कि इतने मंत्री हैं, इतना भत्ता ले रहे हैं । आप अपना समय देखिये जितना हम सब ले रहे हैं आपके समय में एक-एक व्यक्ति अकेले इतना खाता था । हम अपना काम छोड़कर यहां बैठे हैं कुछ भत्ते तो हमको मिलेंगे । मिलता क्या है एक चाय पीना भी आपसे देखा नहीं जा रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपकी प्रैक्टिस चलती थी ?

डा० अरविन्द कुमार जैन–

मैंने एक दिन में 400–450 मरीज देखे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

उसमें बचे कितने हैं ?

डा० अरविन्द कुमार जैन–

बचे न होते तो क्या हम 40 साल प्रैक्टिस कर लेते । आप वकील रहे हैं । जरा सोचिये । यदि हम मारते तो कौन आता हमारे पास ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपके झांसी के एक विधायक हुआ करते हैं, मंत्री भी रहे हैं रवीन्द्र शुक्ला जी । क्या कभी इनका भी इलाज किया है आपने ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

जब आपका इलाज किया है और आप ठीक हो गये तो वे भी ठीक हो जायेंगे । मान्यवर, यह बहुत बढ़िया बजट है । अन्त में एक बात कहना चाहता हूं अपनी पार्टी के लिए :–मरते हैं दूसरों की मसर्रत के वास्ते खुशियां लुटाई हैं लेकर पराये गम ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पिछले साढ़े चार साल से मंत्रि-मण्डल की प्रशंसा करते रहे हैं । आज उसका नमूना सामने मिल गया । अगर यह मंत्रि-मण्डल ऐसा ही है तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि––हर शाख पे.....बैठा है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, किसी प्रदेश का बजट वहां के विकास का दर्पण होता है । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह उत्तर प्रदेश की उन्नति और अवनति का दर्पण है । इस दर्पण में न तो कहीं गरीबी रुकी दिखाई दे रही है न कहीं बेरोजगारी दूर करने के कोई उपाय ही नजर आ रहे हैं न इस बजट से विकास का ही कोई रास्ता खुल रहा है । श्रीमन्, मैं दो तीन बातें रखना चाहता हूं । बजट में आय कम और व्यय ज्यादा । आपके ऋण लेने के दो तीन स्रोत हैं उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारियों का पैसा जमा होता है उससे भी ऋण लेते हैं । यह तो स्रोत हैं इनके इसके बाद भी व्यय भार इतना बढ़ गया कि उसकी भरपाई के कोई उपाय नहीं बताये गये हैं । मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि व्यय भार निरन्तर बढ़ता जा रहा है आय के स्रोत घट रहे हैं प्रदेश में आय के दो स्रोत हैं सबसे बड़ा स्रोत खेती है आर दूसरा उद्योग है । उद्योगों में उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं । पानी, बिजली सड़क जो प्राथमिक चीजें हैं उसमें पिछड़ा हुआ है । कृषि जो छोटा किसान करता है वह 72.25 प्रतिशत है । खेती के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है । खेती पर ध्यान दिया जाए इससे बेरोजगारी भी दूर होगी । कृषि और उद्योग का आप अच्छी तरह से सर्वेक्षण करायें । उद्योग के विकास के लिए आपने क्या दिया है । इनकी झोली में कुछ होगा तो यह झोली से निकालकर देंगे । झोली में इनके दो चीजें हैं एक तो ऋण और दूसरी तरफ ब्याज । उत्पादन का स्रोत कम, आय का स्रोत कम और व्यय भार अधिक तो जिसका कटोरा खाली है वह प्रदेश को क्या देगा । कैसे विकास का रास्ता दिखा पाएगा यह चिन्ता का विषय है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं आय का जो अनुमान लगाया गया है स्थिति यह बनी है कि आप पिछले जिलों के बजट को देखें पिछले जो जिला प्लान बनकर आए जो घोषणायें इन्होंने की योजनागत बजट और गैर योजना बजट है, गैर योजनागत में पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है। ऋण जब ज्यादा हो गया और आय के स्रोत घट रहे हैं उत्पादन के स्रोत बढ़ नहीं रहे हैं इससे प्रदेश ऋणग्रस्त है। यह ब्याज देने के लिए ऋण ले रहे हैं। मूलधन वापस करने की हैसियत नहीं है। इन सारी चीजों पर आप दृष्टिपात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के बजट में कोई विकास का, प्रगति का रास्ता नजर नहीं आयेगा, सरकार कैसे आगे बढ़ेगी। हमें इस बजट से प्रगति का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जितनी पंचवषीर्य योजनाएं बनी हैं उन पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन कराया जाए तो कृषि क्षेत्र में बैंक का पूंजी निवेश सरकार का पूंजी निवेश कम हुआ है। इसका नतीजा यह है कि खेती की हालत निरन्तर गिरती जा रही है। खेती का उत्पादन घट रहा है। आज हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी चीज है कटाव, यह कैंसर बन गया है। एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है दूसरी तरफ भू-कटाव बढ़ रहा है इससे खेती के आकार छोटे हो रहे हैं। यह भयावह स्थिति है जितना भू-कटान हो रहा उतना बंजर बढ़ रहा है। ऊसर बढ़ रहा है इसके लिए बजट में क्या प्राविधान है। बजट में कुछ नहीं है। भू-गर्भ जल निरन्तर घट रहा है। हमारे लिए वर्षा का पानी अमृत के समान है और वह बाढ़ का रूप लेकर भयानक बनता जा रहा है, तो प्लान करके उस पानी को रोकें और अन्डर ग्राउन्ड वाटर लेविल तक पहुंचाये इस तरह का कोई काम नहीं किया गया है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो बड़ी-बड़ी कटान है, उनको रोकने की कोई योजना नहीं है। भू-गर्भ जल हमारे लिए पानी पीने के लिए जरूरी है, सिंचाई के लिए जरूरी है। जब बरसात का जल भू-गर्भ तक जायेगा तभी हमको पीने के लिए पानी मिल पायेगा। लेकिन इस तरह कोई चिन्ता नहीं व्यक्त की गयी है। और हो यह रहा हैकि रेगिस्तान बढ़ रहा है और स्थिति बड़ी भयानक है। इस तरफ शोध होना चाहिए लेकिन वह नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश का कितना बजट किसमें खर्च करना चाहिए इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन यह मंत्रिमण्डल में चर्चा न होकर केवल वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री तक ही सीमित होकर रह गयी और इससे स्थिति भयानक हो गयी है और इससे ऐसी मद छूट गयी है जिससे प्रदेश की तरक्की हो सकती है।

मान्यवर, इस बजट से न तो बेरोजगारी दूर हो रही है और न रोजगार के अवसर पनप रहे हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी है वह बेरोजगारी की तरफ जा रही है। यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिनमें हमको चिन्ता और विचार करना चाहिए। श्रीमन्, प्रदेश की जो हालत है, मैंने आपसे निवेदन किया है कि जिस प्रकार से दिन प्रति दिन खेती बिगड़ती जा रही है, उद्योग की स्थिति बिगड़ती जा रही है उसका कारण क्या होगा ? डा० अमृत सेन, उन्होंने कहा कि यूनिसेफ से साक्षरता की जांच हुई उसमें सबसे ज्यादा हमारा प्रदेश शिक्षा के मामले में अपढ़ निकला। यह शून्य होता जा रहा है। दो-तीन मील पर प्राइमरी पाठशाला नहीं है। यह स्थिति पैदा हो गयी है कि 3-4 किलोमीटर दूर से बच्चा पढ़ने आता है तो यमुना–चम्बल–उटंगन–गंगा जी के बीहड़ों के ऐसे इलाकों में, वहां पर जंगल है और जानवर उठाकर ले जाते हैं, ऐसी दशा में बच्चों को कौन स्कूल भेजेगा। मान्यवर, हर गांव में विद्यालय होने चाहिए उसके लिए क्या प्राविधान है ? यह चिन्ता का कारण है। तो मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रति घोर उपेक्षा है, पानी के प्रति घोर उपेक्षा है, जो भू-गर्भ जल की स्थिति है उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, भू-कटान की तरफ ध्यान न देना यह सब प्रदेश की प्रगति में बाधक हैं। मान्यवर, मैं जैन साहब से अनुरोध करना चाहता हूं, मुझे भी एक बार उनके साथ झांसी के क्षेत्र में जाने का अवसर मिला था, जिस जगह से हम लोग निकलकर गये वह नहर टूटी पड़ी थी। वह कह रहे थे कि इसमें पानी नहीं

आता है, हमारे यहां भी टेल तक पानी नहीं आ रहा है। हम सब लोग कहते हैं कि टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है सरकार भी स्वीकार करती है। तो इस बजट में टेल तक पानी पहुंचे खेती की प्रगति के लिए उसके लिए क्या किया है। जो पुरानी नहरें हैं उनको सुधारा जाय, नहरें पुरानी हैं, एक इंच भी पानी नहीं बढ़ रहा है, पानी की कमी हो गयी है। बाढ़ गंगा और यमुना में आती है उसके बाद भी नहर छोटी होती जा रही है तो यह चिन्ता की बात है मान्यवर, जो पहले नहरें थी इतना पानी आता था कि कोई टेल छूटी नहीं रहती थी आज टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। बंधों में पानी नहीं आता है, नहरें सूखी पड़ी हैं इस बजट में इसके ऊपर कोई चिन्ता नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं कि अराजकता बढ़ेगी प्रदेश में गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ रही है। जो गरीबी और गरीब गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उन लोगों की झोली में आप क्या दे रहे हैं, गरीबी की रेखा की सीमा बढ़ रही है इस प्रतिशत को घटाने के लिए हमने क्या प्राविधान किया है उन पर विचार करना होगा इसका नतीजा यह हुआ कि गरीबी बढ़ रही है।

हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री और आबकारी मंत्री जी ने जोर-शोर से कहा कि हमने रोजगार दे दिया और शराब से ठेकेदारी खत्म कर दी, जनता रम बना दिया। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या बनती जा रही है। जब चीन में अफीम का ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया तो चीनी की पहचान अफीमची से हो गयी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के प्रचार-प्रसार की योजना बनायी है। मुख्य मंत्री जी बार-बार कह रहे थे हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हमने शराब माफियाओं पर काबू पा लिया है। हर गली-मोहल्ले में आज शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस पर चर्चा करें। "चले थे हरि भजन को, औटन लगे कपास" कहां आप राम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे और कहां आज शराब की बात कर रहे हैं और जनता रम और राजनाथ रम जनता को दे रहे हैं। अब राजनाथ सिंह माने उत्तर प्रदेश का युवक है, शराबी आ रहा है। आप शराब बनाकर युवकों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राम राज्य के नाम की दुहाई देकर शराब के चंगुल में फंसाकर युवकों को बर्बाद करने में जुटे हुए हैं यह घोर निन्दनीय कार्य है आपको शराब बंन्द करने की नीति चलानी चाहिए। नौजवानों की नैतिकता का उत्थान हो, इस पर ध्यान दें। आप हर बात में अपनी तारीफ करते हैं कि 50 वर्षों में कुछ नहीं किया हमने इतना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब अपने चुनाव सभा में जायेंगे तो जैन साहब आपको यह उपलब्धि गिनानी पड़ेगी कि हमने जनता रम चला दी है।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

हम शराब नहीं पीते हैं न आपसे पीने को कहेंगे। महाराष्ट्र में चले जाइये वहां शराब खुली हुई है चाय की तरह बिक रही है जबकि वहां सचिन तेंदुलकर सरीखे युवक पैदा हुए हैं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा था कि इस प्रदेश का सच्चा विकास तभी होगा जब हम विकास की गति बढ़ाने, बेरोजगारी को दूर करने, गरीबी को दूर करने का इस सरकार का पहला कदम नहीं होगा, पहला उद्देश्य नहीं होगा, पहली उपलब्धि नहीं होगी। बजट में इस तरफ ध्यान नहीं होगा तो शराब पिलाकर क्या इस प्रदेश की तरक्की करेंगे और प्रदेश के लोगों को गुमराह करेंगे। यह इस बजट का सबसे बड़ा दर्पण दिखाई दे रहा है कि अब इस प्रदेश में शराब ही विकसित होगी अब देशी भी विदेशी भी उसी कीमत पर मिलेगी यह शब्द है उस बजट के। मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देना

चाहता हूं पहला मैं यह चाहता हूं कि शराब बन्दी की नीति प्रदेश सरकार लागू करे और शराब प्रचार को कम रखे । चूंकि शराब के अन्दर यह दोनों चीजें हैं । शराब बन्दी का प्रचार प्रसार होना चाहिए । शराब बन्दी पर जो व्यय होता है उत्तर प्रदेश के बजट पर वह कहां गया उसकी विवेचना होनी चाहिए यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

दूसरा, मान्यवर, जो भू-कटान से भयावह स्थिति पैदा हो रही है जो बाढ़ का पानी आ जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्षा का पानी है उसको भूगर्भ में इकट्ठा करके बन्धीकरण की योजना शुरू करें तो हमारे प्रदेश का भूजल ऊपर आयेगा, हमारे सिंचाई के साधन विकसित होंगे, हमारे पेयजल की समस्या दूर होगी और हमारी प्रगति की दिशा बढ़ेगी और उससे हमारे यहां का वातावरण ऐसा हो जायेगा कि हमारे यहां की जो वनस्पति, जो सूखने जा रही है उसको सुरक्षित करने में हम सफल होंगे । तीसरा, अभी भूगर्भ जल नदियों के द्वारा भी समुन्द्र में ले जाया जा रहा है इसको रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए । अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि हर गांव में एक प्राइमरी पाठशाला अवशम्भावी है इस योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए भले ही उस गांव की आबादी कितनी ही हो । प्राइमरी एजूकेशन हरेक के लिए जरूरी है । इस जरूरत को पूरा करने के लिए हर गांव में विद्यालय की स्थापना हो और जूनियर हाईस्कूल की स्थापना हो । मान्यवर, हर गांव-गांव में शहर-शहर में शराब की दुकान खुल गयी क्या मजाक हो रहा है हमारे प्रदेश के साथ । इन्फ्रास्ट्रक्चर में हमको यह चाहिए कि जितने हमारे जिले हैं उसमें सड़क पानी बिजली यह सब मुहैया करा दें और जल निकासी की व्यवस्था करा दें यह चार चीजें हैं जो करदें तो हमारे उद्योगों को हमारे यहां आने के लिए आप आकर्षित करेंगे और अपहरण को उद्योग का दर्जा न दें और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था कर दें तो व्यापारी यह समझेगा कि हम यहां उद्योग लगायेंगे तो हमारी जान सुरक्षित है, यहां आवागमन के साधन है, बिजली पानी सब मुहैया है, यह सारी बाते मुहैया हो जायेंगी तो लोग आयेंगे । इन्फ्रास्ट्रक्चर का जो बैंक डिपाजिट है वह राशि आपके प्रदेश को अभी 22 प्रतिशत मिल पाती है वह सीडी रेशियों सारा का सारा चला जाता है गुजरात को, महाराष्ट्र आदि के इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर देकर अपने प्रदेश को बनाने का काम करें । हम कृषि को अपने यहां एक ऐसा जामा पहना दें, जिससे हर काश्तकार चाहे वह लघु कृषक हो, मध्यम जोत वाला हो, सीमान्त कृषक हो, इन कृषकों की हालत को सुधारें, तभी वह किसान हमारी प्रगति में सार्थक योगदान दे सकेगा । इन सब किसानों को हम सार्थक रूप से धन उपलब्ध करायें तो हम खेती के आलम को सुधार सकते हैं । मान्यवर, मैं यहां एक घटना रखना चाहता हूं, डब्लू०टी०ओ० के माध्यम से हम लोग बाहर से बीज लेते हैं, बाहर से जो बीज यहां आता है, वह इस तरह का भेजा जाता है ताकि उससे अगली फसल पैदा न हो, इसके विपरीत हम अपने यहां के बीज को 3 साल तक इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वह बीज को इस तरह शोधित करदेते हैं जिससे वह एक साल के बाद दुबारा काम नहीं आ सकता, यह स्थिति हमारे लिये बहुत चिन्तनीय है । हमारी सरकार बीज पैदा करने के बजाय, आयात नीति पर निर्भर रहेगी तो हम फिर गढ्ढे में जा रहे हैं, हमारी सरकार अंधी होकर ऐसा बीज मंगा रही है, यह चिन्ता हम सबके लिये हैं । बीज के मामले में इस सरकार को इस बजट में प्राविधान करना चाहिये और बीज के पैदावार के लिये प्रोत्साहन देने चाहिये । जो हमारे कृषि फार्म हैं, जो हमें सबसे ज्यादा फायदा दे सकते हैं, उन्हें हम बेचे दे रहे हैं । जहां पर बीज पैदा होता है, बीज का प्रमाणीकरण होता है, सस्ती दर पर मुहैया किया जा सकता है, ऐसे फार्मों को हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देते जा रहे हैं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश को रोकनी पड़ेगी । अगर यह प्रवृत्ति नहीं रूकी तो फिर बीज का मामला हमारे हाथ से निकल कर विदेशी हाथों में पहुंच जायेगा, यह खतरा सम्भावित है । हमारे इस बजट में विकास की धारा नहीं है, गरीबी को दूर

करने की धारा नहीं है, इसलिये मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी इन बातों पर सरकार विचार करें और शराबी प्रदेश बनाने की जगह, कृषि प्रदेश, उद्योग प्रदेश बनाये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

बजट साहित्य समय पर उपलब्ध न कराये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो कार्य-सूची एक जून तक के लिये अनुमोदित है, उसके मुताबिक 10 तारीख को कृषि विभाग का बजट प्रस्तुत होना है और आज के बाद जब हम लोग उठेंगे तो 9 तारीख को ही हम यहां आयेंगे। 8 तारीख तक विधान सभा की कार्यवाही नहीं चलेगी तो कोई माननीय सदस्य 9 तारीख के पूर्व इस सदन में नहीं आयेंगे। मैं अभी पटल कार्यालय गया था, वहां से ही लौटा हूं। वहां कृषि विभाग का कोई भी लिट्रेचर अप्राप्त है। यदि 9 तारीख की शाम को आयेगा तो 10 तारीख को जो भी माननीय सदस्य कटौती रखना चाहेंगे, उनके पास उसका मैटीरियल नहीं हो पायेगा। हर साल इसकी चिन्ता होती है, हर साल यह बात दोहराई जाती है। चूंकि साहित्य 9 तारीख के पूर्व प्राप्त नहीं हो पायेगा, इसलिये माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से निवेदन करता हूं, आपसे भी करता हूं कि आप इस पर संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार सुन लें कि 10 तारीख को जो कृषि विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाना है, उसे किसी अन्य तिथि के लिये स्थगित करें, इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। लिट्रेचर उपलब्ध नहीं है, और किसी भी माननीय सदस्य के लिये सम्भव नहीं हो पायेगा। इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जैसा चौधरी साहब ने कहा है, हम स्वयं देख कर आए हैं, साहित्य उपलब्ध नहीं है। अगर आज 5 बजे तक साहित्य नहीं आता है तो सदस्य कटौती का प्रस्ताव कैसे रखेंगे ? मान्यवर यह 48 घंटे पूर्व आना चाहिए दो कार्य दिवस पूर्व, लेकिन बीच में एक ही कार्य दिवस बच रहा है। अगर आज 5 बजे तक साहित्य उपलब्ध कराने की स्थिति में सरकार नहीं है तो नियमानुसार 10 तारीख को कृषि विभाग का बजट रखा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में आग्रह है कि 10 तारीख को कृषि विभाग के बजट को स्थगित कर दें या आज 5.00 बजे तक साहित्य उपलब्ध करा दें।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर कोई पहली बार तो ऐसा है नहीं। 9 तारीख की प्रातः हम प्रयास करेंगे कि उपलब्ध करा दें। अगर आ गया तो हम अभी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस सदन में कई बार इस पीठ से निर्देश हुए हैं कि समय से साहित्य उपलब्ध कराया जाए और उस पर माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने कहा भी है कि व्यवस्था की जायेगी लेकिन इसकी पुनरावृत्ति बार-बार हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री इस पर ध्यान दे देंगे और वह कोशिश कर लेंगे कि 9 तारीख को प्रातः माननीय सदस्यों को साहित्य उपलब्ध हो जाए।

माननीय प्रमोद जी ऐसा कोई नियम नहीं है, आप नियम बता दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपकी पीठ से ही निर्देश हुए हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, [x x x] तो क्या होगा उन निर्देशों का जो समय-समय पर इस पीठ से दिए गये हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

कोई और कहे तो कहे लेकिन उप नेता के मुंह से शोभा नहीं देता ।

गणपूर्ति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, उप नेता के मुंह से शोभा नहीं देता लेकिन नेता के मुंह से तो शोभा देता है । मान्यवर, यह सदन परम्पराओं, नियमों और निर्देशों से चलता है, आप निर्देश दे दें । दूसरी बात जो गरिमा की है इस सरकार में 90 मंत्री हैं, कोरम के लिए 42-43 चाहिए । इस समय डेढ़ मंत्री यहां बैठे हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री एक और कैबिनेट मंत्री भी बैठे हैं, इस प्रकार ढाई मंत्री हुए और ढाई के बराबर जैन साहब हैं, इस प्रकार कुल 5 हुए । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि पहले कोरम को पूरा कर लें फिर कार्यवाही शुरू करें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय सदस्य इसकी जानकारी कर लें कि कितने मंत्रियों से कोरम पूरा होता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कोरम मंत्रियों से नहीं सदस्यों से पूरा होता है । मेरा आशय यह था कि यदि आधे मंत्री भी यहां रहें तो कोरम पूरा रहेगा । मान्यवर, राज्य का मंत्रि परिषद् असफल रहा है, कोरम पूरा करने में, इसलिए मैं कोरम की व्यवस्था का प्रश्न उठता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम के लिए घण्टी बजायें ।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गयी)

(सदन में गणपूर्ति न होने के कारण कोरम की घण्टी बजती रही)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि कोरम पूरा नहीं हुआ है और कोरम पूरा होने की सम्भावना भी नहीं है । इसलिए अब हम उठते हैं, और 9 मई, 2001 को पुनः 11 बजे (पूर्वाह्न) बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 49 मिनट पर बुधवार, 9 मई, 2001 को अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 04 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

सूची

सरफेश वाटर का पेयजल सम्पूर्ति हेतु अधिकाधिक उपयोग किये जाने हेतु वर्तमान में निम्नलिखित बैराज एवं अन्य योजनायें निर्माणाधीन/प्रस्तावित हैं :–

(अ) निर्माणाधीन योजनायें

(1) गोकुल बैराज

मथुरा, वृन्दावन एवं आगरा नगर को समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के लिये सिंचाई विभाग द्वारा मथुरा स्थित गोकुल बैराज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है । गोकुल बैराज परियोजना के अन्तर्गत मथुरा, वृन्दावन पेयजल योजना के प्रथम व द्वितीय चरण के कार्य निर्माणाधीन है ।

(2) अपर गंगा से 50 क्यूसेक की योजना

अपर गंगा नहर से नोयडा एवं गाजियाबाद (आंशिक क्षेत्र) को पेयजल सम्पूर्ति करने हेतु 50 क्यूसेक पानी की योजना निर्माणाधीन है ।

(3) कानपुर गंगा बैराज

कानपुर नगर की जलापूर्ति हेतु ।

(ब) प्रस्तावित योजनायें

(1) आगरा बैराज

आगरा नगर की जलापूर्ति हेतु ।

(2) लखनऊ में इन्दिरा नगर एवं गोमती नगर की जलापूर्ति हेतु तृतीय जलकल का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें शारदा सहायक नहर से पानी लिया जायेगा ।

(3) इलाहाबाद में द्वितीय जलकल का निर्माण प्रस्तावित है । द्वितीय जलकल के निर्माण हेतु यमुना नदी से जल लिया जाना प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री आर० के० सिंह पटेल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या--94 का उत्तर

प्रश्न

94–क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलान्स) से कौन-कौन गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं ? स्वीकृत किये गये किस-किस गांव के लिये कितना-कितना धन दिया गया है ? क्या उक्त गांवों का विद्युतीकरण कराया गया ?

उत्तर

94–जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 99-2000 में बुन्देलखण्ड विकास निधि व जिला निधि से निम्नलिखित 18 ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किया गया । प्रत्येक ग्राम के विद्युतीकरण की स्थिति एवं प्राप्त धनराशि निम्नवत् है :–

क्र० सं०	ग्राम का नाम	स्वीकृत धनराशि	प्राप्त धनराशि	विद्युतीकरण की स्थिति
1	2	3	4	5
1	भभई	3.840	2.50	कार्य प्रगति पर
2	खुटहा	1.870	1.20	कार्य प्रगति पर
3	गौरी शंकर का पुरवा (जमिहिली)	2.440	1.70	कार्य प्रगति पर
4	बनकट नई दुनिया	1.836	1.25	24-1-2001 को ऊर्जीकृत
5	ठर्री	1.555	1.00	कार्य प्रगति पर
6	तेजीपुर	0.858	0.75	20-1-2001 को ऊर्जीकृत
7	रघुवंशीपुर	2.777	1.60	कार्य प्रगति पर
8	सपहा	2.250	1.50	कार्य प्रगति पर
9	आहिरापुरवा	2.120	1.50	25-1-2001 को ऊर्जीकृत

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
10	कनियाड़	2.500	1.75	18-2-2001 को ऊर्जीकृत
11	अरवारी	1.644	1.10	कार्य प्रगति पर
12	ब्यूर	6.300	5.00	26-2-2001 को ऊर्जीकृत
13	हनुमानगंज	5.000	4.000	22-2-2001 को ऊर्जीकृत
14	चुरेह	2.380	1.90	कार्य प्रगति पर
15	पश्चिम पताई	1.427	1.14	31-12-2000 को ऊर्जीकृत
16	खोंच	3.360	2.70	कार्य प्रगति पर
17	बोडी पोखरी	1.740	1.40	कार्य प्रगति पर
18	लवैद	3.420	2.75	20-2-2001 को ऊर्जीकृत

प्रश्न	उत्तर
यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?	स्वीकृत धनराशि में शेष धनराशि रु० 11.68 लाख अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई ।
उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ?	उपरोक्त धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है ।

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–149 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93 पर)

परिशिष्ट "क"

1–800 के० बी० आनपारा–उन्नाव लाइन	मूल्य विचलन	
फर्म का नाम	करोड़ रु० में	करोड़ येन में
अ. मै० हुण्डई	2.63	0.268
ब. मै० आर० पी० जी०	शून्य	शून्य
स. मै० मिडाल	शून्य	शून्य
द. मै० अपार	शून्य	शून्य

2–400 के० बी० लाइन — मूल्य विचलन (करोड़ रु० में)

फर्म का नाम	उन्नाव-बरेली	उन्नाव–लखनऊ	उन्नाव–पनकी	उन्नाव–आगरा	आगरा–मुरादनगर	योग
अ. मै० आर० पी० जी०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब. मै० के० ई० सी०	शून्य	शून्य	1.18	3.77	0.59	5.54
स. मै० एम० एम० टी० सी०	शून्य	शून्य	1.78	4.89	शून्य	6.67
द. मै० जय श्री	शून्य	शून्य	0.11	0.44	शून्य	0.55

3–400 के०वी० उपकेन्द्र — मूल्य विचलन (करोड़ रु० में)

फर्म का नाम	उन्नाव-	आगरा	बरेली	सरोजनी नगर/पनकी/मुरादनगर	योग
अ. मै० बी० एच० ई० एल०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब. मै० ए० बी० बी०	शून्य	शून्य	0.004	शून्य	0.004
स. मै० के० ई० सी०	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
द. मै० ए० बी० बी०	शून्य	शून्य	0.073	शून्य	0.073
इ. मै० सी० जी० एल०	0.007	0.065	2.916	शून्य	2.988

नरेश अग्रवाल,

ऊर्जा मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–159 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

संलग्नक–1.

वर्ष 90-91 से 99-2000 तक कुल 330 ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं। ब्लाकवार ग्राम निम्न प्रकार हैं :––

1–बरोली अहीर :–

1–रोहता 2–नगला कली 3–सेमरी 4–रजरई 5–कोलखा 6–बिल्हैनी 7–नेनानाजाट 8–भाडई 9–नोफरी 10–इटोरा 11–नेंनाना ब्राह्मन 12–गुतिला 13–ककुआ 14–भाइअं 15–कहरई 16–भाडई 17–हिंगोटखेड़िया 18–तोरा 19–नोंफरी 20–सुजगई 21–ब्रह्मनगर 22–कुन्डोल 23–देवरी 24–पंचगाई खेड़ा 25–श्यामो 26–तनौरा नुरपुर 27–बमरोली कटरा 28–दिगनेर 29–कबूलपुर 30–करवना मुस्तिकल 31–बगदा 32–ककरारी 33–महुआखेड़ा 34–बिसेरा कला।

(क्रम सं० 8 एवं 9 दो वर्षों में चयनित किये गये हैं)

2–बिचपुरी :–

1–अरतोनी 2–लखनपुरा 3–देवरेठा 4–जऊपुरा 5–नं० अलवतिया 6–अजीजपुर 7–कलवारी 8–जउपुरा 9–बमरौली अहीर 10–टपरा 11–मोहम्मदपुर 12–मगटई 13–चोहटना 14–नानपुर 15–नगला बसुआ 16–सिकन्दरपुर मुस्तिकल 17–पथोली 18–बरावा 19–मिढ़ापुर 20–गरसानी 21–सहारा 22–बिचपुरी 23–अंगूठह।

(क्रम सं० 4 पर अंकित ग्राम दो वर्षों में चयनित किये गये हैं)

3–अकोला :–

1–मुढ़ेरा 2–धनोंली 3–वाईखेड़ा 4–अभयपुरा 5–सिरोली 6–अभयपुरा 7–लालऊ 8–गामरी 9–मनिया 10–जिटोरा 11–जारूआकटरा 12–मलपुरा 13–डावली 14–मनकेड़ा 15–अकोला 16–बल्हैरा 17–खेड़ाभगोर 18–कराहरा 19–गहराकलां 20–जेंगारा।

(क्रम सं० 04 पर अंकित ग्राम दो वर्षों में चयनित किया गया हैं)

4–अछनेरा :–

1–बमरोद 2–विधापुर 3–धनोली 4–अरदाया 5–मांगरोलजाट 6–पुरामना 7–अभेदोपुर 8–महुअर 9–मंगूरा 10–धनोंली 11–अरूआखास 12–रूनकता 13–उसेला 14–रायभा 15–कचौरा 16–साधन 17–ब्यारा 18–कीथम 19–छः पोखर।

(क्रम सं० 03 पर अंकित ग्राम दो वर्षों में चयनित किये गये हैं)

5–फतेहपुरसीकरी :–

1–पाली किरावली 2–सिंगारपुर 3–जहांनपुर 4–मण्डी मिर्जा खां 5–जहांनपुर 6–दाउदपुरय 7–महदऊ 8–पुरियारी 9–चोमाशाहपुर 10–दुल्हैरा 11–टीकरी 12–दोलताबाद 13–सोनोठी 14–तेहरारावत 15–नं० वहरावती 16–सिरोली 17–खेड़ाजाट 18–वानपुर 19–मंगोलीकला 20–इमलाबाद 21–मोहम्मदपुर 22–वदनपुरवर्नामई 23–नयावांस 24–सीकरी हिस्सा-वार 25–दूरा 26–ओलेंडा 27–सामरा 28– उन्देरा 29–कोरई 30–जाजऊ 31–डावर ।

(क्रम संख्या 03 पर अंकित ग्राम दो वर्षों में चयनित किये गये हैं)

6–एत्मादपुर :–

1–अरेला 2–नगलामनी 3–मुरलीधरपुर 4–नवलपुर 5–सिंहोरगढ़ 6–नगलानिषेक 7–टेहू 8–मितावली 9–नबलपुर 10–नगलास्वरूप 11–नगलावेल 12–तमाचटगढ़ 13–नगलावरी 14–सिहोरगढ़ 15–यूसुफपुर 16–अमानाबाद 17–वरहन 18–वावली 19–अगवार खास 20–संवाई 21–खरकना 22–गढ़ी वच्ची 23–रसूलपुर 24–कुंवरजनूबी 25–मुखवार 26–खेड़ी अरू 27–वेनईकला 28–चिरौली 29–मुर्धरअलीपुर ।

(क्रम सं० 04 एवं 05 पर अंकित ग्राम दो वर्षों में चयनित किये गये हैं)

7–खन्दोली :–

1–थौरां 2–सेमरा 3–रायपुर 4–वमान 5–कुवेरपुर 6–हाजीपुर खेड़ा 7–शेरखान 8–गुढा 9–सेवरा 10–पोइया 11–परिहार 12–गढ़पुरा 13–पर्वतपुर 14–मदनपुर मुस्लिकल 15–पेंतखेड़ा 16–रामनगर 17–खांडा 18–आंवलखेड़ा 19–सोरई 20–मुड़ी जहांगीरपुर ।

8–खेरागढ़ :–

1–ऊंटगिरि 2–पहाड़ी कलां 3–महुआखेड़ा 4–धुसियाना 5–विधोली 6–कुल्हारा 7–लखनपुरा 8–विश्रामपुर 9–अटा 10–कुकण्डई 11–भोजपुर 12–पटपरगंज 13–वीतपुर 14–परसिया 15–सरेंडा 16–कागारोल 17–वेरीवाहर 18–सालेहनगर 19–अमेला 20–सोन 21–दिगोना 22–नगला दूल्हेखां ।

9–सेंथा :–

1–गढ़ी अहीर 2–सिकन्दरपुर 3–गोहरां 4–शेरपुर 5–डारकी 6–मई 7–चीतापुरनगला वीरई 8–सैंयां 9–तेहरा 10–बृथला 11–पुसेवा 12–वीरई 13–विहरू 14–लादूखेड़ा ।

10–जगनेर :–

1–झींटपुरा 2–करेहकी 3–उदेना 4–नगला कासिमपुर 5–वाजिदपुर 6–झींटपुरा 7–वमनपुरा 8–शाहगंज 9–जलालपुर 10–सरेंधी 11–वसई जगनेर 12–रिछोहा 13–गुगावद 14–नोंनी ।

(क्रम सं० 01 पर अंकित ग्राम दो वर्षों में चयनित किया गया है)

11–फतेहाबाद :–

1–गढ़ी दरियाव 2–मोहम्मदपुर 3–सिकरारा 4–प्रतापपुरा 5–बसई 6–धाधपुरा 7–रैपुरा 8–कूमपुरा 9–पत्थरकोट 10–रनपुरा 11–गंगोरा 12–सईदपुरा 13–नगला लोहिया 14–आलमपुर 15–धिमिश्री 16–खण्डेर 17–पेंतीखेड़ा 18–चमरोली 19–मेवलीकला 20–जगराजपुर 21–वाजिदपुर 22–नींचाखोड़ा 23–विहारी ।

12–शमशाबाद :–

1–महरमपुर 2–सुडरई 3–डौकी 4–चितौरा 5–लहरपट्टी 6–शेखूपुर 7–मुबारिकपुर 8–मुजफ्फरपुर 9–पट्टी शेखूपुर 10–मीरपुर 11–डवरई 12–मुटनई 13–सिकतरा 14–हिरनेर नवादाखेड़ा 15–कोलाराकला 16–करोंधना 17–नगला पाटम 18–कुर्राचित्तरपुर 19–थाना शंकरद्वारी 20–एत्मादपुर अजमेरा 21–कुतुबपुर रोहई 22–लोहेटा 23–वांगुरी 24–इनायतपुर ।

13–बाह :–

1–नरहोली 2–कनेरा 3–दोदापुरा 4–रैका 5–पड़कौली 6–मिढ़कोली 7–जरार 8–बिजोली 9–बड़ोस 10–पार्वतीपुरा 11–सिंधोली 12–अभयपुरा 13–मिढ़कौली 14–मुड़ियापुरा 15–पड़कोली 16–हिंगोटखेड़ा 17–इन्द्रायनी 18–डेरक 19–हजारपुरा 20–नीमडांडा 21–भाउपुरा 22–वाह देहात 23–वटेश्वर 24–वमरोली 25–फरेरा 26–भदरोली 27–इटायली 28–वासोनी ।

(क्रम सं० 05 एवं 06 पर अंकित ग्राम दो वर्षों में चयनित किये गये हैं)

14–जैंतपुर कला :–

1–अमाही 2–चोरंगाहार 3–उदयपुरा 4–पहाड़पुरा 5–नोनेरा 6–चोरंगावीहड़ 7–धनियापुरा 8–जैंतपुरकला 9–पारना 10–कूकापुर 11–खीहरी 12–खिलावली 13–खेड़ा रोठोर 14–कचोरा 15–कमतरी ।

15–पिनाहट–

1–सिकतरा 2–लालपुरा 3–उटसाना 4–नगला दलेल 5–अर्जुनपुरा 6–सबोरा 7–पापरीनागर 8–ओंर, 9–विप्रावली 10–करकोली 11–बलाई 12–रेहा 13–कुकथरी 14–पिनाहट देहात ।

संलग्नक–2

कुल 263 ग्रामों का पूर्ण विकास हो चुका है ।

विकास खण्डवार ग्रामों की संख्या निम्न प्रकार है :–

1–बरोली अहीर	30
2–विचपुरी	20
3–अकोला	15

4–अछनेरा	14
5–फतेहपुरसीकरी	28
6–एत्मादपुर	23
7–खन्दोली	16
8–खेरागढ़	20
9–सेंथा	09
10–जगनेर	10
11–फतेहाबाद	17
12–शमशाबाद	17
13–बाह	25
14–जेंतपुरकला	09
15–पिनाहट	10

कुल 66 ग्राम पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाये हैं।

विकास खण्डावार स्थिति निम्न प्रकार है :–

विकास खण्ड	ग्रामों की संख्या
1–बरोली अहीर	04
2–विचपुरी	03
3–अकोला	05
4–अछनेरा	04
5–फतेहपुरसीकरी	03
6–एत्मादपुर	06
7–खन्दोली	04
8–खेरागढ़	02
9–सेंथा	05
10–जगनेर	04
11–फतेहाबाद	06
12–शमशाबाद	07
13–बाह	03
14–जेंतपुरकला	06
15–पिनाहट	04

राधेश्याम,

मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 284 विधान सभा (501)–21-11-2001–813 प्रतियां (डी०टी०पी०)।